

बी०टी०सी० चतुर्थ सेमेस्टर

शामान्य विषय -04

सामाजिक अध्ययन



राज्य शिक्षा संस्थान, उ०प्र०,
इलाहाबाद

बी०टी०सी० चतुर्थ सेमिस्टर

- मुख्य संरक्षक : श्री अजय कुमार सिंह, आई.ए.एस., सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ
- संरक्षक : श्रीमती शीतल वर्मा, आई.ए.एस. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ
- निर्देशन : डॉ० सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०
- समन्वयन : श्री दिव्यकान्त शुक्ल, प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, इलाहाबाद
- परामर्श : श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, (एस०एस०ए०) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ
- लेखक : डॉ० निहारिका कुमार, श्रीमती अनुराधा पाण्डेय, श्रीमती सुनीता उपाध्याय, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री अशोक कुमार, श्रीमती दीपा मिश्रा, श्रीमती परमजीत गौतम
- कम्प्यूटर कम्पोजिंग : राजेश कुमार यादव

सामाजिक अध्ययन

कक्षा शिक्षण : विषयवस्तु

- 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास।
- धार्मिक तथा समाज सुधार आन्दोलन—ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन (सर सैय्यद अहम खॉं)।
- भारत का राष्ट्रीय आंदोलन—इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, बंगभंग, रौलट एक्ट, जलियोवाला बाग हत्याकांडद्व खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी—चौरा काण्ड, काकोरी काण्ड, स्वराज्य दल, खिलाफत आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट।
- पूर्ण स्वतंत्रता की मांग— जिन्ना की चौदह शर्तें, सविनय अवज्ञा, आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आन्दोलन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति।
- भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान—महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई, नौरोजी, सुभाष चन्द्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय।
- जलवायु एवं मौसम में अन्तर एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व।
- भारत के प्राकृतिक प्रदेश— बनावट, जनजीवन, कृषि, उद्योग—धन्धे, प्रमुख राज्य व नगर।
- उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश— विस्तार, प्रमुख नगर, जनजीवन, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां।
- उत्तर प्रदेश की खनिज सम्पदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई।
- उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात—निर्यात एवं उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
- उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत— पुरातात्विक विरासत, कलाएं, मेले व त्यौहार, तीर्थस्थान, विरासत का संरक्षण।
- पर्यावरण प्रदूषण— अर्थ, प्रकार व रोकथाम।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ— गठन, अंग, कार्य।
- जनगणना।
- नागरिक सुरक्षा।

- सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं—भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं।
- गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0)।
- विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक।
- आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद—अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्राविधान, भारत के शांति प्रयास— गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां।
- गरीबी—जनसंख्या वृद्धि—जनसंख्या का घनत्व, माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास में बाधक, भारत में जनांकिकीय प्रवृत्तियां, जन्म एवं मृत्यु दर, लिंग अनुपात, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति।
- भारत में गरीबी के कारण, भारत में गरीबी रेखा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
- बेरोजगारी— प्रकार, बेरोजगारी उन्मूलन पर वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित योजनाएं।
- साक्षरता दर।
- भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली— खाद्य सुरक्षा की समस्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य व प्रसार, प्रारतीय खाद्य निगम, लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, एकीकृत बाल विकास योजनाएं (आई0सी0डी0एस0) दोपहर भोजन व्यवस्था (एम0डी0एम0) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक।
- भूमण्डलीकरण तथा सांख्यिकी— परिचय, आंकड़ों का प्रदर्शन व महत्व, समान्तर माध्य, माध्यिका, बहुलक।

1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु

प्रयास

1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक गौरवमयी गाथा है। यह विद्रोह कोई ऐसी घटना नहीं थी, जो अचानक हो गई हो और न ही कोई ऐसा प्रसंग था, जो भारत के किसी एक कोने में हुआ हो। सतही रूप से सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारम्भ हुए इस विद्रोह ने समूचे भारत की जनता, कृषकों, मजदूरों, हस्तशिल्पियों, जन-जातियों, सैनिकों एवं रजवाड़ों को अपने में समेट लिया। कुछ इतिहासकारों ने 1857 ई० में हुए विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना बताया है, किन्तु वास्तव में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति ब्रिटिश शासकों की नीतियां ही इसके लिए उत्तरदायी थी। उनकी शोषण की नीतियों के परिणामस्वरूप ही भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, जो 1857 ई० के विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने तो मात्र उस असंतोष रूपी बारूद को चिंगारी प्रदान की। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदेशों में अलग-अलग नेताओं ने किया। इसमें धार्मिक नेताओं, पूर्व के कुछ राजाओं, कृषकों कारीगरों, सैनिकों और सामान्य जनता ने डटकर भाग लिया था। 29 मार्च, 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडेय नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल, 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडेय का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहूति थी।

बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल, 1857 को तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना के नब्बे सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। परिणामस्वरूप मई की परेड में 85 सैनिकों को सेना से हटा दिया गया और उन्हें मेरठ जेल में बन्द कर दिया गया। 10 मई को जेलखाना तोड़कर सभी कैदी सिपाहियों द्वारा जेल से छुड़ा लिए गए और उसी रात्रि को दिल्ली की ओर चल दिए। इस समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह द्वितीय था। दिल्ली में इस विद्रोह का नाममात्र का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। वास्तविक नेतृत्व उसके सेनापति बख्त ख़ाँ ने किया। दिल्ली के विद्रोह का समाचार आग की भांति आस-पास के प्रदेशों में फैला। स्थान-स्थान पर सैनिक

मुख्य शिक्षण बिन्दु

- 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास।
- धार्मिक तथा समाज सुधार आन्दोलन—ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आन्दोलन (सर सैय्यद अहमद ख़ाँ)
- भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन— इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, बंगभंग, रौलट एक्ट, जलियोंवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, चौरी-चौरा काण्ड, काकोरी काण्ड, स्वराज्य दल, साइमन कमीशन, बारदौली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट।

छावनियों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों का जगह-जगह पर जनता द्वारा स्वागत किया गया। कृषक, कारीगर और सामान्य व्यक्ति भी विद्रोह का पोषक और सहायक बना।

लखनऊ में 4 जून, 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग लड़के को नबाव घोषित कर बगावत कर दी। इसमें अवध के जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने उसकी मदद की। 5 जून, 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व नाना साहेब ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी की ओर चली गई 17 जून, 1858 को रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुयी वीरगति को प्राप्त हुई। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के अस्सी वर्षीय कुंवर सिंह ने किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

दक्षिण भारत में डिंडीगुल में कृषकों और भू-स्वामियों ने और मालावार में पालीगर ने विद्रोह किए।

1857 का विद्रोह यद्यपि समूचे भारत में फैला, परन्तु सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या और क्षेत्र को यह विद्रोह आंदोलित न कर सका। बड़े जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने भी सामान्यतः तत्कालीन कम्पनी के शासन को समर्थन दिया। विद्रोह यद्यपि विस्तृत था, परन्तु उसके उद्देश्य सीमित थे। यह विद्रोह अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिये किया गया। सैनिक दृष्टि से भारतीय सैनिकों ने देशभक्ति, धार्मिक जोश और निःस्वार्थ भावना से विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के सम्पूर्ण घटनाचक्र को देखते हुए यह विदित होता है कि यह भारतीयों का एक ब्रिटिश विरोधी देशभक्ति पूर्ण परन्तु असंगठित स्वतंत्रता का प्रयास था। इस विद्रोह के दूरगामी परिणामों को भी ओझल नहीं किया जा सकता। अशोक मेहता ने लिखा है— 'यह समाज रूपी ज्वालामुखी पर्वत का ऐसा विस्फोट था, जिसमें से बहुत-सी शक्तियों को निकलने का श्रेय प्राप्त हुआ। इस ज्वालामुखी के फटने के पश्चात सम्पूर्ण सामाजिक दृश्य बदल चुका था। विद्रोह के चिन्ह गम्भीर रूप से चमकते रहे।' 1857 की घटनाएं भारतीयों के मस्तिष्क में निरंतर कौंधती रही। उन्होंने उसकी स्मृतियों को निरंतर जागृत रखा। आगामी वर्षों में भारत के देशभक्त एवं क्रान्तिकारी 1857 के सेनानियों को कभी न भूले। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास हुआ। 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रीय जागरण की भावना को बढ़ाया।

अभ्यास प्रश्न

1. 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के क्या कारण थे।
2. 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए।
3. 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए।

धार्मिक तथा समाज सुधार आन्दोलन

स्वाधीनता संग्राम के जन-जागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान है। 19वीं शताब्दी में हुए आंदोलनों ने भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक चेतना से आंदोलित किया। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति में वहां के दार्शनिकों और चिंतकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसी भांति भारत की आजादी में यहां के चिंतकों, दार्शनिकों और समाज सुधारकों का योगदान रहा। 19वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का काल कह सकते हैं।

राष्ट्रीय जागरण की प्रमुख धाराएं सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हैं। पाश्चात्य शिक्षा और विचार के प्रभाव, अनेक सुधारकों के प्रादुर्भाव, भारतीय साहित्य और पत्र-पत्रिकाओं के योगदान ने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया।

ब्रह्म समाज

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था। 20 अगस्त, 1828 को राजा राममोहन राय ने 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराईयों के विरोध में आन्दोलन चलाया। ब्रह्मसमाज की स्थापना का उद्देश्य हिन्दू समाज की बुराईयां दूर करना, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना और हिन्दू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर नया रूप देना था।

प्रार्थना समाज

आचार्य केशवचन्द्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविन्द रानाडे और डॉ० आत्माराम पाण्डुरंग ने 1867 में बम्बई में 'प्रार्थना समाज' की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध आदि का विरोध किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर का सच्चा प्यार उसके मनुष्यों की सेवा में ही है। वे धार्मिक रूढ़िवादियों से टक्कर नहीं लेना चाहते थे अपितु शिक्षा तथा समझाने बुझाने पर बल देते थे।

आर्य समाज

10 अप्रैल, 1875 में दयानन्द सरस्वती ने बम्बई में 'आर्य समाज' की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। दयानन्द सरस्वती ने 'वेदों की ओर लौटो' का नारा देते हुए वेदों को 'भारत का आधार स्तम्भ' बताया। उनका विश्वास था कि हिन्दू धर्म और वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज

टिका था, शाश्वत अपरिवर्तनीय, तथा दैवीय है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' के माध्यम से विभिन्न धर्मों में व्याप्त अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खण्डन किया।

रामकृष्ण मिशन

रामकृष्ण परमहंस (1834–1886) बंगाल के एक महान संत पुरुष थे। जिन्होंने सन्यास, चिन्तन और भक्ति के परम्परागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। उनके परम शिष्य, स्वामी विवेकानन्द ने उनके धार्मिक संदेश को लोकप्रिय बनया तथा उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जो समसामयिक भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। स्वामी विवेकानन्द ने 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने समाज में भारत के गौरवपूर्ण अतीत के प्रति गर्व की भावना जाग्रत की, साथ ही अंधविश्वासी और कट्टरपंथी न बनने को कहा। विवेकानन्द ने वेदांत का प्रचार और सर्वधर्म की एकता में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने सामाजिक दृष्टि से भी समाज सेवा और नारी सम्मान को महत्व दिया। छुआछूत का कटु विरोध किया। स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीयता के पोषक थे। उन्होंने भारतवासियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा की, दुर्बलता को पाप बताया और शक्ति की पूजा का आह्वान किया। अतः निश्चित ही भारत के नवजागरण में विवेकानन्द का बहुत बड़ा योगदान है।

थियोसोफिकल सोसाइटी

थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम एच0पी0ब्लावास्की और कर्नल ओल्कॉट ने की, जो बाद में भारत भी आए और सोसाइटी का मुख्यालय 1886 में मद्रास के निकट अड्यार में बनाया। इस समाज के अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान आत्मिक हर्षोन्माद और अन्तर्ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये लोग पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते थे। कर्नल ओल्कॉट की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती एनीबेसेंट इसकी अध्यक्षा बनी। उन्होंने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माना और मानव को व्यापक बंधुत्व की भी शिक्षा दी। भारत में श्रीमती बेसेंट की अनेक उपलब्धियों में बनारस के सेंट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना भी की थी।

मुस्लिम सुधार आन्दोलन

19 वीं सदी में इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन अस्तित्व में आये।

अलीगढ़ आन्दोलन तथा सर सैय्यद अहमद खाँ

1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न-भिन्न हो गयी। ऐसे समय में ही सर सैय्यद अहमद खाँ (1817–1898) का पर्दापण हुआ। सर सैय्यद अहमद खा के नेतृत्व में चलाये गये आन्दोलन को ही अलीगढ़ आन्दोलन के

नाम से जाना जाता है। सर सैय्यद अहमद खाँ की धारणा थी कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में केवल आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को ग्रहण करके ही सुधार लाया जा सकता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना जीवन भर उनका सर्वप्रथम काम रहा। उन्होंने अनेक शहरों में स्कूलों की स्थापना की तथा अनेक पाश्चात्य पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराया। 1864 में सर सैय्यद अहमद खाँ ने 'साइंटिफिक सोसाइटी' तथा 1875 में अलीगढ़ में पाश्चात्य विज्ञानों और संस्कृति के प्रसारक के रूप में मुहम्मदन-एंग्लो ओरिएंटल कालेज' की स्थापना की। बाद में यही कालेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। सर सैय्यद अहमद खाँ धार्मिक सहिष्णुता में अगाध विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों के अन्दर एकता का भाव छिपा है जिसे व्यावहारिक नैतिकता कहा जा सकता है। उन्होंने इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयत्न किया।

बहावी आन्दोलन

मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया जो हुई उसे बहावी आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह पुनर्जागरणवादी आन्दोलन था। शाह वली उल्लाह अठारहवीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर चिन्ता व्यक्त की थी। उन्होंने मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया।

देवबन्द आन्दोलन

मुसलमान उल्मा ने, जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबन्द आन्दोलन चलाया। यह एक पुनर्जागरणवादी आन्दोलन था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था। मुहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने देवबन्द (उ०प्र०) में इस्लामी मदरसों की स्थापना की। देवबन्द आन्दोलन अंग्रेज विरोधी आन्दोलन था, देवबन्द स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध था।

अहमदिया आन्दोलन

अहमदिया आंदोलन 1889 ई० में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इस आन्दोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के सन्दर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, बह्य विद्या तथा हिन्दुओं के धार्मिक सुधार आन्दोलन से अत्यधिक प्रभावित थे।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय

1. ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की।

क. रामकृष्ण परमहंस

ख. राजा राम मोहन राय

ग. केशवचन्द्र सेन

घ. इनमें से कोई नहीं।

2. प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई।

क. दिल्ली

ख. बम्बई

ग. मद्रास

घ. नागपुर

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

3. अहमदिया आन्दोलन कब प्रारम्भ हुआ।

4. आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

5. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हिन्दू पुनरुत्थान के प्रमुख बिन्दु बताइए।

www.dietmathura.org

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन

उन्नीसवीं शताब्दी की अंतिम चौथाई का काल भारत में राष्ट्रियता के जन्म का काल माना जाता है। सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, प्रेस की भूमिका, मध्यमवर्ग का उदय तथा ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ जिसमें पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित लोग संगठित होकर राजनीतिक विकास के समान कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करते थे। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए0ओ0 ह्यूम ने 28 दिसम्बर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रेसीडेंसी, 21 मद्रास प्रेसीडेंसी, 3 बंगाल प्रेसीडेंसी, 6 उत्तर पश्चिम प्रदेश व अवध से और 3 पंजाब से थे। अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर और ह्यूम के मित्र व्योमेश चन्द्र बनर्जी ने की। अतः प्रारम्भ में ही इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान हुआ। अलग-अलग स्थानों में इसके वार्षिक सम्मेलन करना, सभी धर्मों, सम्प्रदायों के नेताओं को अध्यक्ष पद पर क्रमानुसार पहले अधिवेशन से ही देने का सिलसिला शुरू करना और सामाजिक विषयों को कांग्रेस अधिवेशनों की चर्चा से अलग रखना जैसे कार्यों से इसे राष्ट्रीय स्वरूप मिला। कहा जा सकता है कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना राष्ट्रवादी चेतना की प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष था, जिसने संगठित राष्ट्रवादी आन्दोलन के औपचारिक आरम्भ का श्री गणेश किया।

बंगभंग आन्दोलन

कर्जन की साम्राज्यवादी तथा 'बांटो और राज करो' की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। उस समय बंगाल प्रान्त में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। सामान्यतः तत्कालीन सरकार द्वारा बंग-भंग के उपरोक्त कारण बताए गए, जिन्हें 'शासकीय आवश्यकता' बताया गया, परन्तु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था। बंगाल राष्ट्रवादी गतिविधियों का केन्द्र बनता जा रहा था। कलकत्ता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार वाणिज्य का केन्द्र स्थल और न्याय का प्रमुख केन्द्र भी था। यहीं से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे, जिससे लोगों में विशेषकर शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी, फलतः इसी के परिणामस्वरूप कर्जन ने 16 अक्टूबर, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। वस्तुतः यह कर्जन का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी कानून था, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और इसने शीघ्र

ही एक आन्दोलन का रूप ले लिया। वास्तव में बंगाल विभाजन और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आन्दोलन ऐसी बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने लॉर्ड कर्जन की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और साथ ही एक ऐसी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, जो आगामी अनेक वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। इसने समूचे राष्ट्र में चेतना जगाई और एकता का भाव पैदा किया।

रौलट एक्ट

भारत सरकार ने 1919 में सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर केन्द्रीय विधान मंडल में दो बिल प्रस्तुत हुए। इतिहास में यह 'रौलट बिल' के नाम से प्रसिद्ध है। इस एक्ट के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसलिए इस कानून को 'बिना वकील बिना अपील, बिना दलील का कानून' कहा गया। इसे 'काला कानून' कहकर पुकारा गया। रौलट एक्ट जनता की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था।

जालियाँवाला बाग हत्याकाण्ड

13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में एक ऐसी घटना हुई, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 13 अप्रैल, जो बैसाखी का दिन था, इस दिन सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक एकत्रीकरण और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्थान-स्थान पर इसकी घोषणा की गई। इस दिन जलियाँवाला बाग में जलसा हुआ, जिसमें रौलट एक्ट का विरोध हुआ। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी जिसमें बहुत से लोग मारे गये इस हत्याकाण्ड ने राष्ट्र की सोयी हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा बदल दी।

खिलाफत आन्दोलन

भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का 'खलीफा' मानते थे। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की (टर्की) मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था, युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचायेगे लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों-बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में ज्यादा तीव्र था। 19 अक्टूबर, 1919 को समूचे देश में 'खिलाफत दिवस' मानाया गया।

असहयोग आंदोलन

रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग काण्ड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर के रूप में गांधी जी ने 1 अगस्त, 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने की घोषणा कर दी। सितम्बर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में और पुनः दिसम्बर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया। असहयोग आंदोलन में हिन्दू मुस्लिम एकता का भी प्रकटीकरण हुआ। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे जिसमें एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक था। रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था— राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिन्दू-मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई। नकारात्मक कार्यक्रमों में सरकारी उपाधियों प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी कालेजों, स्कूलों, अदालतों विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग पत्र आदि सम्मिलित था।

चौरी-चौरा काण्ड

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी-चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी, 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई। चौरी-चौरा काण्ड के नाम से चर्चित इस घटना के अन्तर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानेदार को थाने में बन्द करके आग लगा दी। चौरी-चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

काकोरी काण्ड

अक्टूबर 1924में सचीन्द्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के उद्देश्यों में शामिल था— संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर एक 'संघीय गणतंत्र' की स्थापना की जाये जिसे 'संयुक्त राज्य भारत' कहा जाए। आंदोलन की सफलता के लिये शस्त्र और धन एकत्र करने के लिए राजनैतिक डकैतियों सहित राजनैतिक अपहरण व हिन्दुस्तान रिपब्लिकन की अनेक शाखायें स्थापित की जाये। उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके द्वारा 9 अगस्त, 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर '8 डाउन ट्रेन' पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी काण्ड के नाम से प्रसिद्ध हुई। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता कर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, असफाकुल्ला, रोशनलाल, राजेन्द्र लहड़ी आदि पर मुकदमा चला कर फांसी दे दी गई। काकोरी काण्ड में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चन्द्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया।

स्वराज दल

मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर 'स्वराज्य दल' की स्थापना की। इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया। इसने नवम्बर 1923 में होने वाले चुनाव में लड़ने का विचार किया। बाद में स्वास्थ्य खराब होने पर 1924 में गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया और स्वराजवादियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों अर्थात् छुआछूत दूर करने, हिन्दू-मुस्लिम एकता, चरखा और नशाबंदी को स्वीकार किया। नवम्बर 1923 में विधान मंडलों के चुनाव हुए। स्वराज दल को इसमें अच्छी सफलता मिली। केन्द्रीय विधान मंडल और सेंट्रल प्रोविंसिस में उनके चुने हुए सदस्यों को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में बहुमत न मिलने पर भी वे एक मजबूत दल के रूप में सामने आए। अन्य प्रांतों में भी कुछ सीटें मिली। केन्द्रीय विधान मंडल में स्वराज दल के नेता मोतीलाल नेहरू थे, जबकि बंगाल में चित्तरंजन दास ने इसका नेतृत्व किया। प्रांतीय विधान सभाओं में भी स्वराज्य दल ने कुछ कार्य किए।

साइमन कमीशन

1919 के एक्ट में यह प्रावधान भी था कि दस वर्ष के बाद यह देखा जाएगा कि वर्तमान एक्ट कहाँ तक उपयोगी साबित हुआ। अतः यह जाँच आयोग 1929 में बैठना था। इंग्लैंड की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण वहाँ की अनुदार पार्टी ने यह कमीशन 1927 में अर्थात् दो वर्ष पहले ही नियुक्त कर दिया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के कारण यह 'साइमन कमीशन' के नाम से जाना जाता है। इसमें सात सदस्य थे और कोई भी भारतीय न था। अतः इसे 'वाइट मैन कमीशन' भी कहते हैं।

कमीशन के भारत आगमन से पूर्व ही इसका विरोध प्रारम्भ हो गया। देश के सभी प्रमुख नगरों में नवयुवकों ने हड़ताल करके, काली झंडिया दिखाकर और 'साइमन कमीशन वापस जाओ' के नारों से इसका स्वागत किया। केन्द्रीय विधान सभा ने भी साइमन का स्वागत करने से मना कर दिया। लखनऊ में पं० जवाहर लाल नेहरू व गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। लाहौर में लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सांडर्स ने लाजपतराय पर लाठी से प्रहार किया। जिसमें उन्हें गम्भीर चोटें आयी और उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई। इसमें यह माना गया कि प्रांतों में प्रचलित दोहरे शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा और इसे समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की जाए। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार देने की बात कही गई। शक्तिशाली केन्द्र, सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार बढ़ाने, सेना का भारतीयकरण, विधानमण्डल का पुनर्गठन गृह सरकार की शक्ति में कमी और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व की बात भी कही गई। इसके साथ ही वर्मा को भारत से और सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने को कहा गया। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को भी पूरी तरह प्रांत का स्तर देने से मना कर दिया गया और संविधान को लचीला बनाने की भी बात की गयी। भारतीयों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें आकाशाओं के अनुरूप कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापना की बात नहीं कही गई थी। इस कमीशन की रिपोर्ट 1935 के एक्ट का आधार बनी और ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुई।

बारदोली सत्याग्रह

सूरत (गुजरात) के बारदोली ताल्लुके में 1928 में किसानों द्वारा 'लगान न अदायगी' का आन्दोलन चलाया गया। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व बल्लभभाई पटेल ने संभाला, बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल ने जांच कराने की मांग की। पटेल द्वारा 'लगान न अदायगी' हेतु किसानों को संगठित किया गया। बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आन्दोलन सम्पन्न हुआ। गांधी जी ने आन्दोलन की सफलता पर कहा कि "बारदोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह 'स्वराज्य' की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है। लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है।" बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने बल्लभ भाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि प्रदान की। एक न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने सारे मामले की जांच की और अपनी रपट में लिखा कि 30 प्रतिशत लगान बढ़ोतरी गलत थी। इसे घटाकर 6.03 प्रतिशत कर दिया गया।

नेहरू रिपोर्ट

इसी बीच भारतीय सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी, जो सभी को मान्य हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 28 फरवरी, 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। 10 मई, 1928 को बंबई में दूसरी बैठक हुई, जिसमें आठ व्यक्तियों की एक समिति को भावी संविधान की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सदस्य सुभाष चन्द्र बोस, सर इमाम अली, सर तेजबहादुर सप्रु, जी0आर0प्रधान, एम0एस0 अणे, शोएब कुरैशी व सरदार मंगल सिंह थे। इस सीमित ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1928 में प्रकाशित की जो 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रचलित हुई रिपोर्ट में की गई सिफारिशें इस प्रकार थी—

- भारत को डोमेनियनस्टेट (अधिराज्य) का दर्जा।
- भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केन्द्र में द्विसदनीय विधान मण्डल होगा मंत्रिमण्डल निम्न सहन के प्रति उत्तरदायी होगा।
- गर्वनर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर ही रहेगी।
- साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मण्डल की मांग स्वीकार नहीं की गई।
- नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया।

साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मण्डल की मांग को स्वीकार न करने के कारण मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से एक चौदह सूत्रीय योजना पेश की।

इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस आदि युवा नेता डोमेनियन राज्य की मांग पर असन्तुष्ट थे और उन्होंने 'पूर्व स्वराज' की मांग की। अन्त में 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता

राष्ट्रीय आन्दोलन

पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग

सन् 1906 से स्वराज्य पाना ही कांग्रेस का लक्ष्य था। महात्मा गाँधी के कांग्रेस में आने के बाद भी उस लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, स्वराज्य प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में अवश्य अन्तर आया। गाँधी जी के आगमन से पूर्व स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेस की नीति वैधानिक उपायों को काम में लाने की थी। गाँधी जी नेतृत्व में कांग्रेस ने शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक उपायों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निश्चय किया।

सन् 1928 ई० में कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि यदि सरकार 31 दिसम्बर सन् 1929 ई० तक सर्वदल सम्मेलन के नेहरू संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले तो कांग्रेस उतने से ही सन्तुष्ट हो जाएगी अन्यथा वह अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का संगठन करेगी और देश को इस बात की सलाह देगी कि सरकार को लगान और कर देना बन्द कर दिया जाए। तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन ने 31 अक्टूबर सन् 1929 ई० को एक घोषणा द्वारा यह स्पष्ट किया कि 20 अगस्त सन् 1917 ई० के प्रसिद्ध वक्तव्य के अन्तर्गत सरकारी नीति का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य ही है और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक गोलमेज परिषद का आयोजन करने का विचार कर रही है। कांग्रेसी इस परिषद से सन्तुष्ट नहीं हुए।

दिसम्बर 1929 ई० में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ। इसकी अध्यक्षता पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने की। झण्डा फहराते हुए उन्होंने यह घोषणा की कि “ कांग्रेस के संविधान की प्रथम धारा में ‘स्वराज्य’ शब्द का अभिप्राय पूर्ण स्वतंत्रता से है। इस प्रकार पहली बार पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की गई और यह भी निश्चय किया गया कि 26 जनवरी 1930 ई० को स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 1930 ई० को प्रथम स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया।

जिन्ना की चौदह शर्तें

नेहरू रिपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट की बहुत सी बातों से असहमति जताई। उन्होंने दिसम्बर 1929 में मुसलमानों के हितों और अधिकारों के लिए अपनी चौदह सूत्री योजना पेश की जिसे ‘जिन्ना की चौदह शर्तें’ भी कह सकते हैं। ये चौदह शर्तें इस प्रकार थीं—

1. भारत के नए संविधान का स्वरूप संघात्मक हो, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों को प्रदान की जाएं।
2. समस्त प्रान्तों को एक जैसा स्वराज्य प्रदान।

मुख्य शिक्षण बिन्दु

- जिन्ना की चौदह शर्तें
- सविनय अवज्ञा आन्दोलन
- प्रथम गोलमेज सम्मेलन
- गाँधी इरविन समझौता
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
- पूना पैक्ट
- भारत छोड़ो आन्दोलन
- स्वतन्त्रता की प्राप्ति

3. समस्त प्रान्तों के विधान मण्डलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले परन्तु ऐसा करते हुए किसी भी प्रान्त में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के स्तर पर न लाया जाए।
4. केन्द्रीय विधानमण्डल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक तिहाई हो।
5. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृत किया जाए।
6. सभी सम्प्रदायों के लोगों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए।
7. किसी भी विधानसभा में कोई ऐसा विधेयक अथवा प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए जिसका किसी सम्प्रदाय के तीन चौथाई सदस्य विरोध करें।
8. सिन्ध को बम्बई प्रान्त से अलग किया जाए।
9. प्रान्तों की सीमाओं में परिवर्तन करते समय पंजाब, बंगाल और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में मुसलमानों का बहुमत वहाँ समाप्त नहीं कर देना चाहिए।
10. अन्य प्रान्तों में जिस प्रकार के सुधार किए जाएं उसी प्रकार के सुधार सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान में भी किए जाएं।
11. अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति और भाषा की संविधान में रक्षा की जाए।
12. केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल में कम से कम एक तिहाई मंत्री मुसलमान रहे।
13. सरकारी नौकारियों में योग्यता के अनुसार मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
14. संघीय संविधान में कोई भी परिवर्तन केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा प्रान्तों की सहमति से किया जाना चाहिए।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

भारतीय राजनीतिक वातावरण में सबकी निगाहें साबरमती आश्रम की ओर लगी थी। जहाँ महात्मा गाँधी भावी संग्राम की रूपरेखा पर तल्लीनतापूर्वक विचार कर रहे थे। गांधी जी ने नमक कानून भंग करने का निश्चय किया। 12 मार्च सन् 1930 ई० को उनकी ऐतिहासिक डांडी यात्रा 79 अनुयायियों के साथ आरम्भ हुई। गाँधी जी ने 5 अप्रैल डांडी पहुँचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। आन्दोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया कि—

1. प्रत्येक गाँव गैरकानूनी नमक लाए या बनाए।
2. बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए।
3. प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूत-कातें।
4. विदेशी वस्त्र जला दिए जाएं।
5. हिन्दू छूआछूत की भावना का त्याग करें।
6. सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपना जीवन जनसेवा में लगाएं।

गाँधी जी द्वारा नमक-कानून तोड़ते ही देश में चारों ओर नमक-कानून भंग किया जाने लगा। अंग्रेजी सरकार युद्ध के इस विचित्र ढंग को देखकर हैरान थी। उसने सदैव की भाँति दमन नीति से

काम लिया और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सारे देश में गिरफ्तारियाँ हुईं और जुलूसों पर लाठी प्रहार किए गए परन्तु देशभक्तों का उत्साह कम न हुआ। यद्यपि लार्ड इरविन ने दमन नीति का आश्रय लिया था तथापि वह जानता था कि देश के लोकप्रिय नेताओं को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। अतः वह कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए लालायित था परन्तु कोई समझौता न हो सका। सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलता रहा। कुछ समय में विवश होकर अंग्रेजी सरकार को देश के नेताओं को 26 जनवरी सन् 1931 ई० को छोड़ना पड़ा।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन

लन्दन में 12 नवम्बर सन् 1930 ई० से प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हुआ जैसा कि बताया जा चुका है कि उन दिनों सविनय अवज्ञा आन्दोलन चल रहा था। महात्मा गाँधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। अतः गोलमेज सम्मेलन की बैठक हुई और उसमें नरम दल, मुस्लिम लीग और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया किन्तु देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस के बहिष्कार के कारण उस बैठक का मूल्य बहुत घट गया। इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए—

1. प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो।
2. अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर को विशेषाधिकार प्रदान किए जाए।
3. केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना हो।
4. गवर्नर जनरल को केन्द्र में विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएं।
5. केन्द्र में संघ शासन की स्थापना हो।

गाँधी इरविन पैक्ट

6 फरवरी सन् 1931 ई० को गोलमेज सम्मेलन के भारतीय नेता सप्रू, जयकर, श्रीनिवास शास्त्री आदि भारत वापस आए और गाँधी जी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी को सम्पूर्ण वार्ता से अवगत कराने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। विचार-विमर्श के पश्चात् 17 फरवरी को गाँधी जी वायसराय से मिले, जिसके परिणामस्वरूप 13 मार्च सन् 1931 को गाँधी इरविन समझौता हो गया। इसके अनुसार सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया और सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दी मुक्त कर दिए गए। चारों ओर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी होने लगी। अप्रैल सन् 1931 ई० में लार्ड इरविन त्याग पत्र देकर चले गए और उनके स्थान पर लार्ड विलिंगडन वायसराय होकर भारत आए।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सम्प्रदायिक निर्णय

साम्प्रदायिक वैमनस्य के चलते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता निश्चित थी। यह सम्मेलन 7 सितम्बर से 1 दिसम्बर 1931 ई० तक हुआ। गाँधीजी 10 सितम्बर को लन्दन पहुँच गए थे। मदनमोहन मालवीय तथा सरोजिनी नायडू भी वहाँ उपस्थित थे। बहुत विचार-विमर्श के पश्चात् भी

कांग्रेस और लीग में समझौता न हो सका। अन्त में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडानेल्ड ने 16 अगस्त, 1932 को अपना साम्प्रदायिक निर्णय (Communal award) दिया। इस निर्णय ने भारत की साम्प्रदायिक स्थिति को और भी खराब कर दिया। इसका उद्देश्य—

1. प्रत्येक वर्ग हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और यूरोपीय को पृथक निर्वाचनाधिकार अथवा संरक्षण देना था।
2. पुनः इसने हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर हिन्दुओं के विभाजन का कुत्सित प्रयत्न किया। इस निर्णय से साम्प्रदायिक एवं सामुदायिक स्वार्थों को तो बड़ा प्रोत्साहन मिला, किन्तु राष्ट्रीय क्षेत्र में उससे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः इस प्रकार राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में सरकारी प्रोत्साहन से सामुदायिक स्वार्थों की खाइयाँ तैयार की जा रही थीं।

पूना पैक्ट

साम्प्रदायिक निर्णय से हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था से डॉ० अम्बेडकर और उनके दल को तो सन्तोष हुआ, किन्तु हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को बड़ा क्षोभ हुआ। अन्त में सबके सम्मिलित प्रयत्न से 25 सितम्बर सन् 1932 ई० को पूना पैक्ट हुआ। जिसके अन्तर्गत हरिजनों को संरक्षित स्थान तो मिला परन्तु उनके सम्बन्ध में पृथक निर्वाचन का सिद्धान्त रद्द कर दिया गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन सन् 1942

8 अगस्त 1942 ई० को महात्मा गांधी की सलाह से बम्बई में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया। परन्तु अंग्रेजी सरकार इतनी सुगमता से भारत छोड़ने के लिए प्रस्तुत न थी। उसने दमन नीति से काम लिया। प्रस्ताव पास होने के दूसरे ही दिन समस्त कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सम्पूर्ण कांग्रेसी संस्थाएं गैर कानूनी घोषित कर दी गईं। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कार्य से सारे देश का धैर्य समाप्त हो गया और जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।

सारा वातावरण 'भारत छोड़ो' के उद्घोष से गूँज उठा। क्षोभ और क्रोध में आकर भारतवासियों ने अंग्रेजी शासन को पूर्णतया ध्वस्त कर देने का प्रयास किया। उन्होंने स्थान-स्थान पर रेलवे स्टेशनों, डाकखानों तथा सरकारी दफ्तरों को लूटना शुरू और तोड़ना शुरू कर दिया। दो-चार दिन ऐसा प्रतीत हुआ कि विदेशी सत्ता अपनी अन्तिम साँसे ले रही है परन्तु अंग्रेजी सरकार ने आन्दोलन को बर्बरता पूर्वक दबा दिया। सरकार की दमन-नीति के विरोध में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का अनशन 19 फरवरी 1943 को प्रारम्भ कर दिया। गांधी जी जेल में बीमार पड़ गए। अतः अस्वास्थ्यता के कारण 6 मई 1944 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया।

इसके बाद गांधी जी ने 1944 से 1947 ई० तक भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई बड़े धैर्य से लड़ी। भारत उनके प्रबुद्ध निर्देशन और नेतृत्व में ही 15 अगस्त 1947 ई० को स्वतन्त्रता प्राप्त कर पाया।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख उदार एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान

महात्मा गाँधी (1869–1948)

महात्मा गाँधी एक युग-पुरुष और युग निर्माता थे। वे प्रख्यात वकील, कर्मठ सिपाही और चतुर राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार अनेक महान गुणों से विभूषित थे महात्मा गांधी। विश्व में एक नए अस्त्र सत्याग्रह के माध्यम से इन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने शुरू में इनका मजाक उड़ाया, परन्तु अपने महान आदर्शों को अपनाए हुए ही इन्होंने भारत को स्वतन्त्रता दिलाई। साथ ही समाज सुधार के कार्यों को व्यावहारिक बनाकर सामाजिक दासता से भी भारत को मुक्त किया। गांधी जी ने वास्तव में ही भारत का पुनर्निर्माण किया।

मुख्य शिक्षण बिन्दु

- महात्मा गाँधी
- जवाहर लाल नेहरू
- गोपाल कृष्ण गोखले
- दादाभाई नौरोजी
- सुभाषचन्द्र बोस
- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक
- लाला लाजपत राय

प्रारम्भिक जीवन

महात्मा गाँधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबन्दर नामक स्थान 02 अक्टूबर 1869 ई0 को हुआ था। इनके पिता करमचन्द गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके बचपन का नाम मोहनदास था। गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड गए और वहाँ से वकालत पास करके लौटे। यहाँ वकालत करने के बाद 1893 ई0 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत की प्रैक्टिस करने चले गए। गांधी जी ने वहाँ गोरे-काले के भेद से पीड़ित होकर गोरों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। 1914 ई0 में भारत आकर ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और जीवन पर्यान्त राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में जुटे रहे। इनकी पत्नी कस्तूरबा ने भी जीवन पर्यन्त इनके कार्यक्रमों में इनको पूरा सहयोग दिया। 30 जनवरी 1948 ई0 को नाथूराम गोडसे की गोली खाकर गांधी जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। 1920 से 1947 तक का काल भारतीय इतिहास में 'गाँधी युग' के नाम से प्रसिद्ध है।

महात्मा गाँधी ने सामाजिक समानता के सिद्धान्त को स्वीकार कर समाज में किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक भेदभावों को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य मानवों को अपने गले लगाया। इन्होंने चरखा कातने का एक आदर्शवादी कार्यक्रम राष्ट्रवादी जनता को दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम था। इन्होंने विशाल उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योग-धन्धों को महत्व दिया। यह उनका एक व्यावहारिक निर्णय था। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। समाज में व्याप्त कुव्यसन, आखेट, मांस-भक्षण, मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ आदि केवल व्यक्ति

का ही विनाश नहीं करते हैं वरन् परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी घातक होते हैं। महात्मा गाँधी ने इन सभी कुव्यसनों का परित्याग करने पर बल दिया। यह सामाजिक क्षेत्र में सुधार का बहुत सराहनीय कार्य था। वास्तव में महात्मा गाँधी भारतीय स्वतन्त्रता के प्रणेता थे। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित किया गया।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक (1856–1920)

भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता बालगंगाधर तिलक थे। उनकी निःस्वार्थ देश-भक्ति, अदम्य साहस, सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सबके ऊपर अपने देश और देशवासियों पर मर मिटने की बात भारत के कर्णधारों में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है।

तिलक का जन्म 23 जुलाई सन् 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिर नामक जिले में हुआ था। 1879 ई० इन्होंने में बम्बई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने मराठी भाषा में 'केसरी' तथा अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' नामक पत्र निकाले। सन् 1884 ई० में इन्होंने भारत में 'एजुकेशन सोसाइटी' नामक एक प्रमुख शिक्षण संस्था की स्थापना की। तिलक अपनी प्रबल राष्ट्रभक्ति के कारण देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। सन् 1889 ई० में इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया सन् 1908 ई० में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी। जेल से छूटने पर वे पुनः स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने महाराष्ट्र में 'गणपति उत्सव' 'शिवाजी उत्सव' मनाने की प्रथा प्रारम्भ की।

तिलक स्वराज्य के पक्षधर थे। 1916 ई० में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने घोषणा की "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने चार साधन बताए—

1. स्वदेशी भावना का प्रचार 2. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 3. राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार 4. शान्तिपूर्वक सक्रिय विरोध।

लोकमान्य तिलक ने दो प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना कारावास में की गीता रहस्य, दि आर्कटिक होम ऑफ दि वेदाज। 01 अगस्त 1920 ई० को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का मुम्बई में निधन हो गया। महात्मा गाँधी ने तिलक के बारे में कहा था "हमारे समय में किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के सन्देश का किसी ने इतनी तन्मयता से प्रचार नहीं किया जितना कि लोकमान्य तिलक ने।"

जवाहर लाल नेहरू

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर 1889 ई० को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जवाहर लाल नेहरू इंग्लैण्ड गए वे वहाँ से बैरिस्टर बनकर भारत आए। यहाँ आकर इन्होंने वकालत

प्रारम्भ की किन्तु उसमें रुचि न होने के कारण उसे छोड़ दिया। 1923 ई० में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेक्रेटरी चुना गया। 1928 ई० में जब साइमन कमीशन भारत आया तो जवाहरलाल नेहरू ने काले झण्डे से उसका स्वागत किया।

जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। 1929 ई० की दिसम्बर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में रावी नदी के तट पर सम्मेलन हुआ। जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति है न कि औपनिवेशिक स्वराज्य। 1942 ई० के भारत छोड़ो आन्दोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। 1946 ई० में आपने अन्तरिम सरकार बनाई। 15 अगस्त, 1947 ई० को जब देश स्वतन्त्र हुआ तो वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 1947 ई० से मृत्यु पर्यन्त भारत के प्रधानमंत्री बने रहने का गौरव प्राप्त है। अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में देश की सेवा बड़ी निष्ठा से की। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रयोग उन्हीं की देन है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें 'चाचा नेहरू' कहते थे। 27 मई 1964 ई० को देश के इस महान सेनानी का निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू ऐसे महान नेता थे जिन्होंने विश्व-शान्ति का सन्देश दिया। वे आज भी जन-जन के मन में निवास करते हैं।

दादाभाई नौरोजी (1825–1917)

'भारत के वृद्ध पितामह' (Grand Man of India) के रूप में विख्यात दादाभाई नौरोजी का जन्म 4 सितम्बर 1825 ई० को बम्बई में हुआ था। इनकी शिक्षा बम्बई के ही एल्फिन्सटन कालेज में हुई। शिक्षा पूरी करने के पश्चात् वे उसी कालेज में गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1853 ई० में उन्होंने 'बम्बई एसोसिएशन' (Bombay Association) की स्थापना की। 1856 ई० में उन्होंने अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया और 'केम एण्ड सन्स' नामक पारसी कम्पनी में नौकरी करने लगे। व्यापारिक कार्य से उन्हें इंग्लैण्ड जाने का अवसर मिला जहाँ उन्होंने 1876 ई० में बड़ौदा राज्य के दीवान पद पर नियुक्त हो गए। रियासत के रेजीडेण्ट से मतभेद होने के कारण दीवान पद से त्यागपत्र दे दिया।

दादाभाई नौरोजी का विचार था कि सरकार को पशुबल पर नहीं नैतिक बल पर आधारित होना चाहिए स्वराज्य के सम्बन्ध में उनके विचार थे— "हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान हम अधिकारों का जिक्र नहीं करते हम स्वशासन चाहते हैं।" उन्होंने भारतीयों के लिए तीन मांगे रखी—

1. भारतीयों को स्वराज्य पाने का अधिकार है।
2. भारतीयों की उच्च सरकारी पदों पर अधिकाधिक नियुक्तियाँ हों।
3. भारत और इंग्लैण्ड के बीच न्यायपूर्ण आर्थिक सम्बन्ध रहें।

वे तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे (1886, 1893 तथा 1906)। दादाभाई नौरोजी ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था “निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन”। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की स्थिति दासों के समान थी। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 1917 ई0 में हो गई वे एक महान देशभक्त थे।

गोपालकृष्ण गोखले (1866–1915)

गोपालकृष्ण गोखले का जन्म 9 मई, सन् 1866 ई0 को कोल्हापुर राज्य में हुआ था। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली और 20 वर्ष की अल्प आयु में वे प्रोफेसर बन गए। 39 वर्ष की आयु में ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वे पूना सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक अखबार के सम्पादक बन गए। उन्होंने सन 1905 ई0 में ‘भारत सेवक समाज’ की स्थापना की। उनमें सेवाभाव, आत्म-त्याग तथा देश प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ था।

सन् 1905 ई0 में गोखले भारत की ओर से प्रचारार्थ इंग्लैण्ड गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने वहाँ महात्मा गाँधी जी के कार्यों में सहायता की। बाद में भारत आने पर उन्होंने वैधानिक तरीके से भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने के लिए प्रेरित किया। 19 फरवरी 1915 को गोखले की मृत्यु हो गई।

गोखले कितने निर्मल और पवित्र थे उन्हीं के शब्दों में देखिए, “तुम लोग मेरा जीवन चरित्र लिखने न बैठना, मेरी मूर्ति बनवाने में भी अपना समय न लगाना तुम लोग भारत के सच्चे सेवक होगे तो अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण करना अर्थात् भारत की ही सेवा करने में अपनी आयु व्यतीत करना।”

सुभाषचन्द्र बोस

सुभाषचन्द्र बोस का जन्म उड़ीसा की राजधानी कटक में 23 जनवरी 1897 ई0 में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर जानकी नाथ बोस कटक की नगरपालिका के प्रधान तथा गणमान्य वकीलों में से थे। उनकी माता श्रीमती प्रभावती बोस पुराने धार्मिक विचारों की सरल स्वभाव वाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की। 17 वर्ष की अवस्था में वे बिना किसी को सूचित किए हिमालय सत्य की खोज में चल दिए। 6 माह भटकने के बाद वे घर वापस लौट आए। 1919 ई0 में उन्होंने बी0ए0 परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने विलायत से आई0सी0एस0 की परीक्षा पास की और सिविल सेवा में ले लिए किन्तु उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के विरोध की भावना थी। अतः उन्होंने आई0सी0एस0 नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अहिंसा का समर्थन न करने के कारण गांधी जी से उनका मतभेद हो गया। सरकार ने सुभाष के क्रान्तिकारी कार्यों से घबराकर 1924 ई0 में उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया और तीन साल तक नजरबन्द रखा इन्होंने युवक कांग्रेस (कांग्रेस प्रजातंत्रात्मक) का गठन किया। सुभाषचन्द्र बोस ने चार वर्षों तक विदेशों में भ्रमण किया यूरोप से वापस आने पर वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए।

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ में ही सरकार ने सुभाषचन्द्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और घर पर नजरबन्द कर दिया। इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और एक दिन वे भाग निकले और वेश बदलकर कलकत्ता से दिल्ली पेशावर, काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। जहाँ हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। जापान की सहायता से इन्होंने 1943 ई० में मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को संगठित करके आजाद हिन्द फौज का नेतृत्व किया। उनका नारा था, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा।'

आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेज सेना का मुकाबला किया और अंग्रेजों की नाम में दम कर दिया किन्तु 1945 ई० में जापान की आकस्मिक हार के बाद आजाद हिन्द फौज को हथियार डालने पड़े। इसके बाद सुभाषचन्द्र बोस जिस वायुयान से टेकियों जा रहे थे उसमें आग लग गई। वह टूटकर गिर गया। सारे देश में इस समाचार से शोक की लहर फैल गई।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत छोड़ो आन्दोलन चलाया गया था—

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (क) 1946 ई० में | (ख) 1939 ई० में |
| (ग) 1942 ई० में | (घ) 1930 ई० में |

2. प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हुआ—

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (क) 1929 ई० में | (ख) 1930 ई० में |
| (ग) 1931 ई० में | (घ) 1932 ई० में |

3. 1929 ई० में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी—

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| (क) गोपालकृष्ण गोखले ने | (ख) लाला लाजपत राय ने |
| (ग) पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने | (घ) महात्मा गांधी ने |

4. महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी—

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (क) 1947 ई० में | (ख) 1948 ई० में |
| (ग) 1949 ई० में | (घ) 1950 ई० में |

5. भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई—

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (क) 15 अगस्त 1947 को | (ख) 15 अगस्त 1948 को |
| (ग) 15 अगस्त 1946 को | (घ) 15 अगस्त 1945 को |

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

6. असहयोग आन्दोलन कब और किसने चलाया?
7. "स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।" यह कथन किसका है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

8. भारत छोड़ो आन्दोलन के क्या कारण थे ?
9. भारत में क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के लक्ष्य बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

10. महात्मा गांधी के जीवन परिचय का उल्लेख करते हुए उनके स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान का वर्णन कीजिए।
11. पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए तथा राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं का विवरण दीजिए।
12. बालगंगाधर तिलक एवं सुभाषचन्द्र बोस का जीवन परिचय देते हुए उनके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।

जलवायु एवं मौसम

पृथ्वी के जिस धरातल पर हम रह रहे हैं, उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैसों से स्वतन्त्र रूप से विद्यमान होती हैं। इन गैसों के मिश्रण को ही हम "वायु" के नाम से सम्बोधित करते हैं। वायु सम्पूर्ण पृथ्वी को एक आवरण के रूप में घेरे रहती है। वायु का यही आवरण "वायुमण्डल" कहलाता है। वायुमण्डल, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणामस्वरूप पृथ्वी से आबद्ध रहता है।

प्रमुख बिन्दु

- मौसम
- जलवायु
- जलवायु और मौसम में अन्तर
- जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व
 - प्राकृतिक तत्व
 - मानवीय तत्व

मौसम

वायुमण्डल की दशाएं वर्ष भर एक समान नहीं रहती हैं। इसमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक परिवर्तन होते रहते हैं। वायुमण्डल की दशाओं में परिवर्तन उसके घटकों तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता, मेघाच्छादन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता है। किसी भी स्थान विशेष में वायुमण्डलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन यदि लघु समयावधि में होता है तो उसे "मौसम" कहते हैं। इस लघु समयावधि में दिन, सप्ताह या महीना को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी स्थान विशेष पर वायुमण्डल की दशाओं का अल्पकालीन योग मौसम कहलाता है। यह वायुमण्डल की क्षणिक दशा का द्योतक है। ध्यातव्य है मौसम की उत्पत्ति मुख्यतः उन विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा होती है जो सूर्य से प्राप्त विकिरण की विषमता को दूर करने का प्रयास करती है। मौसम की अभिव्यक्ति उसके अनेक तत्वों के समन्वित रूप में की जाती है।

जलवायु

जलवायु को अंग्रेजी भाषा में क्लाइमेट (Climate) नाम से संबोधित किया जाता है। 'क्लाइमेट' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द 'क्लाइमा' से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है— झुकाव या ढाल। ग्रीक विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की परिवर्तनशील वायुमण्डलीय दशाओं का मूल कारण सूर्य की किरणों का झुकाव था।

जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमण्डलीय दशाओं को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में जलवायु लम्बे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है अर्थात् किसी बड़े भू-भाग के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु निश्चित करने के लिए उस क्षेत्र में लम्बे समय के प्रेक्षित मौसम की औसत दशाएँ ज्ञात की जाती हैं।

प्रशिक्षुओं से मौसम एवं जलवायु में अन्तर पर चर्चा करें।

मौसम तथा जलवायु में अन्तर

मौसम	जलवायु
<ul style="list-style-type: none"> ● अल्पकालिक वायुमण्डलीय दशाएँ ● दिन-प्रतिदिन परिवर्तनशील ● लघु भू-भाग से सम्बन्धित ● अस्थायी प्रकृति ● जलवायु का विभेदीकरण 	<ul style="list-style-type: none"> ● दीर्घकालिक वायुमण्डलीय दशाएँ ● वर्षभर के मौसम का औसत ● विस्तृत भू-भाग से सम्बन्धित ● अपेक्षाकृत अधिक स्थायी प्रकृति ● मौसम का समेकन

जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व

वायुमण्डल की दशाओं में प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों की मात्रा, तीव्रता, गहनता एवं उनके वितरण में अन्तर के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। ध्यातव्य है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की जलवायु सम्बन्धी दशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान एवं एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम एवं जलवायु के तत्वों को ही जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी कहते हैं। इन्हें जलवायु के नियंत्रणकारी कारक भी कहा जाता है। ऐसे कारक निम्न प्रकार के हैं—



● प्रशिक्षुओं से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को एक-एक कर सविस्तार चर्चा करें।

अक्षांशीय स्थिति

किसी भी स्थान विशेष की जलवायु पर उस स्थान का अक्षांश बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य की विकिरण धरातलीय सतह पर बनाए गए कोण या झुकाव पर निर्भर करती हैं। सूर्य की किरणें यदि सीधी पड़ती हैं तो धरातलीय सतह शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि तिरछी किरणों के प्रभाव में धरातल अपेक्षाकृत कम गर्म होता है। यही कारण है कि उच्च अक्षांशीय भागों में कम तापमान तथा निम्न अक्षांशीय भागों में अपेक्षाकृत उच्च तापमान अंकित किया जाता है।

समुद्र तल से ऊँचाई

समुद्रतल से ऊँचाई वाले स्थानों पर जाने पर जलवायु के तत्व भी प्रत्यक्षतः प्रभावित होते हैं। अत्यधिक ऊँचाई पर वायुमण्डलीय पर्तों की मोटाई में कमी आने से भार में कमी आ जाती है। फलतः वायुदाब कम अंकित किया जाता है। ऊँचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान घटता जाता है। अतः अत्यधिक ऊँचाई वाले भागों में सदैव हिम जमा रहती है।

पर्वतों की दिशा

पर्वतों की दिशा, पवन प्रवाह के लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार होती है। पवनें तापमान एवं वर्षा को प्रभावित करती हैं। फलतः पर्वतों की दिशा तापमान को प्रभावित करके जलवायु को नियन्त्रित करती है। उदाहरणार्थ— शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को अवरोधक के रूप में हिमालय भारत में प्रवेश करने से रोकता है। फलतः शीत ऋतु में भारत का तापमान अधिक नहीं गिरता है।

प्रशिक्षुओं से सामूहिक चर्चा द्वारा स्पष्ट करें कि हिमालय तथा पश्चिमी घाट पर्वत के कारण ही भारत में आर्द्र जलवायु पायी जाती है।

सागरीय प्रभाव

सागरीय भागों से निकटता तथा दूरी, जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ऐसे स्थलीय भाग जो सागर तट के निकटस्थ होते हैं, वहाँ की जलवायु सम होती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे स्थलीय भू-भाग जो सागरीय तटों से दूरस्थ होते हैं, वहाँ तापीय दशाएँ विषम होती हैं। ध्यातव्य है महासागरीय भागों में अनवरत रूप से गतिमान महासागरीय धाराएँ भी तटवर्ती भागों को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती हैं। गर्म जल धाराएँ तटीय प्रदेशों को गर्म तथा ठण्डी जलधाराएँ तटीय प्रदेशों को ठण्डा बनाए रखती हैं।

पवन दिशा

किसी स्थान विशेष की जलवायु में पवन दिशा अहम् भूमिका अदा करती है। शीत प्रदेशों से आने वाली पवनें सदैव ठण्डी होती हैं और गन्तव्य प्रदेश में आकर एवं पवनें तापमान को काफी कम कर देती हैं। इसी प्रकार गर्म प्रदेशों से आने वाली पवनें गन्तव्य प्रदेश में आकर तापमान को बढ़ा देती हैं। सागर से आने वाली पवनें आर्द्र तथा स्थल से आने वाली पवनें शुष्क होती हैं।

वायुमण्डलीय दबाव

जलवायु पर नियन्त्रणकारी कारक के रूप में वायुमण्डलीय दबाव एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन भागों में तापमान अधिक होता है वहाँ निम्न वायुदाब एवं जिन भागों में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, वहाँ उच्च वायुदाब अंकित किया जाता है। उच्च वायुदाब शुष्क मौसम का प्रतिनिधित्व करता है जबकि निम्नवायु दबाव आर्द्र मौसम का द्योतक है।

जल-स्थल वितरण

यह सर्वविदित सत्य है कि जल और स्थल समान दर से ठण्डे तथा गर्म नहीं होते हैं। जल की तुलना में स्थलीय भाग अपेक्षाकृत शीघ्रता से गर्म एवं ठण्डे होते हैं। इसके विपरीत जलीय भाग धीरे-धीरे गर्म एवं ठण्डे होते हैं। इसी विशेषता से जलवायु प्रभावित होती है। महाद्वीपीय भागों में दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर अधिक होता है। स्थलीय भागों में आर्द्रता की मात्रा भी कम पायी जाती है। वहीं दूसरी ओर सागरीय भागों में दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर कम पाया जाता है। इन भागों में आर्द्रता की मात्रा भी अत्यधिक पाई जाती है।

धरातलीय बनावट

पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है। धरातलीय ढाल, मृदा का प्रकार व गठन भी जलवायु पर नियन्त्रण करने में उत्तरदायी है। जहाँ एक ओर काली मृदा ताप का अधिक तीव्रता से अवशोषण करती है वहीं दूसरी ओर बालू में तापमान का अवशोषण एवं निःसरण शीघ्रता से होता है।

प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि मरुस्थलीय भागों में दिन में अत्यधिक गर्मी तथा रातें सुहावनी हो जाती हैं क्यों?

जलवायु को प्रभावित करने वाले उक्त प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त मानवीय क्रियाकलापों ने भी जलवायु को प्रभावित किया है। मानव समाज द्वारा वनस्पतियों की कटाई करके तापमान एवं आर्द्रता विनिमय को कुप्रभावित किया जा रहा है। आज हमें इसके परिणाम वर्षा में कमी के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि विस्तृत क्षेत्रों में जलवायु में परिवर्तन कर पाना मानव के वश में नहीं है किन्तु विज्ञान और तकनीक की बढ़ती भूमिका, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की चाहत ने जलवायु में संशोधन एवं परिमार्जन अवश्य किया है। सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन में औद्योगिक प्रदूषण, प्राकृतिक वनस्पतियों की कटाई, कृत्रिम वर्षा कराना, वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों का निःसरण इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है।

इन्हें भी जानें—

- जलवायु शब्द 'जल' एवं 'वायु' से मिल कर बना है। जल वायुमण्डल में उपस्थित आर्द्रता का एवं वायु वायुमण्डल में उपस्थित गैसों का बोध कराती है।
- मानव विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम जलवायु शीतोष्ण जलवायु मानी जाती है।
- मानव सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है।

प्रशिक्षुओं से जलवायु परिवर्तन के कारकों व प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

- मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है—
(क) तापमान (ख) जलवायु
(ग) वायुदाब (घ) इनमें से कोई नहीं
- वायुमण्डल की अल्पकालीन दशा कहलाती है—
(क) जलवायु (ख) ऋतु
(ग) मौसम (घ) उपर्युक्त सभी
- जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है?—
(क) क्लिमा (ख) क्लाइमा
(ग) क्लिनो (घ) क्लाइनो
- जलवायु में जल शब्द का व्यापक अर्थ है—
(क) वायुमण्डलीय आर्द्रता (ख) वर्षा
(ग) सतही जल (घ) भूमिगत जल

अतिलघु उत्तरीय

- जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन-कौन से हैं?
- वायुमण्डल की दीर्घकालिक दशा क्या कहलाती है?

लघुउत्तरीय प्रश्न

- जलवायु किसे कहते हैं?
- मौसम से आप क्या समझते हैं?
- जलवायु और मौसम में अन्तर बताइए?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- जलवायु में एक संशोधन एवं परिमार्जनकर्ता के रूप में मानवीय क्रियाकलापों व उसके प्रभावों पर निबंध लिखिए।

उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश

भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य भारतवर्ष के लगभग उत्तर मध्य भाग में अवस्थित एक सीमान्त राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति 23°52'उ० अक्षांश से 30°24'उ० अक्षांश के मध्य एवं 77°05' पूर्वी देशान्तर से 84°38' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। प्रदेश की पूरब से पश्चिम में कुल लम्बाई लगभग 650 किलोमीटर एवं कुल चौड़ाई लगभग 240 किमी० है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी० है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चात् चतुर्थ है।

प्रमुख बिन्दु—

- विस्तार
- प्रमुख नगर
- मानव जनजीवन
- प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ
- प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ

उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल एवं उत्तराखण्ड, उत्तर पश्चिम में हिमांचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, दक्षिण में मध्यप्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार एवं झारखण्ड अवस्थित है।

- भारत के राजनैतिक मानचित्र की सहायता से प्रशिक्षुओं को उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करने वाले राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की पहचान कराइए।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों को स्पर्श करने वाले सीमावर्ती राज्यों की पहचान कराइए।

प्रदेश की सीमाओं के निर्धारण में प्राकृतिक स्थलाकृतियों या भूदृश्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के उत्तर में शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी एवं विन्ध्यन पर्वतमाला एवं पूर्वी सीमा गण्डक नदी द्वारा निर्मित की जाती है।

प्रदेश के प्राकृतिक विभाग—

उत्तर प्रदेश राज्य को मुख्य रूप से तीन प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। ये प्राकृतिक प्रदेश उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश के रूप में अवस्थित हैं।

भाबर एवं तराई प्रदेश

प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवालिक की पदस्थली में अवस्थित कंकड़-पत्थरों से निर्मित पतली पट्टी के रूप में विस्तृत भाग भाबर के नाम से सम्बोधित किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ कंकड़-पत्थर मैदान में गिरकर फैल जाते हैं। यही प्राकृतिक भूखण्ड भाबर के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में इसका विकास पश्चिम में सहारनपुर से लेकर

कुशीनगर तक है। ध्यातव्य है पश्चिम से पूरब की ओर हम ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं, भाभर क्षेत्र की चौड़ाई कम होती जाती है।

भाभर पट्टी के ठीक दक्षिणी भाग में तराई प्रदेश की पट्टी पाई जाती है। इस भाग की मुख्य विशेषता यह है कि यह भाग अधिक वर्षा एवं जलप्लावन के कारण दलदली क्षेत्र के रूप में होता है। इस भाग में महीन अवसादों के कारण मृदा उपजाऊ होती है। यह समतल क्षेत्र होता है। यह प्रदेश सघन वृक्षों एवं लम्बी लम्बी घासों से युक्त है। इस भाग में गन्ना, गेहूँ एवं धान की फसलों की रिकार्ड पैदावार की जा रही है। इतना ही नहीं इस भाग में जूट की कृषि भी की जाने लगी है। इस प्राकृतिक प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, रामपुर, बरेली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जैसे नगर अवस्थित हैं। इस भूभाग की जलवायु स्वास्थ्य की दृष्टि से कम उपयुक्त है। दलदली भूमि होने के कारण यहाँ मच्छरों का प्रकोप अधिक होता है।

जहाँ तक मानव जनजीवन एवं क्रिया-कलापों का प्रश्न है भाभर व तराई प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योग-धन्धों की प्रचुरता देखी जा सकती है। इनमें बरेली, नजीबाबाद एवं ज्वालापुर में बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग, मेरठ में खेल का सामान निर्माण उद्योग प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इस प्राकृतिक प्रदेश में गन्ना, धान, गेहूँ, जूट की प्रमुख रूप से खेती की जाती है।

गंगा-यमुना का मैदानी भाग

इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दक्षिणी पठारी भू-भाग एवं उत्तरी भाभर एवं तराई प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में चौड़ी पट्टी के रूप में है। इस प्रदेश की पश्चिमी एवं पूर्वी भाग की सीमा प्राकृतिक रूप से क्रमशः यमुना तथा गंडक नदियों द्वारा बनाई गई है। इस मैदानी भाग को गंगा-यमुना का दोआब भी कहा जाता है क्योंकि इस भाग में गंगा एवं यमुना नदियों व इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों/निक्षेपों से इनकी रचना हुई है। इनमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा एवं गंडक प्रमुख हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होने के कारण यह अन्य प्राकृतिक प्रदेशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ प्राकृतिक प्रदेश है। जहाँ तक इस प्राकृतिक प्रदेश के ढाल का प्रश्न है, इसका ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है।

इस प्राकृतिक प्रदेश में गंगा-यमुना व इनकी सहायक नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए निक्षेपों के आधार पर इस मैदान को दो उपविभागों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. खादर

2. बांगर

खादर, मैदानी भाग में अवस्थित ऐसा भू-भाग होता है, जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी उसे सिंचित करता है। इस भाग में प्रतिवर्ष नदियों द्वारा जलोढ़ को परत दर परत जमा किया जाता है। यहा मृदा अत्यन्त उपजाऊ होती है। इस मृदा में सामान्यतः पोटैश, मैग्नीशियम, चूना एवं जीवावशेषों

की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। क्षेत्रीय दृष्टि से इसे नवीन कॉप, नूतन जलोढ़, मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे कछार भी कहा जाता है।

मैदानी भाग में बाँगर, ऐसे पुरातन जलोढ़ वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच पाता है अर्थात् वर्तमान बाढ़ की सीमाओं से ऊपर अवस्थित क्षेत्र बांगर कहलाता है। इन्हें उपरहार के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटैश जैसे तत्वों की अपेक्षाकृत न्यूनता पाई जाती है।

जहाँ तक इस प्रदेश के मानव जीवन एवं क्रियाकलाप का प्रश्न है। इस प्रदेश में उपजाऊ मृदा के पाए जाने के कारण कृषि कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। इस भाग में सभी प्रकार की (यथा—रबी, खरीफ, जायद की) फसलों की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती है। फसलों में गेहूँ, चावल, कपास, सरसों, गन्ना, जूट, इत्यादि के अतिरिक्त सब्जियों एवं फलों का उत्पादन बहुतायत रूप से किया जाता है। इस भाग में कच्चे माल आधारित विविध प्रकार के उद्योग—धन्धों का विकास हुआ है।

जहाँ एक ओर उपजाऊ भूमि से कृषि व पशुपालन एवं विकसित उद्योगों द्वारा यह प्रदेश विकसित है वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश में सघन जनसंख्या के कारण बड़े-बड़े नगरों का विकास भी हुआ है। इसी भाग में प्रदेश के दसलाखी नगरों की भी अवस्थिति है। इनमें कानपुर नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद प्रमुख हैं। इन बड़े-बड़े नगरों में नवीन उद्योगों का विकास यथा— सेवाक्षेत्र संबंधी उद्योग, पर्यटन उद्योग का विकास हुआ है। साथ ही सूती वस्त्र उद्योग, औषधि निर्माण, साबुन उद्योग, चीनीमिट्टी, ज़रदोजी कला, गलीचा निर्माण भी प्रचलित है।

दक्षिणी पहाड़ी—पठारी क्षेत्र

राज्य के दक्षिणी भाग में अवस्थित इस प्राकृतिक प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 45200 वर्ग किमी० है। इस भू-भाग के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ध्यातव्य है यह प्रदेश भारत के दक्कन के पठार का विस्तार मात्र है। इस भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना नदी एवं गंगा नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण सीमा विन्ध्यन पर्वत द्वारा पूरब में केन नदी द्वारा, पश्चिम में वेतवा नदियों द्वारा निर्धारित है।

इस प्राकृतिक प्रदेश के अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बाँदा, इलाहाबाद की मेजा और करछना तहसीलें, मीरजापुर व चन्दौली की कुछ तहसीलें इसमें सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की सामान्य ऊँचाई लगभग 300 मीटर है। बुंदेलखण्ड का निर्माण दक्षिणी उच्च प्रदेश में विन्ध्यन काल की प्राचीनतम नीस चट्टानों व निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मृदा से हुआ है। इस प्रदेश में कम वर्षा के कारण पठारी क्षेत्र में वृक्ष-वनस्पतियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना एवं गेहूँ हैं।

इस प्रदेश में वर्षा की कमी एवं अनुपजाऊ मृदा के कारण विकास कम हो पाया है। यद्यपि वेतवा नहर ने सिंचन क्षमता में इस क्षेत्र में अभिवृद्धि की है।

जहाँ तक मानवीय क्रियाकलापों एवं मानव जनजीवन का प्रश्न है प्रदेश के इस भाग में खनिजों की प्रचुरता है। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीवाश्मी एवं अन्य खनिज पाए जाते हैं। इसमें चूनापत्थर, कोयला, बाक्साइट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, एण्डोलसाइट, पाइरोफिलाइट, सेलखड़ी, पाइराइट, चाइना क्ले, राकफास्फेट, हीरा, सोना, ताँबा, यूरेनियम, एस्बेस्टस, जिप्सम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। यही कारण है कि इस प्राकृतिक प्रदेश में खनन उद्योग प्रचलित है जिसमें काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। विद्युत उत्पादन संयंत्र, स्टील प्लांट, एल्युमिनियम उत्पादन उद्योग इस प्रदेश में विकसित है। साथ ही झांसी में औषधि निर्माण, कालपी में हाथ से कागज निर्माण उद्योग भी प्रचलित है। क्षेत्र में पौराणिक काल के एवं प्राचीन काल, मध्य काल के विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक नगर हैं। इनमें ललितपुर का दशावतार मन्दिर, कालिंजर का किला, आदि दर्शनीय स्थल हैं।

- भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान-झांसी
- पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र-महोबा
- हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन- रेनूकूट (सोनभद्र)
- ट्रांसफार्मर फैक्ट्री- झांसी
- सीमेंट फैक्ट्री- चुर्क व डाला (सोनभद्र)
- राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र- झांसी

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ

भारतीय समाज की कुछ जातियाँ एक लम्बे समय तक आधुनिक सभ्यता की मुख्य धारा से अलग रही हैं, जिनके कारण उनका शोषण होता रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के सम्बन्ध में लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा। अतः अस्पृश्यता एवं सामाजिक निर्योग्यताओं के कारण कुछ जातियों, वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, किन्तु संविधान के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकरणों की संस्तुति पर कोई भी जाति अनुसूचित घोषित की जा सकती है। अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन संसदीय कानूनों द्वारा ही किया जा सकता है।

वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जातियों का प्रश्न है प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.69 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। ध्यातव्य है कि देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है।

जबकि देश में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की दृष्टि पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जिले सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, खीरी इत्यादि हैं। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जनपद बागपत, श्रावस्ती, गौतमबुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर हैं। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद क्रमशः कौशाम्बी (34.72%), सीतापुर (32.26%), हरदोई (31.14%), उन्नाव (30.52%), रायबरेली (30.26%) है। जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से ही न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले जनपद बागपत, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 90% है, जबकि साक्षरता प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजातियाँ

अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की पहचान आसान है। इस सम्बन्ध में सामान्य धारणा है कि जिनमें जनजातीय लक्षण हैं और जनसंख्या की मुख्य धारा से अलग-थलग रहे हैं, वे अनुसूचित जनजाति के लोग कहलाते हैं। सामान्यतया वे जंगल, पहाड़ जैसे दूरस्थ एकांत, निर्जन क्षेत्रों में वास करते हैं। इन्हें बनवासी, आदिवासी जैसे नामों से भी सम्बोधित किया जाता है। इनमें से 'आदिवासी' शब्द का सर्वाधिक उपयोग होता है। यद्यपि भारतीय संविधान में इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है। जहाँ एक ओर देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। वहीं प्रदेश में इनकी जनसंख्या वर्तमान में (2011 की जनगणना के अनुसार) 0.6% है। प्रदेश के सामान्यतः समस्त जिलों में अनुसूचित जनजाति की कुछ न कुछ जनसंख्या अधिवासित है। प्रदेश में सोनभद्र जनपद में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। वहीं दूसरी ओर इनकी जनसंख्या बागपत जनपद में न्यूनतम है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पाँच जनजातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया था। प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के पृथक् हो जाने के परिणामस्वरूप पुनः वर्ष 2003 में संशोधन आदेश के उपरान्त अन्य को भी जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

क्र.सं.	जनजातियाँ	निवासरत जनपद
1	गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, ओझा, राजगोंड	महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ,
2	खरवार/खैरवार	आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र

3	सहरिया	बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र
4	परहरिया	ललितपुर
5	बैगा	
6	पनिका, पंखा	सोनभद्र
7	अगरिया	सोनभद्र
8	पटारी	मीरजापुर, सोनभद्र
9	चेरो	सोनभद्र
10	भुनिया एवं भुइया	सोनभद्र, वाराणसी

प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ

थारू—

जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में इस अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। प्रदेश के तराई क्षेत्र में अवस्थित जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में यह जनजाति पाई जाती है। इनकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इनके व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, जड़ी-बूटी इत्यादि एकत्रीकरण इनका प्रमुख व्यवसाय है। लखीमपुर जनपद में इनके लिए एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है।

बुक्सा—

प्रदेश के बिजनौर जनपद में छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में इनका निवास है। इनका प्रिय भोजन मछली व चावल है। ये हिन्दीभाषी हैं।

खरवार—

जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, मीरजापुर एवं सोनभद्र में इनका निवास है। यद्यपि इनका मूल क्षेत्र झारखण्ड राज्य का पलामू है।

प्रशिक्षुओं से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

- (1) क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है—
(क) प्रथम (ख) द्वितीय
(ग) तृतीय (घ) चतुर्थ
- (2) प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस देश को स्पर्श करती है—
(क) श्रीलंका (ख) बांग्लादेश
(ग) नेपाल (घ) पाकिस्तान
- (3) प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग खनिज की दृष्टि से धनी है?—
(क) दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र (ख) मैदानी क्षेत्र
(ग) भाभर व तराई (घ) इनमें से कोई नहीं
- (4) भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है—
(क) झांसी (ख) मुरादाबाद
(ग) लखनऊ (घ) गोरखपुर
- (5) प्रदेश में सहरिया जनजातियाँ पाई जाती हैं—
(क) बलिया (ख) महाराजगंज
(ग) बस्ती (घ) ललितपुर

अतिलघुउत्तरीय प्रश्न

- (6) प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ-कहाँ पाई जाती है?
- (7) 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है ?
- (8) प्रदेश के किस प्राकृतिक विभाग में सर्वाधिक दसलाखी नगर हैं ?

लघुउत्तरीय प्रश्न

- (9) खादर व बांगर प्रदेश की विशेषताएँ लिखिए?
- (10) प्रदेश में दक्षिणी पहाड़ी व पठारी प्रदेश के मानवीय क्रियाकलाप बताइए?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

- (11) उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में से किसी एक प्राकृतिक प्रदेश के विस्तार, प्रमुख नगर व क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए ?

भूमण्डलीकरण

वैश्विक पटल पर भूमण्डलीकरण की संकल्पना का प्रचलन अपेक्षाकृत नवीनतम है। भूमण्डलीकरण विभिन्न देशों (Globe) के बीच तीव्रगति से होने वाली एकीकरण की प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत समस्त विश्व के देशों को एक-दूसरे के नजदीक लाने का समेकित प्रयास समाहित है। 'भूमण्डलीकरण' शब्द का सर्वप्रथम 1970 के दशक में आरम्भ हुआ जब उपग्रहीय मानचित्रण के आधार पर विश्व को 'नीला ग्रह' कहा जाने लगा। 1980 के दशक के आते-आते विश्व को 'वैश्विक ग्राम' की संज्ञा दी जाने लगी। वर्तमान में भूमण्डलीकरण का प्रयोग वस्तुओं, सेवाओं एवं पूँजी के विश्वव्यापी बाजार के अर्थ में किया जाने लगा है। भूमण्डलीकरण के प्रसार में वस्तुओं और सेवाओं ने ही नहीं अपितु विचारों के मुक्त प्रवाह ने भी प्रभाव डाला।

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु—

- परिभाषा, प्राचल, घटक
- भूमण्डलीकरण के रूप
- भूमण्डलीकरण की उत्पत्ति के कारक
- मार्गदर्शक सिद्धान्त
- भूमण्डलीकरण के प्रभाव
- राजनीतिक प्रभाव
- आर्थिक प्रभाव
- सांस्कृतिक प्रभाव
- भारत पर प्रभाव

वैश्वीकरण एक ऐसी निरन्तर गतिमान प्रक्रिया है, जिसके तहत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति का समन्वय विनिमय के वैश्विक नेटवर्क से हो गया है। विभिन्न विद्वानों ने भूमण्डलीकरण को अपने-अपने तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं—

“भूमण्डलीकरण दुनिया के विभिन्न देशों और लोगों का घनिष्ठ समन्वय है, जो परिवहन एवं संचार की लागतों में लाई गई भारी कमी के परिणामस्वरूप हो पाया है और इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कृत्रिम बाधाएँ समाप्त की गयी हैं और अपनी सीमा से परे लोगों का आना जाना बढ़ है।” —स्टिग्लिट्ज

आर्थिक भूमण्डलीकरण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया समाविष्ट होती है। यह व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अल्पकालिक पूँजी प्रवाह, श्रम तथा सामान्यतः मानव जाति के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह और तकनीकी प्रवाह द्वारा सम्पन्न किया जाता है। —जगदीश भगवती

इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूँजी, श्रम इत्यादि के उन्मुक्त प्रवाह में बिना किसी व्यवधान के विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को समेकित करने की प्रक्रिया है। इसके चार प्राचल (Parameters) हैं—

- विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के उन्मुक्त प्रवाह में बाधा डालने वाले व्यापारिक व्यवधानों में कटौती करना।
- ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना जिससे राष्ट्रों के मध्य पूँजी का निर्बाध प्रवाह हो सके।
- प्रौद्योगिकी के उन्मुक्त प्रवाह के लिए स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना।
- विकासशील देशों के दृष्टिकोण से ऐसे पर्यावरण तैयार करना जिससे विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का उन्मुक्त प्रवाह हो सके।

व्यापार प्रवाह



भूमण्डलीकरण के रूप

भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों। परिणामतः वैश्विक उत्पादन केन्द्रों का समन्वयन हो रहा है। किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमण्डलीकरण को केवल आर्थिक रूप से नहीं देखा जा सकता है। इसे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी, विचार, राजनीति इत्यादि पर भी देखा जाता है। वस्तुतः भूमण्डलीकरण के मूल में प्रवाह या इनपलो है। यह प्रवाह आर्थिक, राजनैतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि सभी रूपों में हैं। आर्थिक प्रवाह के अन्तर्गत पूँजी, वस्तु, मानव संसाधन और कौशलों का प्रवाह सम्मिलित किया जाता है। जबकि राजनैतिक प्रवाह के तहत लोकतांत्रिक विचारों का प्रवाह समाहित होता है। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक प्रवाह के तहत भाषा, बोली, रहन-सहन, खान-पान, पहनावा, इत्यादि का प्रवाह उल्लेखनीय है। जबकि रक्षा-प्रतिरक्षा, अनुसंधान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धान्तों एवं तकनीकों का आदान-प्रदान इसके अन्तर्गत सम्मिलित रहता है।

भूमण्डलीकरण की उत्पत्ति के कारक

वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण एक आर्थिक परिघटना नहीं है। यही कारण है कि इसकी उत्पत्ति के लिए कोई एकमात्र कारण उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति एक मुख्य कारक के रूप में अवश्य अपनी भूमिका अदा करती है। प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति ने भूमण्डलीकरण को प्रेरित किया किन्तु इसके लिए यह एक मात्र कारण नहीं है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, फ़ैक्स, इण्टरनेट, माइक्रोप्रोसेसर की खोज ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच सूचना के आदान प्रदान के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है। यहाँ तक की विचार, पूँजी, वस्तु और लोगों का विश्व के विभिन्न भागों में आवागमन भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति के कारण सम्भव हो सका है। यद्यपि भूमण्डलीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् राजनीतिज्ञों की सोची समझी रणनीति का प्रतिफल है जिसके तहत उन्होंने व्यापार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाकर लोगों को सम्पन्नता की ओर ले जाने का प्रयत्न किया तथा विश्वबैंक एवं आई०एम०एफ० (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) जैसी संस्थाओं का उदय हुआ। कालान्तर में गैट एवं विश्व व्यापार संगठन भी अस्तित्व में आया जिसके अधोलिखित प्रयत्नों ने मुक्त व्यापार के द्वार खोले—

- प्रशुल्क समाप्त किए गए और मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए जाने लगे।
- परिवहन लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
- पूँजी नियन्त्रण को समाप्त करने व कम करने का प्रयास किया।
- स्थानीय व्यवसायियों को सब्सिडी देने की परम्परा को खत्म करने का प्रयत्न किया।

गैट व विश्व व्यापार संगठन के उपर्युक्त कार्यों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उदारीकरण में सहायता मिली

● प्रशिक्षुओं से विश्व बैंक एवं आई०एम०एफ० के कार्यों पर चर्चा कीजिए।

● विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए।

भूमण्डलीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के मार्गदर्शक सिद्धांत

भूमण्डलीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं—

- व्यापार का उदारीकरण करना, जिसमें मात्रात्मक प्रतिबन्धों के स्थान पर न्यून एवं एक रूप सीमा शुल्क लगाना।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करना।
- राजकोषीय अनुशासन लागू करना।
- कर प्रणाली में सुधार करना अर्थात् कर आधार को विस्तृत करना तथा सीमान्त कर की दर में कमी करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में विनिवेश करना और नवीन निवेश में निजी क्षेत्र को प्रमुखता देकर निजीकरण को बढ़ाना।
- बाजार की शक्तियों द्वारा ब्याज की दरों का निर्धारण करना।
- विनिमय दर को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना तथा मुद्रा को परिवर्तनीय बनाना।
- व्यापार, निवेश तथा प्रतिस्पर्धा के मार्ग में बाधक नियमों को शिथिल करते हुए शून्य करना, यद्यपि सुरक्षा पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण हेतु आवश्यक नियमों एवं प्रतिबन्धों को जारी रखा जा सकता है।
- संस्थागत व संरचनात्मक सुधार करना तथा सरकारी नीतियों में परिवर्तन लाना।
- अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्देशों का पालन करना तथा नीतिगत पारदर्शिता लागू करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना।

इन्हें भी जानें

- 'वैश्विक गाँव' शब्द के जनक थे— मार्शल मैकलुहान
- **बहुराष्ट्रीय कम्पनी**— ऐसी कम्पनियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार एक से अधिक देशों में होता है। यह कम्पनी जिस देश में जन्म लेती है उस देश से बाहर भी कम्पनी के उत्पादन एवं सेवा सुविधा केन्द्र स्थित होते हैं। ऐसी कम्पनी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके प्रमुख निर्णय पूरे विश्व के सन्दर्भ में एक-साथ लिए जाते हैं।

भूमण्डलीकरण के प्रभाव

भूमण्डलीकरण को केवल आर्थिक संदर्भ में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह केवल आर्थिक परिघटना न हो कर सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक परिघटना भी है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भूमण्डलीकरण सूचकांक मापन में भी केवल आर्थिक भूमण्डलीकरण को ही शामिल नहीं किया गया है। अपितु इसके तीन मानकों (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) को निर्धारित किया गया है।

क. भूमण्डलीकरण का राजनैतिक प्रभाव

राजनैतिक क्षेत्र में भूमण्डलीकरण के परिणामस्वरूप वैश्विक शासन (Global Governance) की अवधारणा सामने आई है। वैश्विक शासन में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के मध्य सम्बन्धों का विनियमन करते हैं और सामाजिक, आर्थिक भूमण्डलीकरण से उत्पन्न अधिकारों की गारण्टी प्रदान करते हैं। यथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.) वैश्विक शासन के नियमन में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार कोई एक राष्ट्र आर्थिक कारणों से दूसरे राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उदाहरणार्थ आज पूँजी के प्रभाव के साथ ही भारत की सरकारी नीतियों को भी अमेरिका प्रभावित कर रहा है, यह भूमण्डलीकरण का ही प्रभाव है। ध्यातव्य है अब कोई भी राष्ट्र तानाशाही को अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्योंकि उस पर वैश्विक शासन की ओर से दबाव पड़ता है। आज जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वह केवल एक राष्ट्र या सरकार तक सीमित न होकर वैश्विक समस्याएं हैं। जैसे— जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, भुखमरी, एड्स, मलेरिया, कुपोषण, ऊर्जा संकट, आतंकवाद इत्यादि जैसी समस्याएं किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। फलतः इसका समाधान भी वैश्विक सहयोग और बहुआयामी रणनीति के तहत सम्भव है। यह वैश्वीकरण का ही परिणाम है जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, चिन्तन बैठकों का आयोजन कर समस्याओं के समाधान हेतु समझौते किए जा रहे हैं।

ख— भूमण्डलीकरण का आर्थिक प्रभाव

भूमण्डलीकरण का सर्वाधिक प्रभाव वस्तुतः आर्थिक क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। इतना ही नहीं भूमण्डलीकरण के अन्य प्रभावों के मूल में भी आर्थिक प्रभाव समाहित है। आर्थिक भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्व के विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह तीव्र हो जाता है। ध्यातव्य है कि कुछ आर्थिक प्रवाह स्वैच्छिक होते हैं, तो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विकसित देशों द्वारा अनैच्छिक रूप से लादे गये होते हैं। भूमण्डलीकरण के परिणामस्वरूप वैश्विक साझा बाजार की उत्पत्ति हुई है। एक ऐसा साझा बाजार जिसमें वस्तु, सेवा एवं पूँजी का स्वतंत्रतापूर्वक आदान प्रदान हो रहा है। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है।

प्रशिक्षुओं को विभिन्न समूहों में बाँट कर भूमण्डलीकरण के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा कराएं और उत्पन्न निष्कर्षों पर समूह प्रस्तुतीकरण कराएं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में विश्व के अनेक देशों के उत्पादों की पहुँच बढ़ी है। इतना ही नहीं सेवा क्षेत्रों में तो अब इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है।

ग—भूमण्डलीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव

आज भूमण्डलीकरण का प्रभाव रहन—सहन, खान—पान व मनोरंजन पर प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। भूमण्डलीकरण के परिणामस्वरूप पश्चिमी संस्कृति हमारे विचारों को प्रभावित कर रही है।

विभिन्न प्रकार की मनोरंजन की सामग्रियाँ टेलीविजन, इण्टरनेट व संचार माध्यमों के सहारे घर-घर तक पहुँच रही हैं। भूमण्डलीकरण के इस दौर में विश्व संस्कृति की अवधारणा सामने आई है। इसके आधार के रूप में अंग्रेजी भाषा की लोकप्रियता बढ़ रही है जिसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रकार भूमण्डलीकरण के कारण ही सुदूर इलाकों तक सूचनाओं की पहुँच सुनिश्चित हुई है। इतना ही नहीं तकनीकी के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहन मिलने से प्रकाश तन्तु संचार प्रणाली, कृत्रिम उपग्रह तकनीकी की सहायता से टेलीफोन, इण्टरनेट जैसे संचार साधनों की पहुँच गाँव-गाँव तक संभव हो सकी।

भूमण्डलीकरण का भारत पर प्रभाव

भारत एक विकासशील देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमण्डलीकरण की हवा वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के पश्चात् शुद्ध उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद बही। भारत सरकार ने इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए कदम उठाया जिसे आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। आर्थिक सुधार के नाम पर उठाया गया प्रत्येक कदम वास्तव में भूमण्डलीकरण की ओर अगला कदम था। इन सुधारों की वजह से भारत में आर्थिक वृद्धि दर में रफ्तार आई। दूरसंचार, सड़क, बंदरगाह, बीमा एवं अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश में बढ़ोत्तरी हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के बाद दूसरी सर्वाधिक आर्थिक विकास दर वाली अर्थव्यवस्था हो गयी।

भूमण्डलीकरण के कारण भारतीय उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इस प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध होने लगे। इतना ही नहीं अब इन्हें अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता पहले से कम कीमत पर उपलब्ध हुई। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में अब उच्चतर जीवन स्तर का आनन्द लेने लगे। वहीं दूसरी ओर विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय कंपनियों ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का प्रयत्न किया। भूमण्डलीकरण के कारण बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से शीर्ष भारतीय कंपनियों को लाभ मिला। इन कंपनियों ने नवीन प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन-मानकों को ऊँचा उठाया है।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न—

1. 'वैश्विक गाँव' शब्द के जनक हैं—
(क) मार्शल मैकलुहान (ख) ब्राउन
(ग) जगदीश भगवती (घ) अमर्त्य सेन
2. भारत में भूमण्डलीकरण का आरम्भ माना जा सकता है—
(क) 1999 (ख) 1991
(ग) 2001 (घ) 2010
3. भूमण्डलीकरण सूचकांक मापन मानक हैं—
(क) सामाजिक (ख) आर्थिक
(ग) राजनैतिक (घ) सभी
4. निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सामाजिक-आर्थिक भूमण्डलीकरण से उत्पन्न अधिकारों की गारण्टी प्रदान करते हैं—
(क) आई०एम०एफ० (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ
(ग) विश्व बैंक (घ) सभी

लघुउत्तरीय प्रश्न

5. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों क्या हैं?
6. भूमण्डलीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत लिखिए।
7. विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तथा उसकी भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

8. भूमण्डलीकरण को परिभाषित करते हुए इसके प्रभावों की सविस्तार विवेचना कीजिए।
9. भारत पर भूमण्डलीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए।

उत्तर प्रदेश खनिज सम्पदा शक्ति के साधन

खनिज किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक विकास की कुंजी होते हैं क्योंकि खनिज संसाधन ही पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का आधार होते हैं। इन्हीं के माध्यम से ठोस औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य होने के साथ-साथ खनिज सम्पदा का भी धनी राज्य है। प्रदेश में खनिज संसाधनों के अन्वेषण विकास एवं औद्योगिक स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1955 में 'भू-तत्त्व एवं खनिज

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु

- प्रमुख खनिज
- उनके उपयोग
- प्राप्ति स्थल
- शक्ति के साधन
 - तापविद्युत प्रमुख परियोजनाएं
 - जल विद्युत परियोजनाएं
 - परमाणु ऊर्जा
- नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास
- प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति

कर्म निदेशालय' द्वारा अन्वेषित खनिज भण्डारणों को विकसित करके खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में **उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम** की स्थापना की गई।

उत्तर प्रदेश खनिज नीति को घोषणा वर्ष 1998 में की गई। इस नीति में ही खनिज संसाधनों के विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। प्रदेश में इलाहाबाद, मीरजापुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, झांसी, सहारनपुर, जालौन जिले खनिज संसाधनों के भण्डारण के दृष्टिकोण से धनी हैं।

प्रमुख खनिज

प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख खनिजों में बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूनापत्थर, कांच बालू, पाइरोफिलाइट, फास्फोराइट, गन्धक और कोयला महत्वपूर्ण है। जबकि मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, हीरा, ताँबा, सोना, यूरेनियम भी प्राप्त किए जाते हैं।

चूना पत्थर

भण्डारण की दृष्टि से चूना पत्थर का देश में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। यह प्रदेश के मीरजापुर एवं सोनभद्र जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग चुनार व कजराहट (मीरजापुर) एवं सोनभद्र के चुर्क व डाल्ला सीमेण्ट फैक्ट्रियों में किया जाता है।

कोयला

प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली (सोनभद्र) क्षेत्र से होती है। इस क्षेत्र में इसके खनन का कार्य कोल इण्डिया द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा कोयले का है। यहाँ प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा तापीय विद्युत संयंत्र और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है।

बाँक्साइट

एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बाक्साइट राज्य के बांदा और चन्दौली जनपदों में पाया जाता है। बाक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का कार्य रेणुकूट (सोनभद्र) में हिन्डाल्को कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

डोलोमाइट

राज्य में उच्च कोटि का डोलोमाइट खनिज मीरजापुर के कजराहट क्षेत्र एवं बांदा से प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और तापसह्य बनाने के लिए, पोर्टलैण्ड सीमेण्ट निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं गंधक के तेजाब के निर्माण में किया जाता है।

काँच बालू (सिलिका सैण्ड)

सिलिका सैण्ड के उत्पादन में प्रदेश का अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान है। यह गंगा एवं यमुना नदी से प्राप्त होता है। प्रदेश में इलाहाबाद का शंकरगढ़, चन्दौली का चकिया क्षेत्र, झांसी का मुण्डारी तथा बाला बहेट क्षेत्र, चित्रकूट का लौहगढ़, बोरगढ़ सिलिका सैण्ड उत्पादन क्षेत्र हैं।

एण्डोलसाइट

पोर्सिलेन तथा स्पार्क प्लग उद्योग में उपयोगी इस खनिज विशेष की प्राप्ति मीरजापुर जनपद से की जाती है।

पाइरोफिलाइट

कीटनाशकों के निर्माण एवं सिरमिक उद्योग में उपयोगी खनिज पाइरोफिलाइट का खनन हमीरपुर, ललितपुर व झांसी जनपदों से किया जाता है।

राज्य के खनिज संसाधन	
खनिज	प्राप्ति स्थल
चून पत्थर	मीरजापुर , सोनभद्र
कोयला	सिंगरौली (सोनभद्र)
डोलोमाइट	मीरजापुर , सोनभद्र, बांदा
बाक्साइट	बांदा, चन्दौली
काँच बालू	इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, झांसी, चन्दौली
पोटास लवण	इलाहाबाद, चन्दौली, बांदा, झांसी
सेलखड़ी	झांसी, हमीरपुर

संगमरमर	मीरजापुर, सोनभद्र
ताँबा	सोनराई क्षेत्र (ललितपुर)
यूरेनियम	ललितपुर
एस्बेस्टस	मीरजापुर
जिप्सम	हमीरपुर, झांसी
बलुआपत्थर	मीरजापुर
पाइराइट	सोनभद्र
फायर क्ले	मीरजापुर, सोनभद्र
एंडालुसाइट	सोनभद्र
पाइरोफिलाइट	महोबा, ललितपुर झांसी
हीरा	बाँदा, मीरजापुर
सोना	रामगंगा व शारदा नदियों की रेत में

- उत्तर प्रदेश के रिक्त मानचित्र पर प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज के प्राप्ति केन्द्रों को अंकित कराया जाय।
- खनिजों के उपयोग पर प्रशिक्षुओं से चर्चा परिचर्चा की जाय।

शक्ति के साधन

ऊर्जा वर्तमान में मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गयी है। बढ़ती जनसंख्या और तीव्र औद्योगीकरण से ऊर्जा की माँग में अनवरत रूप से वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत के दो प्रमुख स्रोत हैं—

1. तापीय विद्युत
2. जल विद्युत

तापीय विद्युत परियोजनाएँ

ताप विद्युत परियोजनाएँ कोयला आधारित होती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के अधीन प्रदेश के ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ अधोलिखित हैं।

क. हरदुआगंज ताप विद्युत गृह—

अलीगढ़ के निकट वर्ष 1942 में स्थापित 220 मेगावाट क्षमता का तापविद्युत गृह है।

ख. पारीछा तापीय विद्युत गृह

झांसी के निकट इस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता 640 मेगावाट है।

ग. ओबरा ताप विद्युत गृह

पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1967 में निर्माण शुरू हुआ और 1971 में तैयार इस संयंत्र की कुल स्थापित 1382 मेगावाट है। यह विद्युत गृह सोनभद्र जनपद में स्थापित है।

घ. चन्दौसी ताप विद्युत गृह

मुरादाबाद जनपद के निकट कोयला आधारित 100 मेगावाट का संयंत्र है।

ड. अनपरा ताप विद्युत गृह

प्रदेश के सोनभद्र जनपद में 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता के संयंत्र लगाये गए हैं। इस ताप विद्युत परियोजनान्तर्गत ए, डी, ई नाम से कई संयंत्र संचालित हैं। इनमें से अनपरा डी संयंत्र में भारत सरकार व जापान का सहयोग लिया गया है।

च. पनकी ताप विद्युत संयंत्र

कानपुर के निकट 210 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना है।

इन्हें भी जाने

- उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद का गठन —1959
- उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग का गठन — 1998

- प्रदेश में विद्युत की मांग प्रत्येक वर्ष लगभग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।
- 12 वीं योजना के अन्त तक राज्य में विद्युत की मांग 23000 मेगावाट तक पहुँचने का अनुमान है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation) द्वारा कुल 7 संयंत्र लगाये गये हैं जिनमें से कुछ गैस आधारित हैं तो कुछ कोयला आधारित हैं।

राज्य में एन0टी0पी0सी0 के तापविद्युत संयंत्र			
क्र.सं.	परियोजना	जनपद	प्रयुक्त ईंधन
1	दादरी तापविद्युत परियोजना	गौतमबुद्धनगर	गैस आधारित
2	आंवला तापविद्युत परियोजना	बरेली	गैस आधारित
3	औरैया तापविद्युत केन्द्र	औरैया	गैस आधारित
4	ऊँचाहार तापविद्युत केन्द्र	रायबरेली	कोयला आधारित
5	टाण्डा तापविद्युत केन्द्र	अम्बेडकर नगर	कोयला आधारित
6	सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना	सोनभद्र	कोयला आधारित
7	रिहन्द तापविद्युत केन्द्र	सोनभद्र	कोयला आधारित

जल विद्युत उत्पादन

प्रदेश में वर्तमान में अधिष्ठापित कुल जल विद्युत क्षमता 526 मेगावाट है। प्रदेश की जल विद्युत उत्पादन की प्रमुख परियोजनाएं निम्नवत् हैं—

रिहन्द जल विद्युत परियोजना—

सोनभद्र जनपद में पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहन्द नदी पर 91.4 मी0 ऊँचा कंकरीट का बाँध बनाया गया है। इस केन्द्र पर गोविन्द बल्लभ पंत जलाशय में जल एकत्रित होता है। इस केन्द्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

ओबरा जल विद्युत केन्द्र

सोनभद्र जनपद में रिहन्द बाँध से कुछ दूरी पर ओबरा स्थान पर रिहन्द नदी पर एक दूसरा बाँध निर्मित कर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

माताटीला जल विद्युत गृह

ललितपुर जनपद में वेतवा नदी पर बाँध निर्मित है। मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित इस संयंत्र की क्षमता 30 मेगावाट है। यहाँ से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों में विद्युत आपूर्ति की जाती है।

परमाणु ऊर्जा

राज्य के बुलन्दशहर जनपद में नरौरा नामक स्थान पर गंगा नदी के निकट स्वदेशी तकनीकी पर आधारित 220 मेगावाट के संयंत्र स्थापित हैं।

नव्यकरणीय –ऊर्जा स्रोतों का विकास

प्रदेश में परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गयी। इसके तहत प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों में नेडा कार्यालय खोले गये हैं। इस संस्थान के द्वारा सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर फोटो वोल्टाइक पंप जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु तकनीकों के विकास और प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इन्हें भी जाने–

सोलर कुकर–भोजन को पकाने के लिए सौर प्रकाश ऊर्जा आधारित बाक्स के आकार का कुकर होता है।

सोलर वाटर हीटर–एक प्रकार का यंत्र जिससे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का रूपान्तरण तापीय ऊर्जा में किया जाता है। इससे पानी गर्म हो जाता है।

सोलर लाइट– प्रदेश में नेडा कार्यालयों द्वारा दिए जाने वाले संयंत्र में 37 वाट का एक सोलर पैनल, 9 वाट के दो सीएफएल, एवं 12 बोल्ट की एक बैटरी के द्वारा रात में 5–6 घंटे प्रकाश मिल जाता है। बैटरी सौर ऊर्जा से रिचार्ज होती है।

सोलर सिटी कार्यक्रम–भारत सरकार द्वारा प्रदेश के इलाहाबाद, मुरादाबाद एवं आगरा जनपदों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता दे रही है।

सौर ऊर्जा नीति– 2013

प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा जनवरी, 2013 में की गई, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं–

- राज्य में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को सौर ऊर्जा के माध्यम से बढ़ावा देना।
- सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- बंजर भूमियों का अधिक उपयोग करना।
- वर्ष 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट की स्थापना करना

चर्चा करें–

- गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की अधिक आवश्यकता क्यों है?
- गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के अन्य विकल्पों पर प्रदेश में चल रही परियोजनाओं पर जानकारी एकत्र कराएं।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भू-तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की प्रदेश में स्थापना की गई—
(क) 1945 (ख) 1955
(ग) 1965 (घ) 1985
2. चूना पत्थर प्रदेश में पाया जाता है।
(क) मीरजापुर (ख) सुलतानपुर
(ग) गाजीपुर (घ) लखनऊ
3. बॉक्साइट एक अयस्क है
(क) सोना (ख) एल्यूमिनियम
(ग) चाँदी (घ) लोहा
4. प्रदेश में यूरेनियम का भण्डार है—
(क) मुजफ्फरनगर (ख) रामपुर
(ग) ललितपुर (घ) गोरखपुर
5. पारीछा ताप विद्युत गृह अवस्थित है
(क) अलीगढ़ (ख) मीरजापुर
(ग) कानपुर (घ) झांसी

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

6. प्रदेश के एन0टी0पी0सी0 के गैस आधारित किन्हीं दो संयंत्रों के नाम लिखिए।
7. सोलर ऊर्जा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
8. माताटीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है?
9. प्रदेश में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जनपद में स्थापित है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

10. प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
11. सोलर वाटर हीटर क्या है?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

12. प्रदेश में शक्ति के साधनों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
13. प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण एवं उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

कृषि और सिंचाई

उत्तर प्रदेश राज्य अनुकूल भूगर्भिक संरचनाओं एवं जलवायु दशाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक सम्पन्न राज्य है। यही कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय जनगणना-2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत 59.3 प्रतिशत है। इनमें से 29 प्रतिशत कृषक एवं 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 23.9 प्रतिशत है। यही कारण है कि उ0प्र0 में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड भी कहा जाता है।

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु

- प्रदेश में भूमि उपयोग
- फसल उत्पादन
- प्रमुख फसलें
- फल उत्पादन
- सब्जी उत्पादन, मसाले
- पुष्प एवं औषधि उत्पादन
- पशुपालन
- दुग्ध उत्पादन विकास
- नवीन कृषि नीति
- सिंचाई व साधन—
 - नलकूप सिंचाई
 - नहर सिंचाई
 - कुआँ सिंचाई

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग	
भूमि उपयोग प्रकार	क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)
कृषि योग्य क्षेत्र	18788
वन क्षेत्र	1662
वर्तमान परती भूमि	1232
अन्य परती भूमि	537
ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि	494
कृष्य बेकार भूमि	360
स्थायी चरागाह भूमि	360
वृक्ष व झाड़ी युक्त भूमि	360

ध्यातव्य है जनसंख्या में लगातार वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि जोतों का आकार निरन्तर घट रहा है। कृषि गणना 2010-11 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में औसत जोत आकार 0.75 हेक्टेयर है। प्रदेश में सीमान्त कृषकों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में लगभग 74 प्रतिशत सीमान्त कृषक, 16 प्रतिशत लघु कृषक एवं 10 प्रतिशत बड़े कृषक हैं। प्रदेश में देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.49 प्रतिशत भाग आता है। प्रदेश में फसल सघनता 155.3 प्रतिशत है।

कृषि को प्रत्यक्षतः प्रभावित करने वाले कारकों मृदा प्रकार, वर्षा की मात्रा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कुल 9 कृषि-जलवायु प्रदेशों, 20 पारिस्थितिकीय प्रदेशों एवं 8 मृदा समूह क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

फसल उत्पादन

उत्तर प्रदेश राज्य में तीन ऋतुओं के अनुक्रम में रबी, खरीफ और जायद के अनुसार फसलों का उत्पादन किया जाता है।

फसलें	बोआई	कटाई	भौगोलिक दशाएं	फसल के प्रकार
रबी	अक्टूबर से दिसम्बर	मार्च-अप्रैल	कम जल, औसत तापमान	गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तम्बाकू
खरीफ	मई से जुलाई	सितम्बर-अक्टूबर	अधिकतम जल तथा अधिकतम तापमान	चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, सनई, जूट, अरहर, मूँगफली, कपास, गन्ना, तिल्ली
जायद	मार्च-अप्रैल	जून-जुलाई	अधिक तापमान	खीरा, तरबूज, खरबूजा, लौकी, काशीफल, परवल, मूँग, लोबिया

गेहूँ

गेहूँ के उत्पादन हेतु लगभग 50-75 सेमी की वर्षा एवं बोआई के समय तापमान लगभग 10-15 डिग्री सेण्टीग्रेट आवश्यक होता है। प्रदेश के लगभग 24 प्रतिशत भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है। प्रदेश के पठारी भागों को छोड़ कर अन्य सभी भागों में इसकी खेती की जाती है। हरदोई गोरखपुर सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिले हैं।

चावल

चावल की कृषि के लिए बोआई के समय 20°C तापमान और पकते समय लगभग 27°C तापमान एवं 75-125 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18 प्रतिशत भू-भाग पर चावल का उत्पादन होता है। उ०प्र० के प्रमुख चावल उत्पादक जिले पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर आदि हैं।

चना

राज्य के शुष्क भागों में चने की खेती महत्वपूर्ण है। बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, जालौन, फतेहपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा व इलाहाबाद प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं।

मक्का

खाद्य फसल एवं उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले मक्के का उत्पादन राज्य में मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में प्रमुखता से किया जाता है।

गन्ना

अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने की खेती के क्षेत्रफल की तुलना में प्रदेश के लगभग 45 प्रतिशत भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है। देश का लगभग 38 प्रतिशत गन्ना प्रदेश में उत्पादित होता है। प्रदेश के गन्ना उत्पादक क्षेत्र तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब हैं। इनमें रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती बलिया, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, हापुड़, सम्भल, शामली जनपद प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। गन्ना प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है।

कपास

प्रदेश में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गंगा यमुना दोआब, रुहेलखण्ड व बुन्देलखण्ड हैं। प्रदेश में कपास की विभिन्न किस्मों देशी, बंगाली कपास, इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में कपास की खेती के संग-संग मेथी, मूँग, बरसीम, तोरिया की फसलें भी उगाई जाती हैं।

जूट

प्रदेश में तराई भाग एवं सरयू व घाघरा नदियों के दोआब में इसकी पैदावार अधिक होती है। प्रमुख जूट उत्पादक जिले देवरिया, गोंडा, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज हैं। अधिकांशतः देशी किस्म की जूट की पैदावार होती है जिससे रस्सी का निर्माण होता है।

अरहर

प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले झांसी, ललितपुर, महोबा, लखीमपुर खीरी, बांदा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी इत्यादि हैं।

प्रशिक्षुओं से प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों पर चर्चा कीजिए।

फल उत्पादन

प्रदेश में फलोत्पादन के अन्तर्गत आम, केला, अमरुद, आँवला, लीची, पपीता, आँवला इत्यादि प्रमुख रूप से उत्पादित होता है।

आम

फलों के राजा के रूप में प्रसिद्ध आम की विभिन्न किस्मों की पैदावार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में की जाती है। लखनऊ के मलीहाबादी दशहरी, सहारनपुर का सफेदा व चौसा, मेरठ व बागपत का रटौल, वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। प्रदेश में दशहरी आम का निर्यात भी किया जाता है। ध्यातव्य है **नवाब ब्राण्ड** नाम से प्रदेश में उत्पादित आम को देश के अन्य शहरों में प्रचारित भी किया जा रहा है।

अमरुद

प्रदेश में इलाहाबाद, कौशाम्बी, फैजाबाद, कानपुर, बरेली व बदायूँ जनपद में इसकी पैदावार काफी मात्रा में की जाती है।

आँवला

आँवले के उत्पादन में प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद प्रसिद्ध है जहाँ आँवले के विस्तृत बागान लगाये गये हैं। देश में कुल आँवला उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत से अधिक केवल प्रदेश में ही उत्पादित होता है।

फल	उत्पादक क्षेत्र
केला	वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गोरखपुर
लीची	सहारनपुर, मेरठ
नीबू	बुंदेलखण्ड में विशेष रूप से, अन्य क्षेत्र
सन्तरा	बुंदेलखण्ड व सहारनपुर
पपीता	उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद

इन्हें भी जानें—

- केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान— रहमान खेड़ा लखनऊ
- आम औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र— लखनऊ
- अमरुद औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र— इलाहाबाद

सब्जी, मसाले, पुष्प एवं औषधि उत्पादन

प्रदेश में भौगोलिक, जलवायविक एवं भूगर्भिक विविधता पायी जाती हैं। यही कारण है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में सब्जियों, मसालों, पुष्पों एवं औषधियों इत्यादि के उत्पादन में विविधता दर्शनीय है।

आलू

आलू के उत्पादन की दृष्टिकोण से प्रदेश का सम्पूर्ण भारत में प्रथम स्थान है। प्रदेश में फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, बदायूँ, बागपत, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद इटावा मेरठ, आगरा जनपदों में काफी पैदावार की जाती है।

हल्दी

उत्तर प्रदेश राज्य हल्दी के उत्पादन में अग्रणी स्थान धारण करता है। यद्यपि सम्पूर्ण प्रदेश में इसकी कुछ न कुछ मात्रा में खेती होती है, किन्तु बुंदेलखण्ड में इसकी खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में अदरख की खेती बुन्देलखण्ड में अधिक होती है। प्रदेश में धनियाँ, सौंफ, मशरूम, की खेती भी पर्याप्त मात्रा में की जाती है।

जहाँ तक प्रदेश में पुष्पोत्पादन का प्रश्न है प्रदेश में वाराणसी, कन्नौज, जौनपुर, लखनऊ, मीरजापुर जनपदों में पुष्प कृषि महत्वपूर्ण है।

प्रदेश में औषधि उत्पादन के अन्तर्गत एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, पिपरमिंट, मेंथा, तुलसी, सतावरी, सर्पगन्धा, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, सदाबहार आदि पौधों की खेती की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में हर्बल गार्डन्स की स्थापना विभिन्न जनपदों में की गई है। रामपुर, बदायूँ, बाराबंकी आदि जनपदों में मेंथा ऑयल उद्योग स्थापित हैं। ध्यातव्य है प्रदेश, समस्त भारत का लगभग 90 प्रतिशत मेंथा उत्पादित कर रहा है। राज्य में महोबा जनपद पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

पशुपालन

राज्य में पशुओं की कुल संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में गोवंशीय पशुओं की संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान मध्य प्रदेश के बाद द्वितीय है एवं महिषवंशी पशुओं की संख्या में प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है।

प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना वर्ष 1944 में पृथक रूप से की गयी। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कृषकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है। वर्तमान में पशुओं की विशेष चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु तीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में स्थापित हैं।

इन्हें भी जाने—

प्रदेश के कृषि निर्यातजोन— आगरा, लखनऊ, सहारनपुर

कृषि पार्क— हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी

दुग्ध विकास

सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सर्वप्रथम 1917 में 'कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद' की स्थापना के साथ ही प्रदेश में ही नहीं अपितु देश में भी यह पहला अवसर था जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ष 1938 में देश में प्रथम दुग्ध संघ 'लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड' की स्थापना लखनऊ में हुई।

वर्ष 1970-71 में आपरेशन फ्लड योजना को लागू करने के उद्देश्य से क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में वर्ष 1962 में ही स्थापित प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में अपनाया गया।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 312 ग्राम प्रति दिन है।

महिला डेरी योजना

दुग्ध विकास विभाग द्वारा लागू इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर गठित दुग्ध समितियों से सम्बद्ध महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास की विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिलाया जाना है।

गोकुल पुरस्कार योजना

इस योजनान्तर्गत सहकारी क्षेत्र के तहत दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं उन्हें उत्तम किस्म के दुधारू पशुओं को पालने हेतु प्रेरित करने हेतु राज्य के प्रत्येक दुग्ध संघ के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक, जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो तथा दुग्ध संघ को दुग्ध का विक्रय कर रहा हो, को पुरस्कृत किया जा रहा है।

प्रदेश में कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

- प्रशिक्षुओं से कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन एवं मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रदेश की योजनाओं व कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए।

नवीन कृषि नीति- 2013

प्रदेश में 28 फरवरी 2013 से नई कृषि नीति लागू की गई है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं-

- कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना।
- पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण।
- कृषि विविधीकरण के द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना।

- बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र, प्रसार सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन की आधारभूत सुविधाओं के विकास में समझौता खेती के माध्यम से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण मित्र कृषि पद्धति को विकसित करना।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना।

- खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में अग्रणी है।
- 1.0 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले कृषकों को **सीमांत कृषक** कहा जाता है।

सिंचाई

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी है। सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पंजाब एवं हरियाणा के उपरान्त तृतीय स्थान है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 के जारी आँकड़ों के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत 83 था। प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 138 लाख हेक्टेयर है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कुल उपलब्ध सिंचन क्षमता 353.77 लाख हेक्टेयर की तुलना में सिंचन क्षमता का उपयोग केवल 237.09 लाख हेक्टेयर पर किया जा सका है।

सिंचाई के साधन

प्रदेश में होने वाली मानसूनी वर्षा की असामयिकता, अनियमितता के कारण कृत्रिम सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। प्रदेश में कृत्रिम सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों यथा- नहरों, नलकूपों, कुओं, तालाबों, झीलें, पोखरों इत्यादि का सहारा लिया जाता है।

सिंचाई के प्रकार	प्रतिशतता
नलकूप	73.6
नहर	18.5
कुओं, तालाब, झील, पोखर	6.8
अन्य	1.1

नलकूप सिंचाई

उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़ जनपदों में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। प्रदेश में निजी

एवं सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है। किन्तु निजी नलकूप अधिक हैं। नलकूप सिंचाई को लघु सिंचाई के संवर्ग में सम्मिलित किया जाता है।

नहर सिंचाई

प्रदेश में सदानीरा नदियों की अधिकता ने इस सिंचाई के प्रकार को महत्व प्रदान किया है। प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का अत्यधिक विस्तारण है। नहर सिंचाई को वृहद् और मध्यम सिंचाई साधन माना जाता है।

प्रदेश की प्रमुख नहरें

पूर्वी यमुना नहर

वर्ष 1830 में निर्मित यह नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यह सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी के बाएं किनारे से निकाली गयी है। इस नहर की कुल लम्बाई लगभग 1440 किमी है। इस नहर से प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, हापुड़ व गाजियाबाद जनपदों में सिंचाई की जा रही है।

उपरी गंगा नहर

यह नहर हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दायें किनारे से निकाली गयी है। इसकी कुल लम्बाई लगभग शाखाओं एवं प्रतिशाखाओं सहित 5040किमी है। ध्यातव्य है इस नहर को आगरा नहर एवं निचली गंगा नहर से भी जल प्राप्त होता है। इस नहर से प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा आदि जनपदों में सिंचाई की जाती है।

मध्य गंगा नहर

इस नहर को बिजनौर में गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115.54 किमी मुख्य नहर को उपरी गंगा नहर से मिलाया गया है।

निचली गंगा नहर

गंगा नदी से नरौरा (बुलन्दशहर) में इस नहर को निकाला गया है। इस नहर की कुल लम्बाई लगभग 8800 किमी है। नहर से बुलन्दशहर, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद जनपदों को सिंचित किया जाता है।

शारदा नहर

यह प्रदेश की सबसे लम्बी नहर तंत्र है जिसकी कुल लम्बाई लगभग 12368 किमी है। इस नहर का उद्गम उ०प्र० व नेपाल सीमा पर स्थित वनबासा (पीलीभीत) से हुआ है। यहाँ इस नहर को शारदा नदी से निकाला गया है। इस नहर से प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, लखीमपुखीरी,

हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद जनपदों में सिंचाई की जाती है।

प्रशिक्षुओं से प्रदेश की अन्य नहरों द्वारा सिंचाई पर चर्चा- परिचर्चा की जाय।

अन्य प्रमुख नहरें

नहरें	उद्गम/नदी	लाभान्वित जिले
सपरार	झांसी/सपरार	झांसी, हमीरपुर
राजघाट	ललितपुर/वेतवा	ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन
बाण सागर	शहडोल म0प्र0/सोन	मीरजापुर, सोनभद्र, चन्दौली, इलाहाबाद
नौगढ़	गाजीपुर/कर्मनाशा	चन्दौली, गाजीपुर
मेजा	इलाहाबाद/बेलन	इलाहाबाद, मीरजापुर
चन्द्रप्रभा	चन्दौली/चन्द्रप्रभा	चन्दौली
अर्जुन बाँध	हमीरपुर/अर्जुन	हमीरपुर
मौदहा	हमीरपुर/बिरमा	हमीरपुर
उर्मिल बाँध	महोबा	महोबा

कुओं सिंचाई

प्रदेश में गंगा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई महत्वपूर्ण है। प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुलतानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जनपदों में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है।

डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना

यह योजना वर्ष 2012 में ऐसे क्षेत्रों के लिए चलाई गई है जहाँ निःशुल्क बोरिंग सम्भव नहीं है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लघु व सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह को अधिकतम 3.92 लाख का अनुदान जबकि एस0सी0/बी0सी0/एस0टी0/अल्पसंख्यक श्रेणी के बाहुल्य समूह को अधिकतम 5.00 लाख का अनुदान दिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न—

1. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान है—

- | | |
|------------------|------------------|
| (क) 13.8 प्रतिशत | (ख) 23.9 प्रतिशत |
| (ग) 29 प्रतिशत | (घ) 45 प्रतिशत |

2. उत्तर प्रदेश को कितने कृषि-जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है-
 (क) 32 (ख) 24
 (ग) 18 (घ) 9
3. प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है-
 (क) गन्ना (ख) आलू
 (ग) चना (घ) चावल
4. प्रदेश में किसे नबाव ब्रांड का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है-
 (क) अमरूद (ख) गन्ना
 (ग) आम (घ) लीची
5. केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है-
 (क) गाजियाबाद (ख) लखनऊ
 (ग) कानपुर (घ) इलाहाबाद

अतिलघुत्तरीय प्रश्न-

6. उत्तर प्रदेश में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है?
7. गोकुल पुरस्कार योजना किससे सम्बन्धित है?
8. प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है ?
9. अखिल भारतीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है ?
10. प्रदेश में सिंचाई के साधनों के नाम लिखिए।

लघुउत्तरीय प्रश्न

11. प्रदेश में नलकूप सिंचाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
12. प्रदेश में कपास अथवा जूट की कृषि के प्रमुख क्षेत्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
13. प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद की 5-5 फसलों के नाम लिखिए।

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

14. प्रदेश में सिंचाई की आवश्यकता व उपलब्ध साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
15. प्रदेश में पशुपालन की महत्ता एवं दुग्ध उत्पादन विकास पर एक निबन्ध लिखिए।

भारत के प्राकृतिक प्रदेश

प्राकृतिक प्रदेश एक प्रादेशिक संकल्पना है। प्राकृतिक प्रदेश से तात्पर्य, एक ऐसी विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्रीय इकाई से है, जिसकी सीमा के अन्तर्गत नियत भौतिक लक्षणों में औसत आन्तरिक समरूपता दृष्टिगोचर होती हो। सामान्यतः इस प्रकार के प्रादेशीकरण के लिए नियत भौतिक लक्षण उच्चावच, भूगर्भिक इतिहास, संरचना, ढाल इत्यादि को आधार बनाया जाता है। भौतिक लक्षण प्रत्यक्षतः इस प्रदेश के मानव जनजीवन, वनस्पतियों, जीवजन्तुओं, क्रियाकलापों एवं रहन सहन को प्रभावित करता है।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, वैश्विक मानचित्र पर भारत देश की अवस्थिति एशिया महाद्वीप में है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3287263 वर्ग किमी है। विश्व के बड़े आकार वाले देशों में भारत का स्थान रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं आस्ट्रेलिया के पश्चात् सातवां है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक अखिल भारतीय स्तर पर उच्चावच, भूगर्भिक संरचना आदि में पर्याप्त क्षेत्रीय विविधता एवं जटिलता पाई जाती है।

जहाँ एक ओर सुदूर उत्तर की संरचना गगनचुंबी पर्वतों का समूह है जो महज युवावस्था का प्रतीक है वहीं दूसरी ओर उसके पद में विस्तृत सपाट मैदान जो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मैदानी संरचना के ठीक दक्षिणवर्ती भू-भाग में जीर्ण-शीर्ण पठार है जो उतना ही पुराना है जितनी कि पृथ्वी। चट्टानों की संरचना का आलम यह है कि इसका निर्माण इस प्रकार हुआ है कि जिस प्रकार पृथ्वी के आन्तरिक भाग में चट्टनें निर्मित हैं। इतना ही नहीं भारतीय उपमहाद्वीप को विस्तारित करने में मुख्य भूमि से दूरस्थ द्वीपीय संरचनाएँ भी हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक पुरातन संरचना के उपर परवर्ती काल की विभिन्न संरचनाओं का इस प्रकार से सम्मिश्रण है कि पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप भूगर्भिक मोजैक का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत को उपर्युक्त आधारों पर निम्नलिखित 4 प्राकृतिक भागों में विभक्त किया गया है—

- उत्तर का पर्वतीय भाग
- मध्यवर्ती मैदानी भाग
- दक्षिण का पठारी भाग
- तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह

- एटलस की सहायता से विश्व के मानचित्र में भारत की पहचान कराइए।
- भारत के मानचित्र में भारत के सभी प्राकृतिक प्रदेशों की पहचान कराइए।

उत्तर का पर्वतीय भाग

भारत के उत्तरी भाग में पर्वतीय शृंखलाओं की विस्तृत अवस्थिति है। यह प्राकृतिक प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक उच्चस्थ है। सूक्ष्म वर्गीकरण के आधार पर इन्हें तीन उपविभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

1. महान हिमालय
2. मध्य हिमालय
3. शिवालिक हिमालय

हिमालय पर्वत अनवरत रूप से एक श्रेणी के रूप में न होकर यह तीन श्रेणियों में भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर अर्धचन्द्राकार रूप में समांतर रूप में विस्तृत है। जिन्हें क्रमशः महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है।

- प्रशिक्षुओं को एटलस के माध्यम से भारत के प्राकृतिक मानचित्र पर हिमालय की उक्त तीनों शृंखलाओं की पहचान कराया जाय।

महान हिमालय को आन्तरिक हिमालय एवं हिमाद्रि भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्रमशः महाद्वीप के आन्तरिक भाग में अवस्थित होना एवं वर्षभर बर्फ से आच्छादित होना है। इसकी कुल लम्बाई लगभग 2500 किमी, औसत चौड़ाई लगभग 150 किमी० एवं औसत ऊँचाई लगभग 6100 किमी० है। इसी पर्वतमाला में हिमालय ही नहीं अपितु विश्व की सर्वोच्च चोटी **माउण्ट एवरेस्ट** (8850 मी०) है। महान हिमालय की अन्य चोटियाँ कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरि, अन्नपूर्णा, प्रमुख है। इस शृंखला का ढाल उत्तर में मन्द तथा दक्षिण में तीव्र है। इस श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं जो पर्वतीय मार्ग उपलब्ध कराते हैं जिनमें बुर्जिल व जोजिला (कश्मीर), बड़ा लाचाला एवं शिपकिला (हिमांचल प्रदेश) थागा, माना नीति व लिपुलेख (उत्तराखण्ड), नाथुला व जेलेपला (सिक्किम) प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

मध्य हिमालय शृंखला की अवस्थिति महान हिमालय के ठीक दक्षिणवर्ती समांतर रूप में है। इसे हिमांचल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा यह शृंखला यत्र-तत्र खण्डित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप इनके मध्य अन्तराल पाए जाते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर ये क्रमशः पीरपंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत, डोक्या, ब्लैक माउंटेन, डफला बूम नाम से जाने जाते हैं। इसकी औसत ऊँचाई लगभग 3000 मीटर से अधिक है। इस शृंखला में अनेक उपजाऊ घाटियाँ कुल्लू घाटी (हिमांचल प्रदेश), कश्मीर घाटी दर्शनीय है। इस शृंखला में भी दर्रे के रूप में वारामुला, एवं रोहतांग दर्रे अवस्थित हैं। ढलानों पर छोटी-छोटी घासों के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग (गुलमर्ग, सोनमर्ग) और उत्तराखण्ड में **बुग्याल** और **पयार** कहते हैं।

मध्य हिमालय के दक्षिण में **शिवालिक हिमालय** का सर्वाधिक विखण्डित विस्तार है जिसे बाह्य हिमालय, उपहिमालय, हिमालय पदीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस शृंखला की औसत ऊँचाई लगभग 1200 मी० एवं चौड़ाई औसतन 50 किमी है। इनमें चौरस घाटियाँ पाई जाती हैं। इन्हें पश्चिम और मध्य भाग में **दून** एवं पूरब में **द्वार** कहा जाता है। यथा देहरादून, हरिद्वार।

जनजीवन

उत्तर के हिमालयी प्राकृतिक प्रदेश में प्राकृतिक विविधताओं के साथ-साथ मानवीय एवं सांस्कृतिक विविधताएं देखी जाती है। इस प्रदेश में मंगोलायड से लेकर काकेशायड वर्ग तक के मानव समुदाय रहते हैं। जम्मू में डोगरा, कश्मीर में राजपूत व गूजर, सिक्किम, दार्जिलिंग में भूटिया, हिमाचल असम व उत्तराखण्ड में अनेक जनजातियों का वास है। इतना ही नहीं पूर्वांचल हिमालयी भाग में नागा, मणिपुरी, मिजो सम्प्रदाय के लोग भी रहते हैं। इस भाग में प्रकीर्णित आवास वाली बस्तियाँ देखी जाती हैं।

कृषि

हिमालयी प्रदेश में मुख्यतः चावल की कृषि सीढ़ीनुमा खेत बनाकर पर्वतीय ढालों के सहारे की जाती है। मक्का, गेहूँ, आलू, जौ अन्य फसलें हैं जिनकी खेती की जाती है। इस प्राकृतिक प्रदेश में सेब, नाशपाती, अनन्नास, नीबू, लीची, संतरा इत्यादि फलोत्पादन के रूप में प्रसिद्ध है। केसर के उत्पादन के लिए यह प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है। प्रदेश में यत्र-तत्र चाय के बड़े बड़े बागान हैं जिनमें विश्वप्रसिद्ध चाय का उत्पादन किया जाता है। आसोम की सुरमा घाटी एवं पं० बंगाल का दार्जिलिंग चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है।

उद्योग धन्धे

इस प्राकृतिक प्रदेश में चारागाह, उच्च भागों में मौसमी प्रवास, लकड़ी चीरना, वेदिका कृषि, कृषि बागवानी, फलोत्पादन, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रमणीय केन्द्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फलतः यहाँ पर्यटन उद्योग काफी विकसित है। यद्यपि प्राकृतिक प्रतिकूलता के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो सका है किन्तु इसके लिए निरन्तर प्रयास जारी हैं। इस प्रदेश में आध्यात्मिकता के विभिन्न प्रकार के केन्द्र व तीर्थस्थल हैं। इससे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी काफी योगदान होता है।

प्रमुख राज्य व नगर

इस प्राकृतिक प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, पं०बंगाल, अरुणांचल प्रदेश, असोम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि हैं। पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख नगरों में शिमला, चकराता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग मध्य हिमालय पर स्थित नगर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य नगर देहरादून ऋषिकेश, हरिद्वार, डलहौजी, श्रीनगर, कुल्लू इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

मध्यवर्ती मैदानी भाग

उत्तर के पर्वतीय भाग एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग में इस प्राकृतिक प्रदेश की अवस्थिति है। इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार पश्चिम में सतलज नदी से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक

लगभग 2500 किमी० तक है। इस भू-भाग का निर्माण सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों द्वारा अपने जल के साथ बहाकर लाए गये जलोढ़ के परत दर परत जमाव के फलस्वरूप हुआ है। ध्यातव्य है सिन्धु नदी द्वारा निर्मित अधिकांश मैदानी भाग पाकिस्तान में तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टाई भाग बांग्लादेश में है। मैदानी भाग का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। इसकी बनावट जलोढ़ के जमाव के आधार पर कई रूपों में दृष्टिगोचर होती है—

भाभर प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में सिन्धु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक अविच्छिन्न रूप में विस्तृत है। कंकड़ पत्थर से मूलतः निर्मित यह एक सकरी पट्टी के रूप में फैली हुई है। इस भाग की प्रमुख विशेषता पर्वतों से उतरने पर मैदान में आने पर नदियाँ इन कंकड़ पत्थरों के नीचे विलीन होकर प्रवाहित होती हैं।

तराई प्रदेश में भाभर प्रदेश की लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट होती हैं। यह अपेक्षाकृत महीन कंकड़ों से निर्मित धरातल वाला प्रदेश है जो कि भाभर की तुलना में अधिक समतल होता है। जल की अधिकता ने इस प्रदेश की भूमि को दलदली बना दिया है।

बांगर प्रदेश मैदानी प्रदेश के वे भाग हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है अर्थात् बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर के क्षेत्र होते हैं। बांगर प्रदेश पुरातन जलोढ़ जमाव के क्षेत्र होते हैं। ऐसी भूमियों को स्थानीय रूप से **भूर** कहा जाता है।

खादर प्रदेश महान मैदान में अवस्थित ऐसे भू-क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ का पानी आने से प्रति वर्ष परत दर परत नवीन जलोढ़ का जमाव होता रहा है। इन्हें **कछारी प्रदेश** भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि ये भू-भाग अत्यन्त उर्वर होते हैं।

प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर महान मैदान को अन्य कई भागों में विभक्त किया जाता है— इनमें राजस्थान का मैदान, पंजाब—हरियाणा मैदान, गंगा का मैदान (ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचला गंगा) एवं ब्रह्मपुत्र मैदान उल्लेखनीय है।

जनजीवन

भारत का यह महान मैदानी प्रदेश आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से देश का सबसे उन्नत भाग है। अत्यधिक विस्तृत लम्बे मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग एक-दूसरे से मृदा, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, फसलों के प्रकार, मकानों के प्रकार, लोगों की पोशाक व उनकी भाषा, संस्कृति में भी भिन्नता पाई जानी स्वाभाविक है। पश्चिम में शुष्क राजस्थान मैदान, पूर्व में अति आर्द्र निम्न गंगा मैदान एक-दूसरे से परस्पर विपरीत परिस्थितियाँ रखते हैं। पंजाब का मैदान अर्द्धशुष्क है, अपर गंगा का मैदान उप आर्द्र तथा मध्य गंगा का मैदान एवं असोम घाटी आर्द्र परिस्थितियाँ रखते हैं। इतना ही नहीं उर्वरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस प्रदेश में कृषि कार्यों की प्रधानता देखी जाती है। साथ ही सघन जनसंख्या, स्थायी बस्तियाँ, परिवहन जाल इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है।

कृषि

इस प्रदेश में भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। अतः कृषि कार्य महत्वपूर्ण है। शुष्क राजस्थान के मैदान में ज्वार-बाजरा, अर्द्धशुष्क लेकिन सिंचित पंजाब में गेहूँ, चना, उपार्द्र किन्तु सिंचित ऊपरी गंगा के मैदान में गेहूँ और जौ, आर्द्र मध्य गंगा के मैदान में चावल, गेहूँ और जौ, अति आर्द्र निम्न गंगा के मैदान में चावल और जूट, असम की उपजाऊ घाटी में चावल व चाय प्रमुख प्रादेशिक फसलें हैं जिनकी कृषि मुख्यतः की जाती है। तराई भाग गन्ने की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी ओर डेल्टाई व कछारी भागों में सब्जियों की कृषि महत्वपूर्ण है। सिंचन सुविधाओं ने इस प्रदेश को कृषि की दृष्टिकोण से और भी अधिक महत्ता प्रदान की है। कृषि के साथ-साथ सहायक एवं पूरक व्यवसाय के रूप में पशुपालन का भी विशेष महत्व है।

उद्योग-धन्धे

प्रदेश में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, कागज उद्योग, खेल के सामान उद्योग, तेलशोधन उद्योग, कृषि यंत्र, हथकरघा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, गलीचा व कालीन उद्योग, नमकउद्योग, दुग्ध उद्योग, जूट उद्योग, चमड़ा उद्योग, काँच उद्योग, रासायनिक उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, विस्तृत पैमाने पर संचालित हैं। इस प्राकृतिक प्रदेश में सघन जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्राप्त हैं।

प्रदेश के प्रमुख राज्य व नगर

मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के भारतीय राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पं०बंगाल, असोम प्रमुख हैं। इस प्रदेश के प्रमुख नगर दिल्ली, चण्डीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, गुड़गाँव, हिसार, रोहतक, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, रामपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, गुवाहटी, इत्यादि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रशिक्षुओं से महान मैदानी प्राकृतिक प्रदेश में विभिन्न प्रसिद्ध नगरों को उनकी प्रसिद्धि के कारणों पर चर्चा-परिचर्चा कराएं।

दक्षिण का पठारी भाग

लगभग 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत यह प्राकृतिक प्रदेश भारत का विशालतम प्राकृतिक प्रदेश है। अनियमित त्रिभुजाकार रूप में विस्तारित यह प्राकृतिक प्रदेश औसतन 600-900 मी० ऊँचा है। पठार का ढाल पूर्व तथा दक्षिणपूर्व की ओर है। जहाँ तक इसकी बनावट का प्रश्न है उत्तरी महान मैदान के दक्षिणी भाग में स्थित यह पठार कठोर आग्नेय एवं रूपान्तरित चट्टानों से निर्मित, भारत का प्राचीनतम प्राकृतिक भू-भाग है। ध्यातव्य है कि नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी इस पठार को क्रमशः उत्तर में मध्यवर्ती उच्च भूमियों एवं दक्षिण में दक्कन का पठार के रूप में विभाजित करती हैं।

मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अन्तर्गत अरावली श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमियाँ, मालवा का पठार, बुन्देलखण्ड उच्च भूमियाँ, विन्ध्याचल, बघेलखण्ड पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार को सम्मिलित किया जाता है। मालवा का पठार, ज्वालामुखी लावा से निर्मित पठार है।

वहीं दूसरी ओर दक्कन का पठार त्रिभुज के आकार का पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मैकाल व महादेव पहाड़ियों के मध्य लगभग 7.0 लाख वर्ग किमी० क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका निर्माण प्राचीन रवेदार शैलों से हुआ है। इसमें जीवाश्मरहित ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर, बालू पत्थर तथा क्वार्ट्ज शैलें मिलती हैं। दक्कन पठार के अन्तर्गत सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दण्डकारण्य, तेलंगाना पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु उच्च भूमि, पश्चिमी घाट (सहयाद्री), पूर्वी घाट को सम्मिलित किया जाता है।

जनजीवन

इस प्राकृतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषता यह है कि इस भू-क्षेत्र में लाल-पीली, काली मृदा, पाई जाती है। इतना ही नहीं पूरा का पूरा चट्टानी भाग धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की दृष्टि से धनी है। इस प्रदेश में खनन क्रिया के अतिरिक्त लोगों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। यत्र-तत्र आदिम जनजातियों द्वारा झूम खेती (स्थानान्तरीय कृषि) भी की जाती है जो कि जीवन निर्वाहन कृषि के अन्तर्गत आती है। प्रदेश में विविध भाषा भाषी लोग अपनी-अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं, रीतिरिवाजों के लिए जाने-जाते हैं। तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया संस्कृति के लिए यह प्राकृतिक प्रदेश प्रसिद्ध है।

इन्हें भी जानें

- प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन गोंडवानालैण्ड का अंग है।
- ऊटी, नीलगिरि पर स्थित हैं
- दक्षिणभारत की सर्वोच्च चोटी- अनईमुदी
- नीलगिरि की सर्वोच्च चोटी- दोदाबेटा
- पूर्वीघाट की सर्वोच्च चोटी- महेन्द्रगिरि
- पश्चिमीघाट की सर्वोच्च चोटी- महेन्द्रगिरि
- पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी- कल्सूबाई
- दण्डकारण्य उड़ीसा आन्ध्रप्रदेश व छत्तीसगढ़ में विस्तारित है।

कृषि

दक्षिणी पठारी प्रदेश में मेघालय पठार एवं अन्य स्थानों पर रहने वाली आदिम जनजातियाँ जहाँ एक ओर जीवन निर्वाह झूम कृषि के द्वारा करती हैं। वहीं इस प्रदेश में काली मृदा वाले क्षेत्र में कपास की वाणिज्यिक कृषि महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का दक्कन प्रदेश इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त तालाबों तथा नहर सिंचाई के कारण इस प्राकृतिक प्रदेश में ज्वार, बाजरा, गेहूँ, कपास, मूंगफली, गन्ना की कृषि महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मैदानी व डेल्टाई भागों में चावल की कृषि की जाती है। पठारी भाग में तम्बाकू, रबर, चाय, काजू, काफी, शहतूती रेशम एवं मसालों की खेती, पुष्प कृषि एवं बागवानी, फलोत्पादन भी किया जाता है।

उद्योग-धन्धे

दक्षिणी पठारी प्राकृतिक प्रदेश में यद्यपि विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्रचुरता है जिसके कारण लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, बाक्साइट, मैगनीज, टिन, निकिल, टंगस्टन, कोयला इत्यादि का खनन उद्योग, विकसित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की विद्युत परियोजनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, काँच उद्योग, दियासलाई उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, बागाती उद्योग, लौह-इस्पात उद्योग, तेलशोधन, चीनी उद्योग, उर्वरक उद्योग, रेलवैगन निर्माण, मोटर-वाहन उद्योग, फिल्म उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। इतना ही नहीं लघु एवं कुटीर उद्योग भी इस प्रदेश में प्रचलित है जिसके अन्तर्गत हैण्डलूम, कालीन, चटाई व टोकरी, बीड़ी उद्योग, नारियल के रेशे आधारित उद्योग, सजावटी सामान निर्माण सम्मिलित हैं।

प्रमुख राज्य व नगर

दक्षिणी पठारी प्राकृतिक प्रदेश में प्रमुख रूप से दक्षिणपूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मेघालय सम्मिलित किए जाते हैं। जहाँ तक इस प्राकृतिक प्रदेश के प्रमुख नगरों का प्रश्न है इस प्रदेश में मुम्बई, चेन्नई, बंगलुरु, नागपुर, इन्दौर, मैसूर, नागपुर, शोलापुर, सतारा, पुणे, भिलाई, विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, बिलासपुर, राउरकेला, बोकारो, कोरबा, मदुरै, कोयम्बटूर प्रमुख नगर हैं।

तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह

दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम दिशा में तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है। इसके अन्तर्गत गुजरात का मैदान भी सम्मिलित है। जैसे-जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम तटीय मैदान उत्तरोत्तर सकरा होता जाता है। इस मैदान का विस्तार पश्चिमी घाट तथा अरब सागर तट के बीच गुजरात से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) के मध्य तक है। मुम्बई से गोवा तक इसे 'कोंकण तट', मध्यवर्ती, भाग 'कन्नड़ तट' तथा दक्षिणी केरल तटीय भाग **मालावार मैदान** के नाम से जाना जाता है। मालावार तट पर खारे पानी की झील "लैगून" पायी जाती है। इसे स्थानीय भाषा में 'कयाल' कहा जाता है।

पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक समतल और चौड़ा है। इस तटीय मैदान का उत्तरी भाग 'उत्तरी सरकार' तथा दक्षिणी भाग 'कोरोमंडल तट' कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण, अधिक उपजाऊ है। उड़ीसा तटीय भाग 'उत्कल-कलिंग का मैदान' कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान में ही **चिल्का झील** एवं **पुलीकट** नामक लैगून झीलें अवस्थित हैं।

मानव जनजीवन

भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों में मत्स्ययन के कारण छोटे-छोटे गाँवों, पुरवों और प्रकीर्ण गृहों की प्रधानता है। डेल्टाई क्षेत्रों में व्यवस्थित कृषि के कारण ग्रामीण अधिवासों का रूप छोटे

से लेकर बड़े गाँवों जैसा है। बागाती कृषि के कारण कुछ तटीय भागों में एकांकी गृहों को प्रोत्साहन मिला है। मूलतः ये प्रदेश कृषि कार्यों से सम्बन्धित हैं।

कृषि

इस प्राकृतिक प्रदेश में मालावार तट मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ व्यापारिक फसलोत्पादन किया जाता है, जिसमें रबड़, कहवा, चाय, मसाले, काजू, केला, नारियल आदि सम्मिलित हैं। प्रदेश में वर्षा की अधिकता के कारण बागाती कृषि महत्वपूर्ण है। कोंकण तट में धान, चारा, रागी, तिलहन की कृषि की जाती है। गन्ना की कृषि भी इस भाग में की जाती है। धान के खेतों के किनारे नारियल तथा सुपारी के वृक्ष लगाए गए हैं। मत्स्ययन व्यवसाय भी काफी विकसित है। इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान में चावल, जूट, तम्बाकू, गन्ना, मक्का, मिलेट, मूंगफली व तिलहन की कृषि होती है। इस क्षेत्र में मसालों विशेषकर काली मिर्च व इलायची की कृषि की जाती है।

उद्योग धन्धे

पश्चिमी तटीय मैदान में कृषि आधारित घरेलू उद्योगों की अधिकता है। इनमें काजू, मत्स्य उद्योग बीड़ी निर्माण, वन आधारित उद्योग, कागज उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उर्वरक उद्योग, सापटवेयर उद्योग प्रमुख हैं।

वहीं महाराष्ट्र तटीय मैदान में सूतीवस्त्र, चीनी उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, वाहन निर्माण, रसायन उद्योग, इलेक्ट्रानिक उद्योग, औषधि निर्माण, तेलशोधन, दियासलाई निर्माण उद्योग इत्यादि विकसित अवस्था में हैं। पूर्वी तटीय मैदान जूट उद्योग, कागज उद्योग, लौहइस्पात उद्योग, निर्यात उद्योग तथा कृषि आधारित उद्योग हेतु प्रसिद्ध हैं।

प्रमुख राज्य व प्रमुख नगर

तटीय मैदानी प्राकृतिक प्रदेश में पूर्वी तटीय मैदान के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु राज्य सम्मिलित किये जाते हैं। इस भाग के प्रमुख नगर कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम्, चेन्नई, नागपट्टनम्, एन्नौर, पुरी, विजयवाडा, प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी तटीय मैदान के अन्तर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा राज्य सम्मिलित किए गए हैं। इसके अन्तर्गत प्रमुख नगर, रत्नागिरि, मुम्बई, बेलगाम, अलवाय, एलुपुरम, सूरत, कोल्हापुर, त्रिशूर, कोच्चि, अलप्पुजा, प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

द्वीप समूह

भारतीय प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विलक्षण इकाई के रूप में द्वीपीय समूह हैं जो भारतीय मुख्य भूमि की सीमा से विलग सागरीय भागों में अवस्थित हैं। सागरीय अवस्थिति के कारण प्रथम दृष्ट्या ही अपनी अलग पहचान सुनिश्चित करते हैं। केरल तट के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे-छोटे द्वीपों के समूह हैं जिन्हें सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। ये प्रवाल (मूंगें) के अवशेषों द्वारा निर्मित हैं।

वहीं दूसरी ओर मुख्य भूमि के पूरब में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीपों का समूह अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप आकार में बड़े होने के साथ-साथ कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हैं तो कुछ पहाड़ी शृंखलाओं के डूब जाने से निर्मित हैं। भारत का दक्षिणतम बिन्दु 'इन्दिरा प्वाइंट' यहीं है।

जनजीवन

भारतीय द्वीपों पर यद्यपि जनसंख्या कम ही आवास करती है। किन्तु जहाँ एक ओर लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है वहीं अण्डमान निकोबार द्वीप समूह का जनघनत्व काफी कम है। द्वीपों पर आदिम जनजातियों का आवास है। यथा— अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा व सेन्टिलीज जनजातियाँ।

कृषि

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में चावल की खेती मुख्यतः की जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहल, बागाती फसलें (सुपारी, कसावा, हल्दी इत्यादि) उगाई जाती है। यहाँ नारियल की खेती की जाती है। यद्यपि कृषि पिछड़ी अवस्था में है।

वहीं दूसरी ओर लक्षद्वीप में मत्स्ययन कार्य किया जाता है।

उद्योग —धन्धे

द्वीपीय प्रदेश में बागाती कृषि से प्राप्त उत्पादों, एवं मत्स्ययन उद्योग, प्रचलित है। इसके अलावा सागर से रत्नों को प्राप्त करना जैसे क्रियाकलाप प्रसिद्ध हैं।

प्रमुख राज्य व प्रमुख नगर

द्वीपीय प्राकृतिक प्रदेश के अन्तर्गत मिनिकाय, पोर्ट ब्लेयर जैसे नगर अवस्थित हैं। लक्षद्वीप एवं अण्डमान निकोबार द्वीप समूह केन्द्रशासित प्रदेशों में विस्तारित हैं।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है ?
(क) पाँचवाँ (ख) सातवाँ
(ग) दसवाँ (घ) बारहवाँ
2. भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है—
(क) 4 (ख) 10
(ग) 12 (घ) 15
3. लिपुलेख दर्रा अवस्थित है—
(क) मेघालय (ख) जम्मू और कश्मीर
(ग) हिमाचल प्रदेश (घ) उत्तराखण्ड
4. भाबर और तराई किस प्राकृतिक प्रदेश के उपविभाग हैं—
(क) उत्तर का पर्वतीय भाग (ख) मध्यवर्ती मैदानी भाग
(ग) दक्षिणी पठारी भाग (घ) तटीय मैदानी व द्वीप समूह
5. लुधियाना क्यों प्रसिद्ध है—
(क) नमक उत्पादन के लिए (ख) होजरी के लिए
(ग) पेट्रोलियम उत्पादन (घ) इनमें से कोई नहीं

अतिलघुउत्तरीय प्रश्न

6. लक्ष्यद्वीप का निर्माण किससे हुआ है ?
7. जारवा एवं सेन्टलीज जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है?
8. रबर, कहवा, मसाले की खेती किस तटीय मैदान की विशेषता है ?

लघुउत्तरीय प्रश्न

9. पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अन्तर कीजिए ?
10. दक्षिणी पठारी प्राकृतिक प्रदेश के उद्योग धन्धों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

11. भारत के किसी एक प्राकृतिक प्रदेश के बनावट, मानव जनजीवन, कृषि पर सविस्तार वर्णन कीजिए।
12. मध्यवर्ती महान मैदान की बनावट तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर एक विस्तृत निबन्ध लिखिए।

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत-पुरातात्विक विरासत, कलाएं, मेले व त्यौहार, तीर्थ स्थान, विरासत का संरक्षण

पुरातात्विक विरासत-

सारनाथ- उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लगभग सात मील दूर स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम इतिपतन मिंगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) था। इस नामकरण के पीछे यह अनुश्रुति है कि यहाँ ऋषि निवास करते थे तथा इसके निकट ही मृगदाव नामक मृगों का रहने का वन था। सम्राट अशोक ने सारनाथ में कई बौद्ध स्थापत्यों का निर्माण कराया था। गुप्तकाल में सारनाथ एक प्रमुख कला केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। सम्राट अशोक ने सारनाथ में ही उस भव्य प्रस्तर स्तम्भ की स्थापना की, जिसका प्रसिद्ध सिंह शीर्ष मौर्यकालीन कला का अद्वितीय उदाहरण है। यही सिंह शीर्ष हमारा राजचिह्न है। इसके अतिरिक्त सारनाथ के स्तम्भ पर अशोक का एक लेख भी उत्कीर्ण है। इसमें अशोक की घोषणाएँ आदेश तथा लोककल्याणकारी सन्देश उत्कीर्ण हैं।

मुख्य शिक्षण बिन्दु

- पुरातात्विक विरासत
 - सारनाथ
 - आलमगीरपुर
 - आगरा
 - फतेहपुर सीकरी
 - कुशीनगर
- कला
- मेले व त्यौहार
- तीर्थ स्थान
- विरासत का संरक्षण

आगरा- उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर जिसकी नींव सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1504 ई० में रखी थी। यमुना नदी के निकट स्थित इस नगर में 1565 ई० में सम्राट अकबर ने लाल पत्थर का किला बनवाया। आगरे का लाल किला अपने युग की दुर्ग निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थानीय लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह दुर्ग कला का एक उत्तम उदाहरण है। 1586 ई० से 1638 ई० तक आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। आगरा की शान शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया ताजमहल है। ताजमहल को प्रायः भारत का मोती कहा जाता है। एक विस्तृत उद्यान के उत्तरी भाग में सफेद संगमरमर की बनी हुई यह इमारत संसार की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में स्थान रखती है। आगरा नगर अपनी स्थापना काल से ही व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग का केन्द्र रहा। आगरा कालीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है।

आलमगीरपुर- उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर में हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके प्रथम चरण से हड़प्पा संस्कृति के परवर्तीकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मृदभाण्ड और आभूषण हड़प्पा के ही अनुरूप हैं। यहाँ से चित्रित धूसर भाण्ड के साथ-साथ काले लाल भाण्ड और सादे लाल भाण्ड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चाक निर्मित पक्की मिट्टी

की वस्तुएं, सुइयाँ, हड्डी के तीर, फलक, पांसे, काँच के मनके आदि मिले हैं। यह वह स्थल है जहाँ से प्राप्त लोहे एवं तांबे की वस्तुओं से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग इन धातुओं से परिचित थे।

फतेहपुर सीकरी— यह आगरा से 23 मील पश्चिम में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बसाए हुए इस भव्य नगर के खण्डहर आज भी अपने तत्कालीन वैभव की झाँकी प्रस्तुत करते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1570 ई० में प्रारम्भ हुआ और कुछ ही वर्षों में यह नगर अनेक भव्य इमारतों से सुसज्जित हो गया। यहाँ सभी भवन प्रायः लाल पत्थर से बनाए गए हैं। इन भवनों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, बुलन्द दरवाजा, जोधाबाई का महल, दीवान—ए—खास, बीरबल महल, इबादतखाना विशेष उल्लेखनीय हैं। ये इमारतें सम्राट अकबर के ललितकला प्रेम की भव्य प्रतीक हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलन्द दरवाजा है। वास्तुकला की दृष्टि से यह दरवाजा भव्य, सुन्दर और अद्वितीय है। यह संगमरमर तथा लाल पत्थर का बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में एक साथ बौद्ध, जैन और गुजराती स्थापत्य शैली की विशेषताएँ मौजूद हैं। वास्तव में यहाँ के स्थापत्य में अकबर की विशाल हृदयता तथा उदारता के होते हैं।

कुशीनगर— उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया का तादात्म्य प्राचीन कुशीनगर से किया जाता है। छठी शताब्दी ईसापूर्व कुशीनगर मल्ल जनपद की दो राजधानियों में से एक थी। यहीं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर मल्लों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के आठवें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने इस स्थान यात्रा की थी। कृष्ण शासक कनिष्क ने कुशीनारा में कई विहारों का निर्माण करवाया था।

कला

उत्तर प्रदेश में कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मन्दिर निर्माण की कला का विकास गुप्तकाल में हुआ जिसके उदाहरण हैं देवगढ़ का मन्दिर (झाँसी), भीतरीगांव का मन्दिर (कानपुर)। मध्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है— अटाला मस्जिद (जौनपुर)। इसी प्रकार यदि मुगल कालीन कला पर दृष्टि डाले तो आगरा का ताजमहल न केवल भारतीय कला में अपना विशेष स्थान रखता है बल्कि विश्वस्तर पर भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ताजमहल के साथ—साथ आगरा एवं इलाहाबाद में सम्राट अकबर द्वारा बनवाए गए किले भी कला के उदाहरण हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले

उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले निम्नवत हैं—

कुम्भ मेला— प्रति 12 वें वर्ष गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम स्थल इलाहाबाद में।

अर्द्धकुम्भ मेला— प्रति 6वें वर्ष प्रयाग (इलाहाबाद) में।

माघ मेला— प्रत्येक वर्ष प्रयाग (इलाहाबाद) में।

वटेश्वर मेला (पशु मेला)– आगरा का प्रसिद्ध ऊँट मेला।

नौचंदी मेला– मेरठ में।

देवाशरीफ मेला– बाराबंकी में (कार्तिक मास में)।

रामनवमी मेला– अयोध्या में।

देवीपाटन मेला– बलरामपुर में।

इसके अतिरिक्त भी इस प्रदेश में स्थान-स्थान पर स्थानीय महत्व के मेले आयोजित होते हैं।

त्योहार

उत्तर प्रदेश में लगभग सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ लगभग सभी धर्मों से सम्बन्धित त्योहारों को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के मुख्य त्योहारों में होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल

फतेहपुर सीकरी, आगरा– शेख सलीम चिश्ती की दरगाह।

जौनपुर– अटाला मस्जिद।

इलाहाबाद– भारद्वाज आश्रम, बड़े हनुमान मन्दिर गंगा, यमुना, सरस्वती संगम, ऋषभदेव तपस्थली।

वाराणसी– गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मन्दिर आदि।

सारनाथ– बुद्ध की 80 फीट ऊँची प्रतिमा।

अयोध्या (फैजाबाद)– हनुमान गढ़ी, कनक भवन, पाँच जैन तीर्थकरों (ऋषभदेव, अजितनाथ अभिनन्दनाथ, सुमतिनाथ व अनन्तनाथ) के मन्दिर।

मथुरा नगर– द्वारिकाधीश मन्दिर।

चित्रकूट– कामतानाथ मन्दिर, कामदगिरि पर्वत, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी।

राजापुर (चित्रकूट)– तुलसीदास स्मारक।

मिर्जापुर– विंध्यवासिनी, अष्टभुजी, काली देवी मन्दिर।

देवा (बाराबंकी)– सन्त हाजी वारिस अली शाह की मजार।

तीर्थ स्थानों का संरक्षण– यह हमारे लिए अत्यन्त गौरव की बात है कि प्रदेश के अनेकानेक स्थान हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति के धरोहर स्थानों का संरक्षण करें। हमारी कोई भी गतिविधि ऐसी न हो जो इन स्थानों को हानि पहुँचाए। इनके संरक्षण का दायित्व हमारे ही ऊपर है। हम अपने सांस्कृतिक स्थानों को संरक्षित रखें जिनसे हमारे आगे आने वाली पीढ़िया भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की गरिमा की अनुभूति कर सकें हमें चाहिए कि—

- किसी भी स्थान को क्षति न पहुँचाए।
- प्रयास करें कि नदियों का जल साफ एवं स्वच्छ रहे।
- सांस्कृतिक विरासत की धरोहर का सम्मान करें।
- सांस्कृतिक विरासत की समुचित देखभाल करें।
- प्रयास करें कि सांस्कृतिक विरासत की शोभा बनी रहे।
- ऐसी गतिविधियाँ न करें जो सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुँचाए।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. अटाला मस्जिद स्थित है—

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (क) आगरा में | (ख) जौनपुर में |
| (ग) मिर्जापुर में | (ख) अयोध्या में |

2. कुम्भ मेला लगता है—

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (क) प्रत्येक वर्ष में | (ख) प्रति छः वर्ष में |
| (ग) प्रति बारह वर्ष में | (ख) प्रति दो वर्ष में |

3. इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया —

- | | |
|----------------|----------------|
| (क) शाहजहाँ ने | (ख) अकबर ने |
| (ग) जहाँगीर ने | (ख) औरंगजेब ने |

अतिलघु प्रश्न

4. भीतरी गाँव मन्दिर कहाँ हैं ?
5. महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ?
6. आगरा नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी थी ?
7. हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष उत्तर प्रदेश में किस नगर से प्राप्त हुए हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

8. उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन-कौन हैं ?
9. कुशीनगर के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
10. फतेहपुर सीकरी की विशेषताओं को लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

11. उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों का वर्णन कीजिए।
11. सारनाथ के विषय में एक लेख लिखिए। अपनी सांस्कृतिक विरासत को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं? विवेचना कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ

विश्व की प्रगति के लिए शान्ति अत्यंत आवश्यक है। इसलिए युद्ध के पश्चात् शान्ति स्थापना के प्रयास किए जाते रहे हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विश्व में शान्ति, सहयोग तथा सद्भावना बनाए रखने के लिए 'लीग ऑफ नेशन्स' नामक संस्था की स्थापना की गयी, किन्तु दुर्भाग्यवश यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा।

द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में व्यापक जन-घन की हानि हुई तथा चारों ओर से शान्ति की आवाज आने लगी। एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भीषण युद्ध की पुनरावृत्ति को रोक सके तथा संसार में स्थायी शान्ति की स्थापना कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन के आधार पर 24 अक्टूबर, 1945 ई0 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- संयुक्त राष्ट्र संघ
- संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य
- संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग
- संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शान्ति

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य इस प्रकार है—

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की व्यवस्था करना।
2. राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को विकसित करना।
3. शान्तिपूर्ण उपायों से अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों को समाप्त करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं का एवं निराकरण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
4. समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग

संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं—

- 1— महासभा— महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। अधिवेशन में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने पाँच प्रतिनिधियों को भेजने

का अधिकार है। लेकिन पॉचों प्रतिनिधियों का एक ही मत माना जाता है। महासभा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले दो— तिहाई सदस्यों के बहुमतसे लिए जाते हैं, अन्य प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित तथा निर्णय करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों में निम्नलिखित शामिल हैं—

- सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों का निर्वाचन
- शान्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने की संस्तुति
- संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों का प्रवेश
- सदस्यों का निलम्बन एवं निष्कासन
- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन
- बजट सम्बन्धी प्रश्न

(2) सुरक्षा परिषद्

यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और चीन इसके स्थायी सदस्य हैं। इन सदस्यों को वीटों (निषेधाधिकार) का अधिकार प्राप्त है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा द्वारा दो वर्षों के लिए किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर होता है, इनमें अफ्रो-एशियन देशों से 5 प्रतिनिधि, लैटिन अमेरिकी देशों से 2 प्रतिनिधि, यूरोप से 2 प्रतिनिधि तथा पूर्वी यूरोप से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद् का मुख्य कार्य विश्व में शान्ति तथा सद्भावना बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद् उन विवाद या झगड़े की जाँच-पड़ताल जिससे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव एवं संघर्ष पैदा होने का खतरा हो। यदि सम्बन्धित झगड़े से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो तो वह उचित कार्यवाही भी करता है।

(3) आर्थिक और सामाजिक परिषद्

राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ सामाजिक स्थिरता और आर्थिक संतोष भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिए जरूरी है। आर्थिक और सामाजिक परिषद् संसार के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करती है। इस परिषद् में 54 सदस्य होते हैं।

चार्टर के अनुच्छेद 55 में परिषद् के उद्देशों का निर्धारण किया गया है जो निम्नलिखित हैं—

- विश्व के नागरिकों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना, सभी व्यक्तियों को रोजगार दिलाना और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक स्वास्थ्य आदि विभिन्न समस्याओं का समाधान करना एवं शिक्षा संस्कृति क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना।
- लिंग, जाति, भाषा और धर्म का विभेद किए बिना सबके लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था करना।

इस परिषद् ने 10 दिसम्बर, 1948ई0 को 'सार्वभौमिक अधिकारों' की घोषणा का अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।

(4). न्यास परिषद्

सुरक्षा परिषद् के पाँचों स्थायी सदस्य इस परिषद् के सदस्य होते हैं। इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य उन आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े देशों की देखभाल करना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन किए गए थे। वर्तमान समय में संरक्षित राज्य न रह जाने के कारण इस परिषद् की उपयोगिता समाप्त हो गयी है।

(5). अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद् एवं महासभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। न्यायालय का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जिनका निर्वाचन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। एक ही समय में एक देश से दो न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते। प्रत्येक न्यायाधीश 9 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। न्यायालय के सभी न्यायाधीश मिलकर किसी अभियोग की सुनवाई करते हैं, परन्तु कम से कम 9 न्यायाधीशों के उपस्थिति होने पर किसी मामले में निर्णय लिया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि जिस देश से सम्बन्धित झगड़े पर न्यायालय के द्वारा विचार किया जा रहा है उस देश का न्यायाधीश मामले के निर्णय में भाग नहीं ले सकता है।

न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से ही लिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है। न्यायालय का प्रधान कार्यालय हेग में है किन्तु न्यायालय विश्व के अन्य स्थानों पर अपनी बैठक कर सकता है।

(6) सचिवालय

सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के छः आंगों में से एक है। यह एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव एवं अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव संस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। चार्टर के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा ईमानदारी के आधार पर होनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो भौगोलिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सचिवालय के अधिकार एवं कार्य निम्नलिखित हैं :-

- यह सभाओं, सम्मेलनों एवं बैठकों की सूची बनाना है तथा उन्हें वितरित करता है।
- यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले लोगों के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का प्रयास करती है।
- यह विश्व की समस्याओं से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करती है।
- यह विश्व के विभिन्न दर्शनों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से सम्बन्धित प्रकाशन निकालता है।
- यह सर्वसम्मति से अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर नीति निर्धारित करने का प्रयास करता है।

घोषणा-पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की संस्तुति पर महासभा द्वारा की जाती है। महासचिव विश्व समुदाय के समक्ष संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। महासचिव का मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करना और इसे प्रतिवर्ष साधारण सभा में प्रस्तुत करना तथा अशान्ति एवं असुरक्षा की स्थिति में सुरक्षा परिषद् को सूचित करना है। वर्तमान समय में श्री बान-की-मूल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शान्ति

संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहाँ सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्यवाही करना है। चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व

सुरक्षा सम्बन्धी अनेक विवाद इसके समक्ष लाये गये हैं। इन विवादों को सुलझाने में यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा सफल नहीं हुआ, फिर भी अनेक बार युद्ध की सम्भावनाओं को टालकर विश्व-शान्ति की दिशा में उसने उल्लेखनीय भूमिका निभायी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म के बाद ही इसे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जो उस समय तृतीय विश्वयुद्ध की भूमिका बन सकती थी। वर्तमान युग में राजनीति के क्रिया-कलाप केवल राजनीति के प्रकरण से बँधे नहीं बल्कि अनेक समस्याएँ राजनीतिक स्वरूप को लेकर विवाद के रूप में शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जहाँ विवादों के निपटारे के लिए एक ओर विचार-विमर्श किया जा सकता है, तो दूसरी ओर आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन एक सरकार का संगठन नहीं है फिर भी यह अपने सदस्यों के सहयोग से विवाद पर नियन्त्रण पाने, उसका निराकरण करने अथवा उसके विस्तृत विवाद का क्षेत्र न बनने देने में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष की कई स्थितियों में जैसे— कांगों और साइप्रस में शान्तिरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार कई अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में जैसे—भारत-बंगलादेश विवाद तथा पश्चिम एशिया संकट आदि में संघ ने विचार-विमर्श एवं सलाह-मशविरे के माध्यम से हालात की गहमागहमी को कम करने में 'कूलर' की भूमिका निभायी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की 16 शान्ति सेनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में तैनात हैं। कम्बोडिया, नामीबिया, अल साल्वाडोर, मोजाम्बिक जैसे अनेकों देशों में निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतन्त्र की स्थापना में संघ ने सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत सदस्य देशों में कृषि, उद्योग, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण की लगभग 5000 परियोजनाओं द्वारा संघ विकास एवं उन्नयन के कार्य में जुटा हुआ है।

संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों को बातचीत में व्यस्त रखता है जिससे युद्ध टल जाते हैं।

क्रियाकलाप :- प्रशिक्षु शिक्षक अभिनय के द्वारा यह बताए कि कैसे कि बातचीत के माध्यम से आपसी विवाद को बिना लड़े निपटाया जा सकता है?

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई ?
(अ) 24 अक्टूबर 1950 ई0 (ब) 22 जुलाई 1926 ई0
(स) 24 अक्टूबर 1945 ई0
2. सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है :-
(अ) 5 (ब) 7
(स) 15 (द) 3
3. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है?
(अ) न्यूयार्क में (ब) दिल्ली में
(स) पेरिस में (द) हेग में
4. संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम कार्यालय कहाँ स्थित है?
(अ) नई दिल्ली में (ब) न्यूयार्क में
(स) जेनेवा में (द) रोम में
5. निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंक नहीं है?
(अ) महासभा (ब) सुरक्षा परिषद
(स) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (द) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है?
2. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं?
3. संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं?
4. संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं तीन अंगों के नाम बताइए।
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई?
2. महासभा के क्या कार्य हैं?
3. सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन कीजिए?
3. संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शान्ति में क्या भूमिका है?

www.dietmathura.org

पर्यावरण प्रदूषण

मानव सभ्यता को आज सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण से है। मनुष्य के आस-पास का सारा वातावरण, उसके प्रयोग में आने वाला समुचा जल भण्डार, उसके साँस लेने के लिए वायु, अन्न पैदा करने वाली धरती और यहाँ तक कि अन्तरिक्ष का सारा विस्तार भी स्वयं मनुष्य द्वारा दूषित कर दिया गया है। मनुष्य अपने सुख और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक साधनों का पूर्णतया दोहन कर लेना चाहता है। यही कारण है कि आज प्रदूषण की समस्या विकराल रूप में आ खड़ी हुई है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दू-

- प्रदूषण क्या है?
- प्रदूषण के प्रकार
- जल प्रदूषण
- वायु प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
- मृदा प्रदूषण

अतएव प्रदूषण की समस्याओं और कारकों पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत हो जाता है।

वायु, जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों को जो मानव-जीवन, उसके रहन-सहन तथा अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं।

प्रदूषण के प्रकार

वातावरण में विद्यमान सभी तत्वों से जीवन चक्र सुचारु रूप से चलता है। इसमें से किसी एक की कमी से जीवन चक्र में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए प्रदूषण के रूप को समझने के लिए क्षेत्रों को समझना अत्यन्त आवश्यक है। प्रदूषण के प्रमुख क्षेत्र व प्रकार निम्नलिखित हैं:-

- (1) जल प्रदूषण
- (2) वायु प्रदूषण
- (3) ध्वनि प्रदूषण
- (4) मृदा प्रदूषण

(1) जल प्रदूषण

जल मानव एवं अन्य जीवधारियों के जीवन को चलाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पृथ्वी पर जल समुद्रों, नदियों, नालों, तालाबों, झरनों आदि में पाया जाता है। पृथ्वी के

कुल जल का लगभग 93 प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है जो कि खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है, 4 प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। सम्पूर्ण जल का केवल कुछ प्रतिशत भाग ही स्वच्छ रूप में नदियों, तालाबों आदि में पाया जाता है। स्वच्छ जल में घुलित खनिज तत्वों के आयन व लवण आदि संतुलित मात्रा में पाये जाते हैं। जब जल में विषाक्त पदार्थ जैसे— कारखानों के अवशिष्ट उत्पाद, रासायनिक पदार्थ, वाहित मल तथा कूड़ा—करकट आदि गिरते हैं तो जल में उपस्थित पदार्थों का संतुलन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जल का दूषित होना ' जल प्रदूषण ' कहलाता है। प्रदूषित जल को ग्रहण करने से जीवधारियों में रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं।

घरेलू कूड़ा—करकट, मल—मूत्र, कल—कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में छोड़ने से जल प्रदूषित होता है। फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रिन, डी0डी0टी0 आदि वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों के जल के साथ बहकर नदियों के जल को दूषित कर देते हैं। कच्चे तेल व खनिज तेल के रिसाव से, आष्विक विस्फोटों से समुह का जल दूषित हो जाता है। घरों व मकानों की सफाई व बर्तन साफ करने साबुन आदि तथा नदी व तालाब के समीप नहाने व कपड़े धोने से जल दूषित हो जाता है।

दूषित जल में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन गैस की वृद्धि हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से जीवजन्तु या तो मर जाते हैं या उनका विकास सही से नहीं हो पाता है। वाहित मल द्वारा जल के प्रदूषित होने पर पक्षाघात, पीलिया टायफाइड, हैजा, पेचिश, डायरिया आदि रोग हो जाते हैं। दूषित जल में अनेक प्रकार के विषैले तत्व पाये जाते हैं जो पौधो, वनस्पतियों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। कल—कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ और खेती में प्रयोग होने वाले कीटनाशक जब नदियों में पहुंचते हैं तो वह के जीव जन्तुओं को नष्ट कर देते हैं।

इन समस्याओं से बचने के लिए जल प्रदूषण को नियन्त्रित करना आवश्यक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि कारखानों से निकले विषाक्त अवशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को नदियों व समुद्रों आदि में नहीं गिराना चाहिए। घरेलू उपयोग में आने वाले साबुन, डिटरजेंट आदि की स्वच्छ जल के स्रोतों से दूर रखा जाय। तेल टैंकरों का निर्माण इस तरह से करना चाहिए जिससे तेल का रिसाव न हो। कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक उर्वरक के प्रयोग के बाद सिंचाई करनी चाहिए जिससे ये बहकर बाहर न जा सकें। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगानी चाहिए।

2 वायु प्रदूषण

सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। वायु में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन, 03 प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साइड एवं शेष अक्रिम गैसे पायी जाती है। जब किन्हीं कारणों से वायुमण्डल की गैसों की इस मात्रा में अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तथा वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों मिल जाती हैं। तो इसे 'वायु प्रदूषण' कहते हैं।

रगमान्य रूप से वायु प्रदूषण में मानव की भूमिका अह है। मानव निर्मित औद्योगिक कारखानों, ताप बिजली घरों, यातायात के साधनों, परमाणु संयन्त्रों, अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों के उपयोग, नाभिकीय विस्फोटों, घरेलू ईंधन, धूम्रपान का प्रयोग से वातावरण दूषित हो रहा है। उपर्युक्त साधनों का उपयोग करके मानव विभिन्न प्रकार की गैसों और हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं, जिसमें कार्बन-डाई-ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सीसा, वैरोलियम आर्सिनिक एवं रेडियोएक्टिव पदार्थ मुख्य है।

वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। कारखानों से निकलने वाली गैसे विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देती है। सल्फर डाईऑक्साइड से श्वसन सम्बन्धी रोग हो जाते हैं। सिलिकायुक्त धूल-कण फेफड़ों में जमा होकर अनेक प्रकार के विकार पैदा करते हैं। कार्बन मोनो ऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है और उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वाहनों से निकलने वाला धुआँ साँस के साथ नाक में जाकर जलन पैदा करता है और श्वास रोग, दमा, कैंसर, हृदय रोग, आदि का कारण बनता है। मनुष्यों के साथ-साथ वायु-प्रदूषण जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती हो जो पेड़ की पत्तियों पीली कर उनका विकास रोक देता है और जलीय तंत्र को प्रभावित कर मछलियों एवं अन्य जीवों को मार देती है। वायुमण्डल में पायी जाने वाली ओजोन पर्त क्लरो फ्लोरोकार्बन (सीएफसी) के कारण निरन्तर क्षीण हो रही है। इससे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर पहुँचने की सम्भावना अधिक हो गयी है। इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाई-ऑक्साइड (CO₂) गैस पृथ्वी से लौटती विकिरण को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है जिसे 'ग्रीन हाऊस एफेक्ट' कहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो आर्कटिक व अन्टार्कटिका के विशाल हिमखण्ड पिघल जायेंगे और परिणामतः समुद्र के जल स्तर में 10 इंच से 5 फुट तक घातक वृद्धि हो सकती है।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए घरों में धुआँ रहित ईंधन जैसे कुकिंग गैस, सौर ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए। वाहनों से निकलने वाले धुएँ पर फिल्टर लगाना चाहिए तथा सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो पैदल या साइकिल से चले। औद्योगिक इकाइयों को वायु प्रदूषण के नियन्त्रण की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए तथा कारखानों को शहर से दूर लगाना चाहिए। वनों को काटने पर रोक लगे तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए।

3. ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि या आवाज पैदा करना मानव तथा जीवधारियों का स्वाभाविक गुण है। ध्वनि या आवाज के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं किन्तु अनावश्यक असुविधाजनक तथा अनुपयोगी आवाज को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। सामान्यतः हमारे कान एक निश्चित सीमा तक की आवाज सुने सकते हैं किन्तु जब आवाज सीमा से अधिक तीव्र हो जाती है और जिसे कान सुनने के लिए तैयार न हो वह ध्वनि प्रदूषण के अन्तर्गत आती है। लाऊडस्पीकर, विमान, रेलगाड़ी, बस, ट्रक, कार, स्कूटर, जेट विमान आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है।

ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कान के परदे से टकराती है जहाँ से वे सूक्ष्म तंत्रिकाओं से होती हुई श्रवण तंत्रिका तक पहुँचती हैं। अधिक आवाज के कारण ये तंत्रिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 80-85 डेसीबल तक की आवाज सुन सकता है। अधिक तीव्र आवाज के कारण मानव के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। लोगों में झुँझलाहट, खीझ, चिड़चिड़ापन, तनाव, चिन्ता थकान आदि दोष पैदा हो जाते हैं जिससे उनके कार्य में गलतियाँ अधिक होती हैं। तनाव, चिन्ता, खीझ के कारण मानव के शरीर में हॉर्मोन्स परिवर्तन होते हैं। जिससे मनुष्य उच्च रक्तचाप, उत्तेजना, मांसपेशियों में खिंचाव पाचनतंत्र में गड़बड़ी, अल्सर जैसे रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अधिक शोर से शिशुओं में विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं व महिलाओं में गर्भपात जैसी दुर्घटना हो जाती है।

ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले साधनों पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसी मशीनों का निर्माण जिनसे कम से कम ध्वनि उत्पन्न हो। कारखानों को शहरों से दूर लगाया जाए तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों पर साइलेन्सर का उपयोग किया जाए। सड़क के किनारे लगे पेड़-पौधे तेज ध्वनि को कम करते हैं, अतः सड़कों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए।

4. मृदा प्रदूषण

मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बनाती हैं। पौधों के लिए मृदा अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि पौधे मृदा से जल, खनिज लवण आदि प्राप्त करते हैं। मृदा के प्रदूषण से इसमें रहने वाले जीव-जन्तुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मृदा प्रदूषण कई कारणों से होता है। घरों के कूड़ा-करकट तथा अपशिष्ट पदार्थों से मृदा प्रदूषित होती है। उर्वरको, कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों, पॉलीथिन की थैलियों, खुले स्थानों पर मल-विसर्जन, अम्लवर्षा, सीसा, ताँबा, पारा आदि से भी मृदा प्रदूषित होती है।

मृदा प्रदूषण को रोकने हेतु घर के कूड़ा-करकट, मरे हुए जानवरो को बस्ती से दूर गड्ड़ों में रखकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। भूमि पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो तथा फसलों पर कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम हो। पालिथिन के प्रयोग पर रोक लगाने से भी मृदा प्रदूषण कम होता है।

क्रियाकलाप- प्रशिक्षु शिक्षक आपस में गुप बनाकर प्रदूषण रोकने के उपायों पर चर्चा करें-

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. पृथ्वी के कितने भाग पर जल है-

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (क) तीन चौथाई | (ख) एक चौथाई |
| (ग) दो चौथाई | (घ) इनमें से कोई नहीं |

2. निम्नलिखित में कौन-सा प्रदूषण का रूप है-

- | | |
|------------------|----------------|
| (क) वायु प्रदूषण | (ख) जल प्रदूषण |
| (ग) भूमि प्रदूषण | (घ) उक्त सभी |

3. वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है-

- | | |
|----------------|----------------|
| (क) 78 प्रतिशत | (ख) 50 प्रतिशत |
| (ग) 25 प्रतिशत | (घ) 21 प्रतिशत |

4. जल प्रदूषण का कारण है-

क. मल-मूत्र नदियों में छोड़ना

- ख. फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग
- ग. कच्चे तेल का समुद्री जल में रिसाव
- घ. उक्त सभी

5. वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है—
- क. सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से
 - ख. वाहनों का उपयोग कम करके
 - ग. कारखानों को शहर से दूर लगाकर
 - घ. वनों को काटकर

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. पर्यावरण प्रदूषण क्या है ?
2. प्रदूषण के दो प्रकार बताइए।
3. जल प्रदूषण के दो कारण बताइए।
4. वायु प्रदूषण के दो प्रभाव बताइए।
5. मृदा प्रदूषण क्या है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है ?
2. ध्वनि प्रदूषण रोकने के चार उपाय बताइए।
3. मृदा प्रदूषण कैसे होता है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? यह कितने प्रकार का होता है ?
2. जल प्रदूषण क्या है? जल को प्रदूषित होने से कैसे रोका जाए?
3. वायु प्रदूषण कैसे होता है? इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं ?

www.dietmathura.org

जनगणना

जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से सम्बंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकीय प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करती है तथा विकास योजनाएं तैयार कर उनका संचालन सुनिश्चित करती है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- जनगणना
- जनगणना का इतिहास
- जनगणना संबंधी शब्दावली
- भारत में जनसंख्या वृद्धि
- भारत की जनगणना 2011

जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण 'कैडेस्ट्रल सर्वे' के रूप में पाया जाता है। 1500 ई0पू0 मूसा द्वारा इजरायल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है। अबुल फसजल द्वारा रचित 'आइने अकबरी' (1595-96) में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है।

आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ई0 में स्वीडन द्वारा कराया गया था। दशकीय जनगणना का कार्य 1890 ई0 में सर्वप्रथम अमेरिका में कराया गया। 1801 ई0 में इंग्लैण्ड में जनगणना कराई गयी। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लार्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ई0 में लार्ड रिपन के समय से प्रत्येक दस वर्ष के अन्तराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारम्भ हुआ, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की यह सातवीं जनगणना है। 21वीं शताब्दी की यह दूसरी जनगणना है।

जनगणना सम्बन्धी शब्दावली

1. **जनसंख्या घनत्व**— प्रतिवर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है।

जनसंख्या घनत्व— स्थान विशेष की कुल जनसंख्या/स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल

2. **लिंगानुपात**— प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात होती है।

स्त्रियों की संख्या

$$\text{लिंगानुपात} = \frac{\text{स्त्रियों की संख्या}}{\text{पुरुषों की संख्या}} \times 100$$

3. शिशु लिंगानुपात— 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में (0-6) बालिकाओं की संख्या को 'शिशु लिंगानुपात' कहा जाता है।

$$\text{शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष)} = \frac{\text{बालिकाओं की संख्या (0-6)}}{\text{बालकों की संख्या (0-6)}}$$

4. दशकीय वृद्धि दर— यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है।

$$\text{दशकीय वृद्धि दर} = \frac{\text{वर्तमान जनसंख्या} - \text{पूर्व जनसंख्या}}{\text{पूर्व जनसंख्या}} \times 100$$

5. साक्षरता दर— 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की 'साक्षरता दर' कहते हैं।

$$\text{साक्षरता दर} = \frac{\text{साक्षरों की संख्या}}{\text{7+ आयु वाली जनसंख्या}} \times 100$$

6. नगरीय क्षेत्र

जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हो, 'नगरीय क्षेत्र' के अन्तर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों एक सथ पूरी करते हो—

1. न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो।
2. कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75 प्रतिशत गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो।
3. जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो।
7. शहर— 100000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 'शहर' कहा जाता है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि

भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

1. **स्थिर जनसंख्या की अवधि (1991 से 1921 तक)**— इस अवधि में मृत्युदर बहुत अधिक थी, जिसके लिए महामारी, दुर्भिक्ष एवं खाद्य पदार्थों का अभाव उत्तरदायी था। अतः जन्मदर एवं मृत्युदर का अन्तर कम होने से प्राकृतिक वृद्धि दर न्यून थी। अर्थात् देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई।

2. **धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या (1921— 1951 तक)**— 1921 के पश्चात् उच्च मृत्युदर के लिए उत्तरदायी कारणों जैसे— अकाल, महामारी पर नियंत्रण प्रारम्भ हो गया था। कृषि अर्थव्यवस्था में क्रमागत विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि से मृत्युदर को नियन्त्रित करने में सहायता मिली। फलतः देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही।

3. **तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या (1951—1981 तक)** 1951 में भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी जो 1981 में बढ़कर 68.33 करोड़ हो गयी। ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण विकास कार्य, खाद्य आपूर्ति में सुधार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के कारण मृत्युदर में कमी थी। फलस्वरूप जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई और यह जनसंख्या विस्फोटक अवस्था में पहुँच गयी।

4. **जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट (1981—2011)** स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में प्रथम गिरावट 1971—81 के दशक में प्रारम्भ हुई जो 2001—2011 के दशक में गिरकर अंतिम रूप से 17.7 प्रतिशत हो गयी। वर्तमान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर 1.64 प्रतिशत है। अर्थात् इस अवस्था में देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई किन्तु वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी रहा।

भारत की जनगणना 2011

भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। 1 अरब 21 करोड़ से अधिक की जनसंख्या जो 35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों, 640 जिलों, 5924 तहसीलों/तालुकों, 7933 कस्बों तथा 6.41 लाख गाँवों में निर्वासित है। इतने विस्तृत क्षेत्र की इतनी बड़ी जनसंख्या की गणना करना एक कठिन कार्य था किन्तु इसे भारत के महाराजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉ०सी०चन्द्रमोलि के नेतृत्व में 20 लाख से अधिक प्रशिक्षित प्रगणकों/पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों ने सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। 30 अप्रैल 2013 को भारत के महाराजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए।

राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की संक्षिप्तियां इस प्रकार हैं—

जनसंख्या— 2011 की जनगणना के अनुसार 01 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 थी। इसमें से 83, 34, 63, 448 ग्रामीण जनसंख्या और 37,71,06,125 नगरीय जनसंख्या है। उ०प्र०, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तथा महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.31 करोड़ जबकि महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.74 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जबकि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है।

दशकीय वृद्धि दर

जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001—2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 (ग्रामीण—12.3 प्रतिशत नगरीय 31.8 प्रतिशत) रही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय में जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में हुई।

जनसंख्या घनत्व

जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व 382 है। सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में दिल्ली (11,320) का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है जबकि राज्यों में इस संदर्भ में बिहार (1,106) शीर्ष पर पहुंच गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है।

लिंगानुपात

जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात 943 है जो 2001 से 10 अधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल (1084) में जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा (879) में है।

2011 में शिशु लिंगानुपात 2001 के 927 से गिरकर 919 पर आ गया है जो कि 1961 के बाद से न्यूनतम है।

साक्षरता दर

जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल साक्षरता 73.0 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 64.6 प्रतिशत है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल (94.0) प्रतिशत जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार (61.8) प्रतिशत है।

जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है। यह ग्राम, नगर एवं वार्ड स्तर पर प्रारम्भिक आंकड़ों का एकमात्र स्रोत है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वयन, नीतियों के विनियमन के लिए उपयोगी जानकारियों उपलब्ध कराती है। जनगणना देश के विकास की समीक्षा का आधार बनती है तथा भावी योजनाओं की निर्मित हेतु महत्वपूर्ण होती है, यही कारण है कि जनगणना 2011 का नारा "हमारी जनगणना, हमारा भविष्य" है।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में पहली बार जनगणना कब हुई—

- | | |
|--------------|--------------|
| (क) 1872 में | (ख) 1901 में |
| (ग) 1972 में | (घ) 2011 में |

2. लिंगानुपात होता है—

- | |
|---|
| (क) 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या |
| (ख) 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या |
| (ग) 10000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या |
| (घ) 100000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या |

3. भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है—

- | | |
|------------------|------------------|
| (क) 15 प्रतिशत | (ख) 16 प्रतिशत |
| (ग) 17.5 प्रतिशत | (घ) 18.5 प्रतिशत |

4. भारत में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि कब हुई—
(क) 1901 से 1921 तक (ख) 1921 से 1951 तक
(ग) 1951 से 1981 तक (घ) 1981 से 1911 तक
5. जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हैं—
(क) उत्तर प्रदेश में (ख) बिहार में
(ग) पंजाब में (घ) दिल्ली में

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. भारत में नियमित जनगणना किस ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में प्रारम्भ हुई ?
2. शिशु लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है ?
3. जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है ?
4. सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है ?
5. जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. जनगणना से क्या तात्पर्य है ?
2. साक्षरता दर क्या होता है ?
3. 1951 से 1981 के बीच तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण थे?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. जनगणना क्या होती है? जनगणना से संबंधित शब्दावली के बारे में बताइए।
2. भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास के बारे में बताइए। क्या बढ़ती जनसंख्या भारत की बड़ी समस्या है ?
3. भारत की जनगणना 2011 की प्रमुख बातों का विस्तार से वर्णन करें।

नागरिक सुरक्षा

आधुनिक युद्ध, सीमाओं के साथ-साथ नागरिक आबादी क्षेत्रों पर भी अत्यन्त घातक प्रभाव डालता है। अतः बाह्य युद्ध के समय के देश की आन्तरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो व नागरिकों का मनोबल बना रहे इस हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के पश्चात् नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना देश तथा प्रदेश के सुभेद्य नगरों में की गई ।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- नागरिक सुरक्षा
- उद्देश्य
- नागरिक सुरक्षा कोर के कार्य

उद्देश्य

- जीवन की रक्षा ।
- सम्पत्ति की हानि को कम करना ।
- उत्पादन की निरन्तरता को बनाये रखना ।
- जन मानस के मनोबल को बनायें रखना ।

नागरिक सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है व इस हेतु भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा नगरों को चिन्हित करके श्रेणीबद्ध किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 17 नगरों को श्रेणीबद्ध किया गया है। नागरिक सुरक्षा विभाग का प्रदेश स्तरीय ढाँचा निम्न प्रकार है—

नागरिक सुरक्षा विभाग, उ0प्र0, का स्वरूप

↓
पुलिस महानिदेशक/निदेशक, नागरिक सुरक्षा उ0प्र0

↓
अपर पुलिस महानिदेशक/संयुक्त निदेशक नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0

- • कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी नागरिक सुरक्षा निदेशालय
- • कमाण्डेट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0,
- • जिलाधिकारी/नियंतक, नागरिक सुरक्षा नगर
- • उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा (नगर स्तर पर)
- • नागरिक सुरक्षा कोर के कार्य एवं दायित्व

अ. मूल कार्य

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा-9 के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों के कार्य निम्न प्रकार हैं—

1. प्रशिक्षण
2. अभ्यास/प्रदर्शन
3. शत्रु के आक्रमण से जीवन व सम्पत्ति को सुरक्षा एवं चिन्हित वह काम जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम अथवा अन्य कानून द्वारा सौंपे गए।

ब. शांतिकालीन कार्य

1. नागरिक सुरक्षा नगर की नागरिक आबादी को भावी युद्ध एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना।
2. नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों तथा नागरिकों को हवाई हमले से उत्पन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण का ज्ञान कराने हेतु प्रदर्शन एवं अभ्यासों का आयोजन करना।
3. आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा उपायों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक नगर स्तर पर नागरिक सुरक्षा योजना तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की नागरिक सुरक्षा योजना तैयार करना।

इसके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को अधिक उपयोग एवं सक्रिय बनाने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित कल्याणकारी एवं सामाजिक कार्य भी सौंपे गये हैं—

- सफाई अभियान
- पल्स पोलियों अभियान
- प्रदूषण मुक्ति अभियान
- वातावरण सुरक्षा प्रचार
- आगजनी में सहायता
- रक्तदान शिविर
- गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं में सहायता

नागरिक सुरक्षा निदेशालय

नागरिक सुरक्षा विभाग की विभिन्न इकाईयों पर नियंत्रण व समन्वय हेतु लखनऊ में नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। विभाग मुखिया, निदेशक, नागरिक सुरक्षा होते हैं जो संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय का कार्य भारत सरकार व प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कराना व विभिन्न नागरिक सुरक्षा इकाईयों के कार्यों का पर्यवेक्षण व उनके मध्य समन्वय स्थापित करना है।

केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षित वैतनिक व अवैतनिक जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवकों तथा वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. नागरिक सुरक्षा नगर

उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन 17 नगरों में कार्यरत है। नागरिकों सुरक्षा नगरों का मुख्य कार्य स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना, जन सामान्य को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देना व उन्हें जागरूक करना, प्रदर्शन/अभ्यास का आयोजन करना, नगर व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की नागरिक सुरक्षा योजनाओं तैयार व पुनरीक्षित करना, हाउस होल्ड रजिस्ट्रों का रख-रखाव आदि हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाली अभियानों व जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया जाता है। नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार 12 सेवाओं का गठन किया गया है—

- मुख्यालय सेवा
- संचार सेवा
- वार्डन सेवा
- हतावृत्त सेवा
- अग्निशमन सेवा
- प्रशिक्षण सेवा

- बचाव सेवा
- कल्याण सेवा
- पूर्ति सेवा
- शव निस्तारण सेवा
- साल्वेज सेवा
- परिवहन सेवा

आपात काल में इन सेवाओं के संचालन का उत्तरदायित्व नागरिक सुरक्षा विभाग के समन्वय से उन अन्य विभागों का है जो शांतिकाल में इस सेवाओं से सम्बंधित कार्यों के संचालन हेतु उत्तरदायी हैं।

क्रियाकलाप— प्रशिक्षु अलग-अलग समूह में बंट कर युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा कार्यों पर रोल-प्ले करें।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. चीन ने भारत पर आक्रमण किया –

(क) 1960 में	(ख) 1961 में
(ग) 1962 में	(घ) 1963 में
2. नागरिक सुरक्षा अधिनियम बना—

(क) 1962 में	(ख) 1964 में
(ग) 1968 में	(घ) 1968 में

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. नागरिक सुरक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
2. उत्तर प्रदेश का नागरिक सुरक्षा निदेशालय कहां स्थित है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. नागरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है ? नागरिक सुरक्षा संगठन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएँ

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं

28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग/बचत जमा खाते, भेजी हुई रकम, कर्ज, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

शिक्षण बिन्दु

- सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएँ
- भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं

इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु निम्न हैं-

- गरीबों और गाँवों के लोगों को गरिमा और वित्तीय आजादी प्रदान करने हेतु उन्हें वित्तीय दृष्टि से शामिल करने के लिए इस योजना की संकल्पना की गई है।
- इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा देना और प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंक खाते की व्यवस्था करना है।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रादेशिक भाषा में एक मानकीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री तैयार की गई है।
- एक बैंक खाते के साथ, प्रत्येक परिवार की बैंकिंग और ऋण सुविधाओं तक पहुँच होगी। इससे वह साहूकारों के चंगुल से निकल सकेंगे, आपात जरूरतों के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से दूर रह सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, अनेक साझा वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित हो सकेंगे।
- पहले कदम के रूप में प्रत्येक खाताधारक को 1 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा के साथ रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा। 26 जनवरी, 2015 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत खाता खोलने वालों को 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी मिलेगा। उपयुक्त समय पर उन्हें अन्य बीमा और पेंशन लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की विशेषताएं

पीएमजेडीवाई के मिशन मोड उद्देश्य के 6 स्तम्भ हैं। पहले चरण के अन्तर्गत, पहले वर्ष के दौरान (15 अगस्त 2014– 14 अगस्त, 2015) तीन कार्य तय किए गए हैं—

1. बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वव्यापी पहुंच,
2. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और
3. छह महीने के बाद 5, 000 ₹ तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंकिंग खाता और रुपये डेबिट कार्ड प्रदान करना, जिसमें 1 लाख रुपये का बीमा कवर शामिल है और रुपये किसान कार्ड को अमल में लाया जाएगा।

दूसरे चरण की शुरुआत 15 अगस्त, 2015 से होगी और यह 15 अगस्त, 2018 तक चलेगा। इसमें शामिल होगा—

1. ओवर ड्राफ्ट में भुगतान अदा नहीं करने वालों के लिए 'क्रेडिट गारंटी फंड' बनाना,
2. सूक्ष्म बीमा और
3. स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजना साथ ही इस चरण में पहाड़ी, आदिवासी और सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा परिवारों के शेष वयस्कों और छात्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

चर्चा बिन्दु

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना चलाए जाने के क्या उद्देश्य हैं?
- प्रधानमंत्री ने 25 सितम्बर, 2014 को मेक इन इंडिया की पहल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नई दिल्ली में एक साथ शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना है। यह कार्यक्रम नोडल मंत्रालय-औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य नए आविष्कार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विश्व में सर्वोत्तम बनाना है। इसमें हरित और अत्याधुनिक निर्माण को बढ़ावा देने और इन कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भाग लेने में मदद करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच योजनाएं शुरु की गई हैं। इन पांच योजनाओं का उद्देश्य औद्योगिक विकास और आसान व्यवसाय के लिए अनुकूल माहौल बनाना और श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

ये योजनाएं निम्नवत् हैं—

1. श्रम सुविधा पोर्टल
2. एल आई एन वेब पोर्टल
3. यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर स्कीम (सार्वभौमिक खाता संख्या योजना)
4. आकस्मिक निरीक्षण योजना
5. प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना
6. नयापन लिए हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

डिजीटल भारत

डिजीटल इंडिया विजन का उद्देश्य देश को डिजीटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था बनाना है। इस कार्यक्रम को 2015 से 2018 तक विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने की है।

डिजीटल इंडिया के दूरदार्शिता वाले क्षेत्र

1. प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
2. प्रमुख जनोपयोगी सुविधा के रूप में हाईस्पीड इण्टरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराना।
3. डिजीटल पहचान का विकास—विशिष्ट, जीवनपर्यन्त ऑनलाइन और प्रमाणित करने योग्य।
4. अपने इलाकों में साझा सेवा केन्द्रों तक आसान पहुंच।
5. सार्वजनिक समूहों पर साझा करने योग्य निजी विस्तार।
6. देश में सुरक्षित और मजबूत साइबर स्पेस।

चर्चा बिन्दु

- डिजीटल इंडिया विजय का क्या उद्देश्य है?

उ0प्र0 सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं

उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाएं— स्वतः रोजगार योजना— गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों के लिए स्वतः रोजगार की इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1980—81 से किया जा रहा है इस योजना में रु0 7.00 लाख लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाएँ वित्त पोषित की जाती है। जिनमें उद्योग—सेवा, व्यवसाय, पशुपालन, ट्रांसपोर्ट तथा सभी आर्थिक विकास की योजनाएं आच्छादित है।

कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनाएं

प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु कम्प्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, आटोमोबाइल, टी0वी0, रेडियो मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, रेफ्रीजरेशन, एयर कंडीशनर, टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजनाएं निःशुल्क संचालित की जाती है।

राजकीय औद्योगिक आस्थान—

प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को शहरी क्षेत्रों के उद्योग स्थापित करने के लिए 9 जिलों में औद्योगिक आस्थान संचालित है।

स्वावलम्बन योजना

प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा यह योजना 1996 से चल रही है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजनानतर्गत प्रदेश की आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारम्परिक व गैर पारम्परिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराए जाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराया जाता है।

स्वधार योजना

2001-02 से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य निराश्रित, जेल से अवमुक्त, वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रम उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा, परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। भारत सरकार के सहयोग से वृन्दावन में स्वधार केन्द्र स्थापित है।

रोजगार कार्यालय

प्रदेश में ऐसे कार्यालयों की स्थापना 1945 से शुरू हुई। वर्तमान में 105 सेवायोजना कार्यालय स्थापित है तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगार परकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुल 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना कब शुरू की गई-

(क) 28 अगस्त, 2014

(ख) 30 अगस्त, 2014

(ग) 5 सितम्बर, 2014

(घ) 8 सितम्बर, 2014

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना क्यों शुरू की गई?

3. स्वलम्बन योजना क्या है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

4. प्रधानमंत्री जन-धन योजना की विशेषताएं लिखिए।

www.dietmathura.org

गैर सरकारी संगठन और उनकी उपादेयता

पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव, कोफी अन्नान ने कभी यह कहा था कि “21वीं शताब्दी गैर सरकारी संगठनों का युग कहलाएगा।” उनके इस कथन से प्रतीत होता है कि देश और समाज के निर्माण में सेवा कार्यों के जरिए गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस निमित्त उनकी उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता है। हमारे देश में भले ही गैर सरकारी संगठनों का अभ्युदय सेवा कार्यों के नए स्वरूप में हुआ है मगर इसकी अवधारणा पुरानी है। लगभग हर कालखण्ड में ऐसे स्वैच्छिक संगठनों का अस्तित्व रहा जो किसी न किसी रूप में मानव एवं समाज सेवा में रह रहते थे। आज इस परम्परा को गैर सरकारी संगठन, जिन्हें स्वैच्छिक संगठन भी कहा जाता है, आगे बढ़ा रहे हैं।

शिक्षण बिन्दु

- गैर सरकारी संगठन अर्थ व उपयोगिता

वस्तुतः गैर सरकारी संगठनों से आशय उन स्वैच्छिक संगठनों से है, जिनका उद्देश्य सामाजिक कार्य और मानव सेवा करना होता है इन कार्यों को करते हुए एक तरह से ये सरकार के लिए मददगार साबित होते हैं। यही कारण है कि सरकार इन्हें वित्त पोषित करती है। ये वे संगठन होते हैं, जिनका गठन वैधानिक रूप से किया जाता है। इनकी विशिष्टता यह होती है कि सरकारी वित्त पोषण के बावजूद अपने स्वरूप को गैर सरकारी बनाए रखते हैं।

एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन की परिभाषा विश्व बैंक ने कुछ इस प्रकार की है— “एनजीओ एक निजी संगठन होता है, जो लोगों का दुःख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाता है। विश्व बैंक ने गैर सरकारी संगठनों को दो वर्गों में बांटा है। पहले वर्ग को क्रियात्मक स्वैच्छिक संगठन नाम दिया है, जबकि दूसरे वर्ग में आने वाले संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों और कार्यपद्धतियों की पैरोकारी करते हैं। इस तरह देखो तो वैश्विक संदर्भों में भी गैर संगठनों का विशेष महत्व है।

भारत में 1860 में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अस्तित्व में आया और इसके बाद मात्र गैर सरकारी संगठनों का संगठित स्वरूप सामने आया। इसमें गति आई स्वाधीनता आन्दोलन के समय। आजादी की ललक ने हमारी राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को बढ़ाया और हमारे देशवासियों ने जहाँ सेवा को माध्यम बनाकर एक परिष्कृत और उन्नत समाज के निर्माण की पुरजोर कोशिश की, वहीं इस रास्ते पर चलकर राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम बड़ी शिद्दत से किया। सत्य शोधन समाज, प्रार्थना समाज, फ्रेंड इन नीड सोसायटी, दि इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा आदि समाज जैसे संगठनों ने उल्लेखनीय काम किया।

जिस समय देश को आजादी मिली, उस समय हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ थी। हम अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे थे। इन समस्याओं से छुटकारा दिला पाना अकेले सरकार के बूते की

बात नहीं थी। विषम परिस्थितियों एवं समस्याओं से देश को उबारने के लिए एक बार फिर स्वैच्छिक संगठनों ने कमर कसी तथा सेवा कार्यों से तत्कालीन समस्याओं से जूझना शुरू किया। यह उस वक्त की जरूरत भी थी, क्योंकि बाबू स्वयं कह चुके थे कि आजादी हमें मिली है, वह मध्य राजनीतिक आजादी है, मूल्य, गरीबी और वंचना से आजादी पाना शेष है। इस बात को ध्यान में रखकर बापू ने देश के नौजवानों को बढ़-चढ़ कर समाज के लिए प्रेरित भी किया था। उनके इस प्रयास ने रंग दिखाना शुरू किया। बापू भले हमारे बीच नहीं रहे, किन्तु उनके आदर्शों को सामने रखकर काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों ने सेवा कार्यों को व्यापक विस्तार देकर राजकीय सहायता के अभाव को दूर किया।

मौजूदा दौर में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 1.21 अरब हो चुकी है। जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। उसी के अनुरूप जनसभाओं में भी इजाफा हुआ है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम समस्याओं को उस तरह से नहीं सुलझा पाए हैं, जिस प्रकार सुलझा लेना चाहिए था।

पुरानी समस्याएं जहां यथावत हैं, वहीं अनेकानेक नई समस्याएं भी अस्तित्व में आई हैं। फिर भी यह भी एक कटु सत्य है कि इतने बड़े देश में सिर्फ सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने दम पर एक समस्या विहीन समाज का निर्माण करे। उसे भी हाथ-पांव चाहिए। यह काम इस समय देश में स्वैच्छिक संगठन बखूबी कर रहे हैं। लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में भी गैर सरकारी सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि स्वैच्छिक क्षेत्र को लोकतंत्र के पांचवे स्तम्भ के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह क्षेत्र पूरी निष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं ईमानदारी से काम करे, तो देश की एक ऐसी बुलंद तस्वीर बन सकती है। जो दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए प्रेरक साबित होगी।

देश में सरकार का रवैया अधिकांशतः स्वयं सेवी संगठनों के प्रति सकारात्मक रहा है। कुछ समय पूर्व स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में सरकार ने जो राष्ट्रीय नीति अनुमोदित की थी, उसमें एक सुदृढ़ एवं प्रभावपूर्ण स्वैच्छिक क्षेत्र विकसित किए जाने पर बल दिया गया। इस नीति में जहाँ स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक ऐसे वातावरण के निर्माण पर जोर दिया गया जो उन्हें स्वायत्तता और सुरक्षा प्रदान करे, वही सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के मध्य परस्पर विश्वास बढ़ाने पर भी बल दिया गया। इस तरह देखा जाए तो हमारे देश में स्वैच्छिक संगठनों के फलने-फूलने के लिए पर्याप्त सकारात्मक वातावरण उपलब्ध है। यही कारण है कि मौजूद समय में भारत में तकरीबन 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन यानी गैरसरकारी संगठन अस्तित्व में हैं। जहाँ ये जन कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वही विकास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने में भी अपना यथेष्ट योगदान दे रहे हैं। महानगरों से लेकर सुदूर अंचलों, दुर्गम क्षेत्रों एवं गाँवों-कस्बों में ये अपने काम को अंजाम देकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बन रहे हैं। जनसेवा के साथ-साथ ये संगठन लोगों के हकों की भी पैरोकारी करते हैं और जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं-परियोजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास भी करते हैं। इनकी भूमिका निरंतर बढ़ रही है। भारतीय गैरसरकारी संगठनों की प्रतिष्ठा विदेशों में भी बढ़ी है, यही कारण है कि दूसरे देशों से कुछ स्वयं सेवी संगठनों को अच्छा अनुदान भी मिल रहा है। स्वैच्छिक संगठनों की

बढ़ती संख्या से यह भी पता चलता है कि लोगों की बीच जागरूकता बढ़ रही है। वे नए अवसरों को गंवना नहीं चाहते। वे सेवा प्रदाता की भूमिका में आकर जनता जो कि लोकतन्त्र में जनार्दन है, को सहूलियत प्रदान कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. गैर सरकारी संगठन से क्या तात्पर्य है ?
2. गैर सरकारी संगठन की विशेषता लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

3. गैर सरकारी संगठन की भूमिका एवं उपादेयता लिखिए।

www.dietmathura.org

विविधता में एकता

शिक्षण बिन्दु

भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में विषमताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जातियों एवं समुदायों के बीच एक अनोखी समानता एवं एकता भारत में सदैव विद्यमान रहती है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत इस एकता को बनाए रखने और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रान्तों, जातियों एवं प्रजातियों के लोगों के हितों की रक्षा करने एवं देश के पिछड़े, दुर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही गई है।

शिक्षण बिन्दु

- विविधता में एकता
- राष्ट्रीय एकता के प्रतीक

भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है— विविधता में एकता। इस विशेषता ने ही इसे अनन्त काल से अब तक जीवित रखा है। सी0ई0एम0 जोड भारतीय संस्कृति की एकता के बारे में लिखते हैं, “जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। भारत की विभिन्नता में एकता के दर्शन जिन क्षेत्रों में किए जाते हैं, वे इस प्रकार से हैं।

1. भौगोलिक अनेकता में एकता

भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं व्याप्त हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद मैदानी भाग है और दक्षिण भारत एक पठारी एवं प्रायद्वीप देश है। इन विविधताओं के बावजूद भी सम्पूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। देश की प्राकृतिक सीमाओंने इसे अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जाग्रत की है।

2. धार्मिक अनेकता में एकता

भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। प्रत्येक धर्म में कई मत-मतान्तर एवं सम्प्रदाय पाए जाते हैं उनके नियमों एवं मान्यताओं में अनेक विविधताएं हैं। इतना होने पर भी विभिन्न धर्मावलम्बी सदियों से भारत में एक साथ रहे हैं और धर्म ने भारत में एकता पैदा की है।

3. सामाजिक-सांस्कृतिक अनेकता में एकता

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में विवाह, रीति-रिवाजों, वस्त्रशैली आदि में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। उसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत के सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। अनेक सदियों पुरानी प्रथाएं, रीतिरिवाज, रूढ़ियां एवं परम्पराएं आज भी यहाँ प्रचालित हैं। सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण अनेक वाह्य संस्कृतियों के सम्पर्क के बावजूद भी यहाँ एकता के भाव विद्यमान हैं। शिक्षितों एवं अशिक्षितों, ग्रामीण एवं शहरी लोगों तथा प्रशासक एवं जानता में सामाजिक दृष्टि निर्माणात्मक सम्बन्ध आज भी कायम है। प्रजातन्त्र ने देश में भाईचारे और समानता की भावना के विकास में योग दिया है।

4. धार्मिक सहिष्णुता

भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं सम्प्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम-भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता या द्वेष-भाव नहीं। हमारे यहाँ समय-समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को फलने-फूलने का अवसर उपलब्ध रहा है, किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई है। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिन्दू, मुस्लिम, शक, हूण, सिथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं वरन् उसमें समन्वय एवं एकता स्थापित की।

राष्ट्रीय एकता के प्रतीक

हमने देखा कि हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए। हमारे देश की एकता और भाई-चारे की पहचान कुछ प्रतीक चिहनों से भी होती है। ये चिह्न राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं।

राष्ट्रध्वज

हमारे देश के ध्वज में तीन रंग क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरा है। इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग शांति का और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति की अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है तथा इसमें कुल 24 तीलियाँ होती हैं। ध्वज की लम्बाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है।

राष्ट्रगान

रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिन्दी संस्करण को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 20 सेकेण्ड है।

राष्ट्रगीत

बंकिम चन्द्र चटर्जी ने 'बंदे मातरम्' गीत की रचना की, जिसे 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता-संग्राम में जन-जन का प्रेरणा स्रोत था।

राष्ट्रीय पशु— भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है।

राष्ट्रीय पक्षी— भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग-बिरंगे पक्षी की गर्दन लम्बी होती है तथा सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है।

राष्ट्रीय पुष्प— भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।

राजचिह्न— भारत का राजचिह्न सारनाथ में स्थित 'अशोक स्तम्भ' से लिया गया है। राजचिह्न में चार सिंह हो। प्रत्येक सिंह का मुँह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है इस चक्र के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तम्भ में नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' लिखा है। जिसका अर्थ है— 'सत्य की ही विजय होती है।'

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राष्ट्रगान के रचयिता है—

(क) रवीन्द्र नाथ टैगोर

(ख) बंकिम चन्द्र चटर्जी

(ग) जवाहर लाल नेहरू

(ख) महात्मा गांधी

2. भारत का राष्ट्रीय पुष्प है—

(क) गुलाब

(ख) कमल

(ग) लिली

(ख) गेंदा

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

3. भार का 'राज चिह्न' क्या है?

4. राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे ?

लघुउत्तरीय प्रश्न

5. भारत की विविधता में एकता से क्या तात्पर्य है?

6. भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता से क्या तात्पर्य है ?

7. धार्मिक सहिष्णुता का क्या अर्थ है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

8. भारतीय संस्कृति में किस प्रकार विविधता में एकता के दर्शन होते हैं ? विस्तार से बताइए।

9. हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक कौन-कौन से हैं?

आतंकवाद, साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद

कोई भी राष्ट्र विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है जब वहाँ की आन्तरिक सुरक्षा—व्यवस्था सुदृढ़ हो। आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रत्येक सरकार को सतर्क रहना चाहिए जिससे विध्वंसकारी गतिविधियाँ सक्रिय न हो सकें। ये विध्वंसकारी गतिविधियाँ राष्ट्र के अन्दर गतिरोध उत्पन्न करती हैं और विकास में बाधक सिद्ध होती हैं।

आतंकवाद

वर्तमान में आतंकवाद विश्व की एक गम्भीर और अत्यन्त भयावह समस्या है। यह न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में एक चिंता का विषय है। इस समस्या ने भारत में समय—समय पर अनेक घाव दिए हैं तथा इसने हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों पर दूर तक प्रभाव डाला है। शांति एवं सद्भाव भंग करने की दृष्टि से गोलाबारी, बन्दूक, आत्मघाती हमले आदि माध्यमों को अपनाया जाता है। विगत तीन—चार दशकों में भारत निरन्तर आतंकवाद से ग्रसित है। 1980 ई० के दशक में पंजाब आतंकवाद का शिकार रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ फैल गईं और आज तक भारत आतंकवाद की आग में झुलस रहा है।

देश के किसी न किसी भाग में आतंकवाद की घटनाएं लगातार होती रही हैं। मुम्बई में बम विस्फोट, गुजरात में अक्षरधाम पर आक्रमण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। यहाँ तक कि संसद भवन भी आतंकवाद के निशाने पर रह चुका है।

जम्मू—कश्मीर, असम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखण्ड जैसे राज्यों में आतंकवाद एवं नक्सलवाद का प्रभाव अधिक है। विश्व के अन्य देश भी इससे अछूते नहीं हैं। न्यूयार्क में विश्व व्यापार केन्द्र तथा वांशिगटन में पेंटागन पर हुआ आतंकवादी हमला अत्यन्त भयावह था। कहने का तात्पर्य है यह है कि आतंकवाद देश के लिए एक गम्भीर खतरा तथा समस्या बन चुका है, अतः प्रत्येक नागरिक को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है।

साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति लोकतन्त्र के लिए खतरा है। यह प्रवृत्ति समाज में घृणा, तनाव तथा संघर्ष को जन्म देती है। सम्प्रदायवाद समाज में विघटन उत्पन्न करके समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है।

मुख्य शिक्षण बिन्दु

- आतंकवाद, साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद से आशय
- अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान
- भारत के शांति प्रयास
 - गुटनिरपेक्षता
 - पंचशील
 - संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास

साम्प्रदायिकता के दोष

साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके प्रमुख दोष निम्नांकित हैं—

- साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट है। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और राष्ट्र के प्रति निष्ठा व वफादारी विकसित नहीं हो पाती है।
- साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल देती है क्योंकि इससे अनेक समस्याओं जैसे— क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद आदि को भी प्रोत्साहन मिलने लगता है।
- साम्प्रदायिकता से विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जो राष्ट्रीय विघटन की स्थिति पैदा कर देती है।
- साम्प्रदायिकता के कारण राजनीतिक विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है और प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रकार से टप हो जाती है।
- साम्प्रदायिकता से राष्ट्रीय सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति व जान-माल की ही हानि नहीं होती, अपितु जमाखोर व राष्ट्र-विरोधी तत्व भी पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं और देश को आर्थिक विघटन के कगार पर खड़ा कर देते हैं।

साम्प्रदायिकता को दूर करने के उपाय—

- साम्प्रदायिक सद्भाव विकसित करने।
- शिक्षा द्वारा नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके।
- धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देकर।
- साम्प्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर रखकर।
- समाज-विरोधी तत्वों तथा साम्प्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके।

जातिवाद

सम्प्रदायवाद के समान ही जातिवाद और भाषावाद भी राष्ट्रीयता के विकास में बड़ी बाधा है। जातिवाद विभिन्न जातियों के मध्य कटुता उत्पन्न करती है तथा भाषावाद लोगों में एकता की भावना को खण्डित करता है।

क्षेत्रीयतावाद की भावना राष्ट्रीयता के विकास के लिए अत्यन्त घातक है। इस भावना के कारण एक क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से घृणा करने लगते हैं। जो राष्ट्रीयता के विकास को अवरूद्ध कर देती है। सक्षम प्रशासन के माध्यम से संकीर्ण क्षेत्रवादी आन्दोलनों की हिंसक प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक दबाया जाना आवश्यक है।

चर्चा बिन्दु

आतंकवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद एवं भाषावाद किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता में बाधक है ?

यदि देश की आन्तरिक सुरक्षा ठीक नहीं है तो यह देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। देश की राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो जाएगा। देश की एकता एवं अखण्डता कायम नहीं रह पाएगी। इसके लिए आवश्यक हैं कि देश की सुरक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ हो।

देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय

- भारतीयों में राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक विभिन्न प्रकार के आपसी मतभेदों और राष्ट्र पर किसी प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार रहें।
- शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रसार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन होना चाहिए।
- देश भर में परिवहन तथा संचार के साधनों का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए।
- देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए।
- संकीर्ण हितों तथा स्वार्थपूर्ण मनोवृत्तियों पर आधारित राजनीति को नियन्त्रित किया जाना चाहिए।
- देश में सुदृढ़ तथा न्यायपूर्ण शासन-व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वर्तमान विश्व की अत्यन्त भयावह समस्या है—

- | | |
|-------------------|-------------|
| (क) वैश्विक मंदी | (ख) सुनामी |
| (ग) परमाणु अस्त्र | (ख) आतंकवाद |

2. राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व है—

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (क) भाषावाद | (ख) क्षेत्रीयतावाद |
| (ग) साम्प्रदायिकतावाद | (ख) उपरोक्त सभी |

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

3. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था का आशय स्पष्ट कीजिए।
4. किस प्रकार की गतिविधियाँ राष्ट्र के अन्दर अव्यवस्था पैदा करती हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

5. देश की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था क्यों आवश्यक है ? दो कारण लिखिए।
6. साम्प्रदायिकता से बचने के दो उपाय लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

7. देश में वर्तमान समय में आन्तरिक सुरक्षा के कौन-कौन से खतरे हैं ?

www.dietmathura.org

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं—

अनुच्छेद 14

अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से बंचित नहीं करेगा। कोई व्यक्ति (अमीर—गरीब, ऊँचा—नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी) कानून के ऊपर नहीं है।

अनुच्छेद— 15

अनुच्छेद— 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद —15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर (क) दुकानों, सार्वजनिक, भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घरों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है।

राज्यों को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करें। उदाहरण के लिए, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से शामिल है। राज्यों को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट सम्बन्धी कोई नियम बना सकता है।

अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 16 में व्यवस्था की गई है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

अनुच्छेद 17

अनुच्छेद—17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना अपराध होगा जैसे किसी के सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने पर, किसी का अपमान करने पर, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के प्रवेश से रोकने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना या किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना आदि।

इस अनुच्छेद के तहत राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के जरूरी कदम उठाएं।

अनुच्छेद-46

नीति निदेशक तत्वों से सम्बन्धित अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देती है।

अनुच्छेद-330

लोक सभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है।

अनुच्छेद-332

राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान आरक्षित है।

अनुच्छेद-243 घ

73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में (सभी तीन स्तरों) अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमण्डल गाँव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा।

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मामले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुछ सीटों की संख्या (इसमें वह संख्या भी शामिल है, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है) एक तिहाई से कम न हो।

अनुच्छेद-243न

74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा यह महिलाओं को कुल सीटों के एक-तिहाई (इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं से सम्बन्धित आरक्षित सीटें भी हैं) सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद-338 एवं अनुच्छेद 338 क

संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। 2003 के 89 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित किया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत) नामक दो नए आयोग बना दिया गए।

आयोग के कार्य है

- अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सामाजिक— आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना एवं उचित परामर्श देना तथा संघशासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
- इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जाँच पड़ताल एवं सुनवाई करना।
- अनुच्छेद 244 में ये कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जिन्हें 'अनुसूचित क्षेत्र और 'जनजातीय क्षेत्र' नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की पांचवी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे चर्चा की गई है। दूसरी ओर संविधान की छठी अनुसूची में चार उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध है।

दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है क्योंकि वहाँ वे आदिम निवासी रहते हैं। वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती और केन्द्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है।

संविधान की छठी अनुसूची में चार उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियाँ, इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या में घुल-मिल नहीं पाई हैं। दूसरी तरफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों की पर्याप्त स्वयत्ता दी गई है।

भारत के शांति प्रयास

वर्तमान युग, अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है। विज्ञान के तीव्र विकास ने समस्त विश्व को एक इकाई का रूप दे दिया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में सम्बन्ध स्थापित करने होते हैं। विश्व के विभिन्न देशों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों और आन्दोलनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति एक देश का जो दृष्टिकोण होता है, उस समस्त दृष्टिकोण को सामूहिक रूप से विदेश नीति का नाम दिया जाता है। भारत की विदेश नीति के विषय में पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था “अपनी विदेश नीति में हम जो कुछ चाहते हैं उसका सार शान्ति है, शान्ति देश में और शान्ति विदेश में।

भारत की विदेश नीति गुट-निरपेक्षता, अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित है।

1. गुटनिरपेक्षता

भारत की विदेश नीति गुट-निरपेक्षता पर आधारित नीति कहलाती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही भारत के द्वारा निश्चित कर लिया गया है कि भारत इन दोनों विरोधी गुटों में से किसी में भी शामिल न होते हुए विश्व के सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा और इस दृष्टि से भारत के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का पालन किया जाएगा।

गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए विश्व शान्ति, सत्य और न्याय का समर्थन करना है। पं० जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, “गुटनिरपेक्षता शान्ति और लड़ाई से बचाव का मार्ग है। इसका उद्देश्य सैनिक गुटबन्धियों से दूर रहना है। यह एक निषेधात्मक नीति नहीं है, वरन् एक सकारात्मक, निश्चित और एक निरन्तर विकासशील नीति है।” स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही भारत के द्वारा निश्चित कर लिया गया कि भारत इन दोनों विरोधी गुटों में से किसी में भी शामिल न होते हुए विश्व के सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा और इस दृष्टि से भारत के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का पालन किया जाएगा। वास्तव में भारत के द्वारा असंलग्नता की विदेश नीति को अपनाने के कुछ विशेष कारण थे। प्रथम: यदि भारत किसी गुट की सदस्यता को स्वीकार कर लेता तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती। वह विश्व राजनीति में स्वतन्त्र रूप से भाग नहीं ले सकता था। दूसरे पक्ष के अनुसार ही अपनी विदेश नीति तय करनी पड़ती अतः अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए असंलग्नता की नीति ही श्रेयस्कर थी। द्वितीय सैकड़ों वर्षों के साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति के बाद भारत के सम्मुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक पुनर्निर्माण का था और आर्थिक पुनर्निर्माण का यह कार्य विश्व शान्ति के वातावरण में ही सम्भव था। इस प्रकार राष्ट्रीय हितों और विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए

गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई गई है। गुटनिरपेक्षता के प्रमुख लक्षण व विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. शक्ति गुटों से पृथक रहना और महाशक्तियों के साथ किसी प्रकार का सैनिक समझौता न करना।
2. स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्धारण करना।
3. शांति एवं सद्भावना की नीति का विस्तार करना।
4. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध करना।
5. विकासशील नीति का अनुसरण करना।
6. संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह करना।

1961 ई0 में भारत के प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू, मिस्त्र के कर्नलनासिर, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने इस भावना को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का रूप प्रदान किया।

गुटनिरपेक्षता का महत्व

वर्तमान विश्व के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता का व्यापक महत्व है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. गुटनिरपेक्षता ने तृतीय विश्वयुद्ध की सम्भावना को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2. गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का अन्त करने और विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
3. गुटनिरपेक्षता के कारण ही विश्व की महाशक्तियों के मध्य शक्ति संतुलन बना रहा।
4. गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों ने सदस्यों राष्ट्रों के मध्य होने वाले युद्धों एवं विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया है।
5. गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में एक-दूसरे को पर्याप्त सहयोग दिया है।
6. गुटनिरपेक्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।
7. गुटनिरपेक्षता नए राष्ट्रों के सम्बन्धों में स्वतन्त्रतापूर्वक विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करके तथा सदस्यता प्रदान करके उनकी सम्प्रभुता की सुरक्षा का साधन बनी है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात जिन एशियाई तथा अफ्रीकी देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी वे निर्धन और अविक्सित थे। वे अकेले न तो अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकते थे और न अपने विकास के लिए साधन जुटा सकते थे। इन नए स्वतन्त्र राष्ट्रों ने एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास किया। भारत ने इस कार्य की पहल की। सर्वप्रथम भारत ने ही गुट-निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति को अपनाया। यह नीति स्वाधीनता, सह-अस्तित्व, समानता, निःशस्त्रीकरण, विश्व शान्ति एवं मानव

अधिकारों का समर्थन करती है। “बाण्डुंग सम्मेलन” में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल ने गुटनिरपेक्षता के उदय तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सातवें शिखर सम्मेलन (1988) के दौरान नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार भारत गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में अग्रणी रहा है।

चर्चा बिन्दु— भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने का क्या उद्देश्य था?

पंचशील के सिद्धान्त

पंचशील का सिद्धान्त भारत की विदेश नीति का आधार है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 20 जून, 1954 ई० को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने आपसी बातचीत के द्वारा किया था। उस समय दोनों ही देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों का पालन करने का वचन दिया था। पंचशील के पाँच सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं—

1. प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना।
2. एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना।
3. एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
4. एक-दूसरे के साथ समानता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करना।
5. शांतिमय सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करना।

भारत और चीन के साथ अन्य राष्ट्रों ने भी इसका समर्थन किया था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। यद्यपि पंचशील के सिद्धान्त की घोषणा सर्वप्रथम भारत और चीन के बीच हुई थी, किन्तु फिर भी, चीन ने पंचशील के समझौते और सिद्धान्त का पालन नहीं किया तथा 1962 ई० में भारत पर आक्रमण कर दिया। भले ही उस समय चीन ने इस सिद्धान्त के महत्व को नहीं समझा, किन्तु आज जब विश्व पर परमाणु युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यह सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज इस बात की आवश्यकता है कि सम्पूर्ण विश्व में शान्ति कायम रहे, जिससे विश्व को तीसरे महायुद्ध की विभीषिका का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को पंचशील के मर्म अर्थात् ‘शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व’ का पालन करना चाहिए। सभी देशों को अपनी स्वतन्त्रता और अखण्डता के साथ पड़ोसी या अन्य देशों की अखण्डता का भी आदर करना चाहिए। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पंचशील ही विश्व शान्ति का एकमात्र मार्ग है।

चर्चा बिन्दु— भारतीय विदेश नीति के आधार क्या हैं ?

संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक जन-धन की हानि हुई तथा चारों तरफ से शांति के प्रयास किए जाने लगे। परिणामस्वरूप एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भीषण युद्ध की पुनरावृत्ति को रोक सके तथा संसार में स्थाई शांति की स्थापना कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहाँ सुरक्षा हेतु सामूहिक कार्यवाही करना है।

चर्चा बिन्दु— संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई ?

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारम्भिक सदस्य और इसका एक बहुत बड़ा समर्थक है। प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बार कहा कि 'हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत का विचार है कि राष्ट्रों के द्वारा अपने पारस्परिक विवाद शांति के आधार पर तय करने का प्रयत्न न करते हुए इस सम्बन्ध में संघ की सेवाओं का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। भारत ने अपने इस आदर्श को स्वयं पर लागू करते हुए 1947 में कश्मीर विवाद को संघ की सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया और 1965 में भी संघ द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया गया।

भारत के द्वारा संघ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में तनाव कम करने, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्वव्यापी संघ बनाने और संघ की एजेन्सियों को अपनी ओर से पूरा सहयोग देने का कार्य किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में कोरिया और कांगों में भारतीय प्रयत्नों को प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है।

भारत प्रारम्भ से ही कोरिया समस्या के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयत्नशील था। 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किए जाने से कोरियाई युद्ध प्रारम्भ हो गया। भारत ने इस बात का प्रयत्न किया कि कोरियाई युद्ध विश्वयुद्ध के रूप में परिणत न हो। भारत के द्वारा कोरियाई युद्ध में मध्यस्था के भी प्रयत्न किए गए। भारत की निष्पक्ष व प्रभावी भूमिका के कारण भारत को कोरिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्याप्त सद्भावना प्राप्त हुई।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर हिन्द चीन की समस्या के शान्तिपूर्ण हल के लिए भी बहुत प्रयत्न किए। केवल यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर शान्ति की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक कोरिया, मिस्त्र और कांगों आदि क्षेत्रों में भेजे गए और अपने इस कार्य में सभी पक्षों की सद्भावना प्राप्त की।

अन्य शान्ति कार्य

1956 में जब इजरायल के साथ मिलकर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्त्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस आक्रमण पर प्रबल विरोध किया। इसी प्रकार सोवियत रूस के द्वारा जब 1956 में हंगरी

और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सैनिक हस्तक्षेप किया गया तथा अमरीका के द्वारा वियतनाम पर बमबारी की गई तो भारत द्वारा इन कार्यों का घोर विरोध किया गया। मार्च-अप्रैल 1971 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की गई कि पूर्वी पाकिस्तान में नर संहार को रोके। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने दायित्व को भली-भाँति समझते हुए ईरान-इराक युद्ध की समाप्ति, फिलिस्तीन और लेबनान में शांति बनाए रखने, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को समाप्त करने और नमीबिया की स्वतन्त्रता और उपनिवेशवाद के अन्त से सम्बन्धित अन्य कार्यों में निरन्तर प्रयत्न किए। 2002-03 में भारत ने इस बात के लिए भरपूर प्रयास किए कि अमरीका इराक पर आक्रमण न करे और विवाद संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हल हो जाए। इस प्रकार भारत शुरू से लेकर अब तक पूरी सक्रियता के साथ इस बात पर बल दे रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो भी आपसी विवाद हों, इन सभी विवादों का हल आपसी बातचीत और अन्य शांतिपूर्ण उपायों के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त भारत विश्व के देशों का ध्यान निःशस्त्रीकरण की ओर आकर्षित करने में निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। भारत अगस्त 1963 की 'आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध विषयक सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले प्रारम्भिक राष्ट्रों में एक है। भारत आणविक शक्ति का शांति के लिए ही प्रयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।

1991 से ही विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों की संख्या वृद्धि की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में भारत द्वारा सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यता की माँग लगातार की जा रही है। भारत सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य के तौर पर मिलने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की निष्ठा का परिचय इस बात से मिलता है कि भारत ने सदैव ही संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भरपूर सहयोग दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में शांति सैनिक भेजने वाला भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके साथ तीव्र आर्थिक विकास के कारण 21वीं शताब्दी में भारत की गणना विश्व की उभरती शक्तियों में हो रही है। भारत प्रजातन्त्र व मनावधिकारों का प्रबल समर्थक है।

चर्चा बिन्दु- भारत ने शांति प्रयास के लिए क्या-क्या प्रयास किए ?

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई—

(क) 24 अक्टूबर, 1945

(ख) 22 जुलाई, 1946

(ग) 24 अक्टूबर, 1939

(ख) 14 सितम्बर, 1948

2. पंचशील सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था —

(क) पं० जवाहर लाल नेहरू

(ख) इन्दिरा गांधी

(ग) लाल बहादुर शास्त्री

(ख) वी०पी०सिंह

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

3. गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

4. पंचशील सिद्धान्त का प्रतिपादन कब हुआ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

5. गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है?

6. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब और क्यों की गई ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

7. भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्त लिखिए।

8. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से शांति हेतु क्या प्रयास किए?

www.dietmathura.org

शिक्षण बिन्दु

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

समाज का कोई भी कालखण्ड अथवा समय रहा हो अर्थव्यवस्था की मूल चुनौती रही है अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना तथा उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना रहा है। वस्तुओं की श्रेणी में कुछ आधारभूत मर्दें यथा भोजन-आवास-वस्त्र इत्यादि से लेकर गैर आधारभूत मर्दें यथा रेफ्रीजरेटर, टी0बी0, कार इत्यादि हो सकती है। इसी प्रकार जनसंख्या को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर उच्चस्तर की सेवाएँ जैसे बैंकिंग बीमा, वायुपरिवहन, टेलीफोन, इण्टरनेट इत्यादि तक हो सकती है। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे विकास के मार्ग पर अग्रसर होती जाती है उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ सामने रहती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के छः दशको में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप जहाँ एक तरफ हम वैश्विक समाज में महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं वही हमारी अर्थव्यवस्था को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा जो निम्नलिखित हैं-

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- गरीबी
- जनसंख्या वृद्धि
- जनसंख्या घनत्व
- मात्थस का जनसंख्या सिद्धान्त
- भारत में जानांकिकीय प्रवृत्तियाँ
- जन्म एवं मृत्युदर
- लिंग अनुपात
- साक्षरता दर
- भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
- भारत में गरीबी
- गरीबी के कारण
- भारत में गरीबी रेखा
- बेरोजगारी
- बेरोजगारी के कारण
- बेरोजगारी के प्रकार
- गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम

गरीबी

जब बात विकास की होती है तो प्रायः हम पढ़ते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार में एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक संवृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हो रही है। हमारा बाजार दुनियाँ की कम्पनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन हम इसे विकास की विसंगति कह सकते हैं क्योंकि अभी भी हमारे सामने गरीबी का स्वरूप भयावह बना हुआ है। गरीबी कहीं न कहीं कुपोषण को जन्म देती है जिसके परिणामस्वरूप जनस्वास्थ्य अत्याधिक प्रभावित होता है। जिससे व्यक्ति की क्षमता में गिरावट आती है। जो सभी दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हमारे बजट में आज भी गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है, साथ ही में स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करायी जा रही है। जिससे कि हमारा भारत एक स्वस्थ एवं खुशहाल बनें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गरीबी आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के रूप में है।

जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। एक विकास शक्ति अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्पवृद्धि अपेक्षित है फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि कई समस्याओं को उत्पन्न करती है।

जनसंख्या वृद्धि हमारे देश की भी एक गम्भीर समस्या है, चूँकि जनसंख्या तथा आर्थिक विकास में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के आकार बनावट तथा कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नम्बर पर है लेकिन क्षेत्रफल में सातवें नम्बर पर है। कहने का आशय है कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का दबाव सर्वाधिक गम्भीर है। इसकी बढ़ती हुयी आबादी ने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है।

जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है बेरोजगारी कहीं न कहीं युवाओं में असंतोष का कारण बन रहा है जिसके परिणामस्वरूप समाज में कई प्रकार की हिंसक व अनैतिक घटनाओं का प्रसार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि से खाद्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है कई और समस्याएं जैसे प्रति व्यक्ति निम्न आय, गरीबी, आवास की समस्या, महंगाई, शहरी समस्याओं का बढ़ना इत्यादि से भारतीय अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ रहा है।

जनसंख्या घनत्व

भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रतिवर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है।

जनसंख्या घनत्व प्रत्येक स्थान का अलग-अलग होता है। कही जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है तो बहुत कम। दोनों स्थिति किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बाधास्वरूप है। उदाहरण स्वरूप हमारे देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का क्षेत्रफल कम है किन्तु यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है वही दूसरी तरफ अरुणाचलप्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को इन शहरों में जनसुविधाएँ मुहैया कराने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय माल्थस ने यह चेतावनी दी थी कि यदि जनसंख्या को आत्मसंयम अथवा कृत्रिम संसाधनों द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से बढ़ती हुयी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है। इसे नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है कि खाद्य सामग्री अंकगणितीय दर से

अर्थात् 1,2,3,4 आदि के क्रम में बढ़ती है वहीं जनसंख्या सदैव ज्यामितीय दर से अर्थात् 1,2,4,6,16 के क्रम में बढ़ती है।

मात्थस द्वारा कही गयी बात आज देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं स्थिति आज जनसंख्या वृद्धि के नजरिए से बहुत भयावह तो नहीं कह सकते लेकिन समस्या के रूप में जरूर है कारण कि ज्यादा जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है परिणामस्वरूप प्रकृति अपना विकराल स्वरूप चाहे वह भूकम्प, बाढ़ अथवा सूखा हो, के रूप में हमें दिखा रही है। जिससे हमारा जनमानस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यही कारण है कि आज हमारे बजट का एक बड़ा भाग आपदा प्रबंधन तथा राहत कोष हेतु सुरक्षित रखना पड़ता है।

भारत में जनानांकीय प्रवृत्तियाँ

जनानांकीय प्रवृत्तियाँ ही जनानांकीय संक्रमण कहलाती हैं। जनानांकीय संक्रमण सिद्धान्त का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धान्त हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण खेतिहर और आशीक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है।

जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त तीन अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मर्त्यता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से प्रभावित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि कार्य पर आधारित होती है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है अधिकांश लोग आशिक्षित होते हैं।

द्वितीय अवस्था के प्रारम्भ में प्रजननशीलता ऊँची बनी रहती है किन्तु यह समय के साथ घटती जाती है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों घट जाती है जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंदगति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

इसी प्रकार भारतीय परिप्रेक्ष्य का अपना जनांकिकीय संक्रमण हुआ है। जिसे सुविधा के लिए कुछ चरणों में बाटा गया है।

1. 1901—1921, स्थिर जनसंख्या अवधि का रहा है इसमें मृत्युदर अधिक थी। इस समय खाद्य पदार्थों की अत्याधिक कमी थी।
2. 1921—1951, इस समय जनसंख्या वृद्धि की धीमी दर रही है, इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष माना जाता है। इस समय मृत्युदर कुछ सीमा तक नियंत्रित थी। कृषि विकास क्रमिक रूप से शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा प्राप्त होने लगती है।

3. 1951–1981 यह समय तीव्र वृद्धि मान जनसंख्या का रहा है। अप्रत्याशित जनसंख्या विस्फोट होता है।

4. 1981 से अब तक के समय में जनसंख्या दर में गिरावट आयी है कारण अब जनता जागरूक हो गयी है साथ ही में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रचार हो रहा है।

इस तरह से हम देखते हैं कि जनांकिकीय संक्रमण की अपनी क्रमिक अवस्था होती है, किसी अवस्था में जन्मदर अधिक तो किसी में मृत्युदर अधिक पायी जाती है।

जन्मदर एवं मृत्युदर

प्रति एक हजार पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात जन्मदर कहलाता है। प्रति एक हजार शिशुओं पर मरने वाले शिशुओं का अनुपात मृत्युदर कहलाता है। अधिक जन्मदर जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। लेकिन अल्पजनसंख्या भी राष्ट्रवृद्धि में बाधक हो सकता है। जिसका उदाहरण हम कई ऐसे देशों में देख सकते हैं जहाँ संसाधन तो प्रचुर हैं लेकिन जनसंख्या की कमी है। कहने का आशय है कि कभी-कभी जनसंख्या मानव संसाधन का काम करती है। कई विद्वानों ने भी मानव की अमूल्य पूँजी माना है लेकिन अधिक जन्मदर, न्यूनतम मृत्युदर, अथवा न्यूनतम जन्मदर तथा अधिकतम मृत्युदर दोनों की असमानता किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती सिद्ध होती है। वर्तमान जनगणना के अनुसार अशोधित जन्मदर प्रति हजार पर 21.8 और मृत्युदर 7.1 है।

लिंग अनुपात

स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के बीच के अनुपात की लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में प्रति एक हजार पुरुषों में स्त्रियों की जनसंख्या से लिंगानुपात निर्धारित होता है। सामान्यतः लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, इन क्षेत्रों में स्त्रीभ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा अधिक प्रचलित रहती है। इन क्षेत्रों में स्त्रियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति निम्न स्तर की होती है, यहाँ एक बात और स्पष्ट करनी है कि कम लिंगानुपात का केवल उपरोक्त कारण नहीं हो सकता है बल्कि कभी-कभी पुरुषों द्वारा रोजगार की तलाश में उस स्थान से प्रवास भी कारण बन जाता है।

हमारे देश में निरन्तर घटता हुआ लिंगानुपात स्मरणीय तथ्य बनकर उभरा हुआ है कहीं न कहीं विकसित होते समाज के समक्ष प्रश्नचिन्ह लगा रहा है कि हमारे विकास के क्या मायने हैं? इसे हम विकास की विसंगति नहीं तो और क्या नाम देंगे। यही कारण है कि सरकार द्वारा निरन्तर नयी-नयी योजनाएँ तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे लोगों में जागरूकता तथा चेतना का विकास हो सके परिणामस्वरूप लिंगानुपात समान हो सके। परिणामस्वरूप लिंगानुपात समान हो सके।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात 943/1000 पर है। वहीं शिशु लिंगानुपात 919/1000 पर हैं। उपरोक्त आँकड़ा यह बता रहा है कि अभी भी हम कितने पीछे हैं।

असामान्य होता हुआ लिंगानुपात सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समाज के समक्ष कई प्रकार की समस्या करता है समाज की इन समस्याओं सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर रही है।

साक्षरता दर

किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है क्योंकि इससे रहन-सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़-लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है। किसी भी देश के लिए शिक्षित व जागरूक नागरिक उसका महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारी सरकार साक्षरता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएँ, कार्यक्रम तथा अभियान न का क्रियान्वयन कर रही है इसी का परिणाम रहा है कि 2001 की जनगणना में साक्षरता का ग्राफ बढ़ा है विशेषकर महिला साक्षरता की वृद्धि हुयी है। इस जनगणना के अनुसार 75.3 प्रतिशत पुरुष साक्षरता और 64.6 प्रतिशत महिला साक्षरता है। इतने से ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए हमें निरन्तर प्रयास करते रहना पड़ेगा जब तक हम सौ प्रतिशत तो नहीं लेकिन हाँ इसके आस-पास जरूर आ जाएं तभी सही मायने में विकास कहा जायेगा।

कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष गरीबी, जनसंख्या वृद्धि के उपरान्त उत्पन्न कई प्रकार की समस्या चुनौती बन रही है। जिससे निपटने हेतु हम निरन्तर प्रयासरत है और सफल भी हो रहे हैं।

भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

जनसंख्या नीति से अभिप्राय उन कानूनी प्रशासनिक एवं सरकारी प्रयत्नों से है जिनका उद्देश्य जनसंख्या के आकार तथा संरचना में राष्ट्रीय कल्याण के दृष्टिकोण से परिवर्तन करना होता है। इस नीति के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि तथा निरोध दोनों ही शामिल किए जाते हैं।

भारत में वर्ष 1961-71 के दशक से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर आदि की समस्याएँ विकराल रूपधारण किए हुए है। अतः भारत की विभिन्न समस्याओं से समाधान हेतु उपयुक्त जनसंख्या नीति को अपनाना परम आवश्यक हो गया।

1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

भारत सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा अप्रैल 1976 को की थी। इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी।

- विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई।
- गरीब परिवारों को परिवार नियोजन की ओर आकर्षित करने के लिए कराने वालों को दी जाने वाली मौद्रिक सहायता बढ़ा दी गई।
- पाठ्यपुस्तक में जनसंख्या सम्बन्धी लेखा होंगे जिससे बच्चे आरम्भ से ही जनसंख्या को कम करने के महत्व को समझ सकें।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाएगा।
- स्त्री शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न किए जाएँगे।

1977 की संशोधित जनसंख्या नीति

सरकार ने परिवार नियोजन का नाम बदलकर 'परिवार कल्याण' कर दिया एक तरह से 1976 की जनसंख्या नीति की बिन्दुओं को संशोधित कर दिया गया जैसे—

- यह परिवार पर निर्भर करेगा कि वह परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाता है।
- महिलाओं की शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई।
- परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए जन-सम्पर्क के सारे साधनों का उपयोग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाएगा।

2000 की नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

भारत सरकार ने 15 फरवरी 2000 को, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषण की। इस नीति के अनुसार "सरकार जनता द्वारा स्वेच्छा तथा बिना किसी जोर जबरदस्ती के प्रजनन तथा स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के प्रयोग के लिए तथा लक्ष्य युक्त परिवार नियोजन सेवाओं को लागू करने के लिए वचनबद्ध है।" इस नीति के प्रमुख बिन्दु अधोलिखित हैं—

- वर्ष 2025 (समीक्षा में 2045) जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर किया जाएगा।
- विवाह की उम्र लड़की के मामले में 18 वर्ष तथा लड़के के मामले में 21 वर्ष होगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन दम्पतियों को पुरस्कृत किया जाएगा जिनकी पहली संतान के जन्म के समय माता की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होगी।
- जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करने वाले पंचायतों जिला परिषदों को पुरस्कृत किया जायेगा।

- बाल विवाह निरोधक अधिनियम तथा लिंग परीक्षण तकनीक निरोधक अधिनियम के प्रविधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
- गर्भपात सुविधा की और विस्तार दिया जाएगा।
- विवाह, गर्भावस्था तथा जन्ममृत्यु पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाएगा।
- मातृत्व मृत्यु दर को प्रति एक लाख पर 100 से नीचे लाया जाएगा।
- शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार पर 30 से नीचे लाया जाएगा।
- राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया।
- जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया।

कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार ने समयानुसार कई कार्यक्रमों तथा नीतियों को लागू किया है। जिससे हम विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। ताकि हमारी जनमानस अपनी पूरी आवश्यकताएँ तो नहीं कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रह जाये इसी में हम सबका कल्याण है।

भारत में गरीबी

गरीबी संभवत हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी समाज में गरीबी का असमानता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक समय ऐसा था जब सभी गरीब थे। कबिलाई जीवन जीते थे लेकिन समय के विस्तार के साथ-साथ गरीबी में भी असमानता के स्तर का विकास हुआ। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के सम्पर्क में आते हैं। जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गाँवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने चारों तरफ गरीबी देखते हैं।

योजना आयोग द्वारा जारी (20 जून 2013) आकड़े के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 21.9 प्रतिशत गरीबी है। विश्व में सबसे अधिक गरीबी का सकेन्द्रण भारत में है यह भारत की चुनौती को दर्शाता है। गरीबी अथवा निर्धनता के दो प्रकार देखने को मिलता है।

1. शहरी गरीबी तथा (13.7 प्रतिशत)
2. ग्रामीण गरीबी (25.7 प्रतिशत)

शहरी गरीबी उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी व अपने परिवार की जीविकोपार्जन हेतु शहर में जाकर किसी फ़ैक्ट्री या दफ्तर में काम करता है किन्तु उसे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

दूसरी तरफ ग्रामीण गरीबी भारत में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि देश की लगभग 68 प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है। इस अवस्था में व्यक्ति गाँव में ही बड़े कृषकों के खेतों में काम करके अपना जीविकोपार्जन करता है।

कुल मिलाकर गरीबी का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है स्वच्छ जल और सफाई, सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ यह भी कि नियमित रोजगार की कमी का होना है।

गरीबी के कारण

भारत में गरीबी के कई कारण हैं। कुछ व्यक्ति से सम्बद्ध है और कुछ पर्यावरणीय दशाओं से। सुविधा की दृष्टि से गरीबी के कारणों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

सामाजिक कारक

जाति व्यवस्था

समाज में प्रचलित जातिव्यवस्था की व्यवसाय चुनने के विकल्प को सीमित कर उसे गरीब बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

संयुक्त परिवार व्यवस्था

इस तरह के परिवारों में अधिकांश सदस्य एक दूसरे पर निर्भर आलसी, अपव्ययी और स्वार्थी हो जाती है यह व्यवस्था सदस्यों की स्वस्थ आर्थिक प्रेरणाओं में बाधा उत्पन्न कर उनके आर्थिक विकास को अवरुद्ध करती है।

अशिक्षा

हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आशिक्षित है और प्रचलित शिक्षा प्रणाली में अनेक दोषों के कारण भारत के अधिकांश श्रमिक अकुशल तथा अशिक्षित है। इसके फलस्वरूप उन्हें इतना वेतन या मजदूरी नहीं मिल पाती जिससे वे एक न्यूनतम जीवन स्तर को बनाये रख सकें।

स्वास्थ्य का निम्न स्तर घनी और गन्दी बस्तियां तथा कर्मकाण्डों पर अपव्यय भी गरीबी के कारण है।

आर्थिक कारण

पिछड़ी हुई खेती— भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। हमारे यहाँ खेती बहुत पिछड़ी हुई है और बड़ी सीमा तक प्रकृति पर निर्भर है। प्राकृतिक संकट गरीबी की समस्या को सदैव गम्भीर बनाए रखते हैं।

उद्योगों का असंतुलित विकास तथा योग्य

उत्पादकों की कमी, धन का दोषपूर्ण संचय परिवहन तथा संचार के साधनों में कमी तस्करी तथा भ्रष्टाचार इत्यादि कारण भी गरीबी को बढ़ाते हैं।

राजनीतिक कारण

ब्रिटिश नीति, समय-समय पर युद्धों को बोझ, राजनैतिक दलबन्दी व भ्रष्टाचार जनसंख्यात्मक कारण गरीबी के कारण बनाते हैं। और अन्त में व्यक्तिगत कारण जैसे बेकारी, बीमारी, मानसिक रोग दुर्घटनाएँ, नशाखोरी, वेश्यवृत्ति आदि भी गरीबी की समस्या को बढ़ावा देते हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि गरीबी का कोई एक कारण नहीं है अपितु इसके पीछे कई कारण हैं जो इसकी विकरालता को बढ़ाते जा रहे हैं। जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। गरीबी दिन पर दिन ऐसा अभिशाप बनता जा रहा है जिसने हमारे सामने कई समस्या को पैदा कर दिया है जैसे वैयक्तिक विघटन जिसमें व्यक्ति समाज में कई तरह के अपराधों में लिप्त हो जाता है तलाक तथा आत्महत्याओं का प्रोत्साहन मिलता है स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ, आर्थिक परनिर्भरता तथा ऋण ग्रस्तता, पारिवारिक विघटन, अशिक्षा बालश्रम को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास में बाधा तथा सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता इत्यादि।

भारत में गरीबी रेखा

दुनियाभर में गरीबी और उससे उपजी कुपोषण जैसी समस्याएँ सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रही हैं? बीसवीं सदी के चौथे दशक में युद्धों की विभीषिका से बाहर निकलने के बाद गैर समाजवादी देशों में भी जनता के बड़े तबके की वंचना को दूर करना एक प्राथमिक कार्यभार की तरह सरकारों के एजेडों में शामिल हुआ तथा जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के साथ वंचित तबके को रोजगार, भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना सरकारों के एजेडों में शामिल हुआ वहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं ने इसकी व्यापक मॉनीटरिंग और आर्थिक रूप से कमजोर देशों को इस कार्य के लिए धन तथा संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अनेक प्रयास किए। जाहिर है कि इस पूरी कवायद में सबसे जरूरी था 'गरीब लोगों की पहचान करना' जिससे कि उनके लिए बनी योजनाएँ सीधे उन तक पहुँच सकें। दुनिया भर में इसके लिए अलग-अलग मापक हैं।

भारत में गरीबी की बहस नई नहीं है। आजादी के पहले और बाद में भी लगातार गरीबी बहस के केन्द्र में रही है। गरीबी रेखा को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास भारत सरकार द्वारा 1962 में किया गया। इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक भोजन से ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्र 2100 कैलोरी प्राप्त होना चाहिए। बाद में न्यूनतम आवश्यकता पर कार्यकारी दल 1979 ने गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित किया। इसने भी कैलोरी को अपना आधार बनाया। 1973 की कीमतों को आधार बनाते हुए इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 रुपए प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए

57 रुपए प्रति विभाजक रेखा तय की। मुद्रास्फीति के अनुसार इसमें समय-समय पर समायोजन किया गया और वर्तमान में यह शहरी क्षेत्रों के लिए 559 रुपये और गांवों के लिए 368 रुपये हैं।

निर्धनता रेखा के लिए फॉर्मूला

निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की पहचान हेतु नए फॉर्मूले के निर्धारण हेतु वर्ष 2008 में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग की दिसम्बर 2009 में प्रस्तुत कर दी थी। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु अपने फॉर्मूले में उपभोग व्यय को आधार बनाते हुए इसे अधिक व्यवहारिक बताया था। जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियों को इसके तहत 'Basket of minimum list.' उपभोग व्यय में शामिल किया गया था। तेंदुलकर समिति ने इस फॉर्मूले के आधार पर 2004-05 में देश में 27 प्रतिशत के स्थान पर 37.2 प्रतिशत जनसंख्या को निर्धनता रेखा से नीचे माना था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 41.8 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25.7 प्रतिशत बताया गया था।

देश में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए जिस दांडेकर रथ फॉर्मूले का इस्तेमाल 1971 से किया जाता रहा, उसमें भोजन में कैलोरी की मात्रा को ही एकमात्र आधार माना गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति के नए फॉर्मूले में 'कॉस्ट ऑफ लिविंग' को निर्धनता की पहचान के लिए आधार स्वीकार किया गया है। इसमें यह देखा जाता है कि जीवन यापन के लिए कम से कम कितनी राशि की आवश्यकता होती है। तेंदुलकर समिति की निर्धनता रेखा सभी राज्यों के लिए तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-थलग है।

योजना आयोग के ताजा आँकड़ों में 2011-12 में देश में निर्धनों की कुल संख्या प्रतिशत में 21.9 है। ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत तथा शहरी गरीबी 13.7 प्रतिशत है। आँकड़ों के इन सब खेलों के बीच असल सवाल पर कहीं कोई चर्चा नहीं है आखिर लगातार अमीरी-गरीबी की खाई बढ़ रही है। खुद संकट में फंसकर सारी दुनिया को संकट में डाल रही है। क्या कारण है कि इन नीतियों के किसी विकल्प के बारे में विचार नहीं हो रहा? गरीबों को थोड़ा सब्सिडी, थोड़ी सहायता या दान देने की जगह सरकारें ऐसी नीतियों पर विचार क्यों नहीं करती जिनसे रोजगार और उत्पादन दोनों की जनोन्मुखी वृद्धि संभव हो और एक प्रक्रिया में सबसे अमीर लोगों के पास संकेन्द्रित धन नीचे के स्तरों पर पहुंचे।

बेरोजगारी

मौजूदा दौर में हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भारतीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की है। बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी भारत की सबसे गहन समस्या है। इससे कई अन्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहने का आशय है कि बेरोजगारी का ही परिणाम गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य तथा अन्य समस्याएं हैं। बेरोजगारी वह दशा है जिसमें कमाने की क्षमता व इच्छा दोनों हों, फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिल पाता है।

बेरोजगारी के प्रकार

श्रमशक्ति के कार्य में न लगे होने अथवा बेरोजगार होने की स्थिति को दो रूपों में देखा जा सकता है—

- ऐच्छिक बेरोजगारी
- अनैच्छिक बेरोजगारी

ऐच्छिक बेरोजगारी

जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही न चाहते हों या उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही न हो अथवा वे प्रचलित मजदूरी पर काम न चाहते हों और वे बेरोजगार हों तो ऐसे श्रमिकों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जायेगा। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

अनैच्छिक बेरोजगारी

यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हो परन्तु उस मजदूरी पर भी उन्हें कार्य न मिले तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा और इस दशा को अनैच्छिक बेरोजगारी। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसे कई भागों में विभक्त किया गया है। यथा—

संरचनात्मक बेरोजगारी

औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है।

अल्परोजगार

इसके अन्तर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा वे कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किन्तु इनको अपनी क्षमतानुसार काम नहीं मिलता है। इसमें कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं, जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है।

छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी

इसके अन्तर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं किन्तु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती अर्थात् उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इन श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है। कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता है।

शिक्षित बेरोजगारी

शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्य कुशलता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है किन्तु उनको अपनी योग्यतानुसार कार्य नहीं मिलता तथा वे बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में देश के सामने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बहुत गम्भीर समस्या बनी हुई है।

मौसमी बेरोजगारी

इसके अन्तर्गत किसी विशेष मौसमी या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। भारत में कृषि में सामान्यत 7-8 माह ही काम चलता है।

शहरी बेरोजगारी

शहरी क्षेत्रों में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जा सकता है।

ग्रामीण बेरोजगारी

इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

बेरोजगारी के कारण

बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नवत है।

- आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव बल की कुशलता और सक्षमता पर अपर्याप्त बल देना।
- दोषपूर्ण शैक्षिक ढाँचा
- अनियांत्रित जनसंख्या वृद्धि
- प्राकृतिक व पूंजीगत संसाधनों की अपर्याप्तता
- पूर्वाग्रह से ग्रस्त सामाजिक ढाँचा

उपरोक्त विवरण के अध्ययन करने से स्पष्ट होती है कि बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है जिसके कारण निर्धनता, अकाल, कुपोषण एवं अल्पपोषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा समयानुसार कई प्रकार की योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम

समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए भारत सरकार अनेक गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन हेतु कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। जो निम्नवत् है—

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामीण बेरोजगार भूख और गरीबी से छूटकारा पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना का शुभारम्भ 2 फरवरी 2006 को आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिला के वंदनापल्ली गाँव में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

इसको पहले चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत हर ग्रामीण परिवार के सक्षम और इच्छुक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिनों का काम दिया जाता है। काम करने की जगह मजदूर के घर से 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं होती और महिला श्रमिकों को अपने बच्चों को साथ रखने की सुविधा भी दी जाती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समाहित कर दिया गया है। वर्ष 2007-08 में इस योजना का विस्तार 330 जिलों में कर दिया गया है। वर्ष 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं का हिस्सा 53 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का हिस्सा 23 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति 17.0 प्रतिशत आरक्षित है। जनवरी 2011 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में पूर्व में चल रही कुल 6 योजनाओं का विलय किया गया है। 1. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 2. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3. ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 4. ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति की कार्यक्रम 5. गंगा कल्याण योजना 6. दस लाख कुआँ योजना।

इस योजना के उद्देश्य सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया है।

योजना में दी जाने वाली धनराशि केन्द्र और राज्य सरकारें 75: 25 के अनुपात में विभाजित करती थी। इस योजना को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

इस योजना का प्रारम्भ 1 दिसम्बर 1997 को किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता करना तथा सवेतन रोजगार सृजन हेतु उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना था। इसमें शहरी क्षेत्रों में पहले से कार्यान्वित की जा रही तीन योजनाओं नेहरू रोजगार योजना, निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ तथा प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना के इसी में शामिल कर दिया गया।

इस योजना की दो विशेष उपयोजनाएँ थीं।

1. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम यू0एस0ई0पी0
2. शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम स्वरोजगार घटक के लिए यह योजना 9वीं कक्षा से अधिक शिक्षित लाभार्थियों पर लागू नहीं है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को प्रति स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आरम्भ किया है। यह योजना शहरी गरीबी से सम्बंधित प्राथमिक उद्देश्यों यथा कौशल प्रशिक्षण, उद्यम शीलता विकास तथा शहरी गरीबी को मजदूरी, रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा है। इसके तहत दो नई योजनाएँ शहरी स्ट्रीट बैडरों के लिए योजना एवं शहरी बेघरों हेतु आश्रय प्रदान करने की योजना को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त 2008 से स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इसमें पहले से संचालित दो रोजगार कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है।

अनुदानयुक्त साख वाले इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में माइको एण्टरप्राइजेज की स्थापना के जरिये रोजगार के नये अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक व सेवा/व्यापार के क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाएँ स्थापित इसके लिए आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। किन्तु विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये एवं व्यापार सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये एवं व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को कक्षा-8 उत्तीर्ण होना चाहिए।

सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा, जबकि विशेष वर्गों (अनु0जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, शारीरिक विकलांग, एक्स सर्विसमैन, पूर्वोत्तर पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र) के अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा।

सूक्ष्म, एवं मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला पीएमईजीपी ऋण से जुड़ा सब्सिडी कार्यक्रम है। इसे कारगर तरीके से लागू करने के लिए मंत्रालय ने 30 अगस्त 2013 को देश के प्रत्येक जिले में सलाहकार समिति के गठन का निर्णय लिया है। इस समिति में जिले से चुने गये संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होगी।

- जिला स्तरीय सलाहकार समिति में 30 सदस्य होंगे, जो कार्यक्रम को लागू करने में मार्गदर्शन और सुझाव देंगे।
- समिति खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य सरकार तथा बैंको सहित अन्य एजेंसियों से तालमेल करेगी, ताकि इस कार्यक्रम के तहत युवा उद्यमियों को सक्रिय किया जा सके।

शहरी क्षेत्रों में दिए गए ऋण में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के मामले में 5 प्रतिशत तथा विशेष वर्गों के लाभार्थियों के मामले में 25 प्रतिशत भाग सब्सिडी के रूप में होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी का अंश इस मामले में क्रमशः 25 व 35 प्रतिशत होगा।

इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेक्टर द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के आधीन वैधानिक निकाय—खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एकमात्र नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है।

- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू हों।
- समिति की अध्यक्षता जिले से निर्वाचित वह सांसद करेंगे, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में जिले का अधिकतर हिस्सा आता है। जिस सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में जिले का कम हिस्सा आता है, वह उपाध्यक्ष होंगे, तथा राज्य सभा सदस्य अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, अनु0जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्य/समाज विज्ञान, बैंक प्रतिनिधियों तथा वित्तीय संस्थानों के एक प्रतिनिधि होंगे।
- जिलाधिकारी/कलेक्टर को सदस्य संयोजक बनाया जाएगा।
- समिति की बैठक हर तीन महीने में एक बार होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत केन्द्र सरकार ने 3 जून, 2011 को राजस्थान के बाँसवाडा जिले से किया। इसका उद्देश्य 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें लगातार संपोषित करना और सहायता देना है, जब तक कि वे दयनीय गरीबी से उबर नहीं जाते। इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित कर उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर

उन्हें बेहतर जीवनयापन का स्थायी आधार प्रदान करने की सरकार की योजना है। यह योजना महिलाओं तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे अनुजाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों पर विशेषरूप से केन्द्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास इस योजना में किया जा रहा है।

इस योजना के तहत 250 शहर सम्मिलित किये गये हैं, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है और जिनमें 32.10 लाख झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। 12 वीं योजना (2012-17) में पूरे देश को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सकेगा। इस योजना का आधार जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है और इसका लक्ष्य "झुग्गी-झोपड़ी मुक्त भारत" बनाना है।

आजीविका मिशन की मुख्य विशेषताएँ अधोलिखित हैं।

- प्रत्येक पहचाने गये ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य 'स्वयं सहायता समूह' नेटवर्क के अन्तर्गत लायी जायेगी।
- बीपीएल परिवारों के 100 प्रतिशत कवरेज के अन्तिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति से 50 प्रतिशत, अल्पसंख्य से 15 प्रतिशत तथा विकलांगों से 3 प्रतिशत लाभार्थियों को सुनिश्चित करना।
- क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण।
- परिक्रामी निधि तथा पूँजीगत अनुदान सुनिश्चित करना।
- वित्तीय समावेश।
- ब्याज अनुदान का प्रावधान।
- पिछड़े और अगड़े का सम्पर्क।
- नवीनतम का संवर्धन।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

युवाओं में कौशल विकास के लिए एक नई राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी— एनएसडीए का गठन सरकार ने जून 2013 में किया है। कौशल विकास के लिए पहले से कार्यरत प्रधानमंत्री की कौशल विकास परिषद—पीएमएनसीएसडी, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड—एनएसडीसीबी तथा कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय की सभी जिम्मेदारियाँ अब इस नवगठित एजेंसी में समाहित कर दी गई हैं जबकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम—एनएसडीसी अपनी योजनाओं को संचालित करता रहेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी एक स्वायत्ता एजेंसी के रूप में वित्त मंत्रालय में कार्य करेगी तथा इसका प्रमुख केन्द्रीय मंत्री स्तर का कोई व्यक्ति होगा। इसके प्रशासन हेतु महानिदेशक की भी नियुक्ति की जायेगी।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. गरीबी आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख..... के रूप में है।
2. जनसंख्या की दृष्टि भारत विश्व में चीन के बाद पर है।
3. सरकार ने 'परिवार नियोजन' का नाम बदलकर कर दिया है।
4. योजना आयोग द्वारा जारी (20 जून, 2013) आंकड़े के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर
..... गरीबी है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत किस नम्बर पर है?
2. किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष माना गया है?
3. भारत का लिंगानुपात कितना है।
4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. बेरोजगारी के कारण लिखिये?
2. मनरेगा के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में आप क्या जानते हैं ?
3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में संक्षेप में लिखिए?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए?
अथवा
2. गरीबी के प्रमुख कारणों की सविस्तार व्याख्या कीजिए?

भारत में खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली

खाद्य सुरक्षा की समस्या

खाद्य सुरक्षा की समस्या पर विचार करने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि आखिर खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है?

खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है— देश के सभी लोगों के लिए हर समय, एक सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त खाने की उपलब्धता है। अर्थात् हर मौसम में तथा वर्ष भर वैयक्तिक उपलब्धता, न केवल जिन्दा रहने के बल्कि समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को तन ढकने के लिए वस्त्र, सिर के ऊपर छत और भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कम वस्त्र और छत के बिना व्यक्ति का जीवन सम्भव है किन्तु भोजन बिना व्यक्ति का जीवन दुर्लभ है। अतएव भोजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है यही कारण है कि स्वतंत्रता पश्चात् उसके मुख्य उद्देश्यों में खाद्य सुरक्षा एक मुख्य उद्देश्य रहा। जहाँ पहले खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पेटभर रोटी उपलब्ध होने से था वहीं आज खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुँच, संतुलित, अहार, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के रख रखाव तक जा पहुँचा है।

भारतीय संविधान की धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 'आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने तथा सभी का जीवन स्तर ऊपर उठाने व प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने जैसे काम प्राथमिक स्तर पर होंगे।

लेकिन विडम्बना देखिए कि स्वतंत्रता के 68 वर्षों पश्चात् भी भारतवर्ष की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी दो वक्त की रोटी प्राप्त करने की चुनौती से गुजर रहा है। भारत के समक्ष खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं—

- बढ़ती जनसंख्या
- नगरीकरण/औद्योगीकरण
- अनिश्चित खाद्य उत्पादन
- जलवायु परिवर्तन
- सिंचाई व्यवस्था

शिक्षण बिन्दु—

- खाद्य सुरक्षा की समस्या
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य व प्रसार
- भारतीय खाद्य निगम
- लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना
- एकीकृत बाल विकास योजनाएँ
- दोपहर भोजन व्यवस्था
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

- उन्नत किस्म के बीजों की अनुपलब्धता
- प्राकृतिक आपदायें— सूखा, बाढ़, भूकम्प आदि
- खाद्यान्न भण्डारण की समस्या
- न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या
- असामान्य वितरण प्रणाली
- अशिक्षा/गरीबी
- डब्लूटीओ जैसे वैश्विक संगठनों की अनुचित नीतियाँ
- शासनिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की कमी

भारत की निरन्तर बढ़ती जनसंख्या खाद्य संकट में एक अहम भूमिका अदा करती है। क्योंकि भारत में आज 121.43 करोड़ जनसंख्या है जो विश्व में कुल जनसंख्या का 17.50 प्रतिशत है जबकि भौगोलिक परिदृश्य में भारत के पास सम्पूर्ण विश्व का मात्र 2.4 प्रतिशत भू-भाग ही है। ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन-पोषण किसी भी देश के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार भारत कुछ वर्षों में (2050तक) चीन को पीछे छोड़ विश्व की प्रथम जनसंख्या वाला देश बन जायेगा ऐसे में देश के समक्ष खाद्य सुरक्षा एक गम्भीर चुनौती बनी हुयी है।

नगरीकरण तथा औद्योगीकरण भी खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमुख कारणों में से एक है। क्योंकि कृषि भूमि अब आवासीय तथा औद्योगिक भूमि में बदलती जा रही है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है परन्तु बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी में वृद्धि की जिससे लोग रोजगार प्राप्ति तथा साथ ही शहरी चमक-दमक के प्रति आकर्षित हो शहरों की ओर उन्मुख हुये हैं जिससे कृषि भूमि का नगरीकरण में उपयोग बढ़ा है। इसके अलावा विकास के नाम पर औद्योगीकरण के फलस्वरूप बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ ने उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण को जन्म दिया। हाल ही का उदाहरण है— सिंगुर, जहाँ की हजारों एकड़ की कृषि भूमि एक कार फैक्टरी में बदल गयी।

बन्दना शिवा— “यदि ज्यादा से ज्यादा जमीन आद्योगिक बायोफ्यूल्स के काम से लगाई जाती रही तो महज दो सालों में पूरी दुनिया को खाद्य आपदा झेलनी पड़ेगी।”

अनिश्चित खाद्यान्न उत्पादन भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदायें आये दिन कृषि उत्पादन में अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं। साथ ही जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है ऐसे में खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सन्दर्भ में एक बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन कृषि के समक्ष एक बड़ी समस्या है। भारतीय कृषि मानसून पर ही निर्भर करती है। परन्तु समय पर वर्षा न होने या असमय वर्षा होने से कृषि प्रभावित होती है और इस तरह सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है या बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं जो अन्ततः खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न करते हैं।

सिंचाई व्यवस्था का उचित प्रबन्ध न होने के कारण भी खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होती है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें— नहरें, नलकूप तालाब तथा वर्षा जल का संचयन आदि प्रमुख हैं। परन्तु भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, और इसलिए “भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।” परन्तु जलवायु परिवर्तन के कारण असमय में वर्षा या समय पर वर्षा न होने के कारण कृषि प्रभावित हो रही है जिससे खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

भारत में भारतीय किसानों के समक्ष उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों की अनुपलब्धता भी खाद्य संकट के प्रमुख कारणों में से एक है। बीजों को एक बार बोये जाने के बाद उसकी उत्पादकता प्रभावित हो जाती है परन्तु हमारे किसान गरीबी, अशिक्षा तथा उचित दाम पर बीजों की अनुपलब्धता के चलते उसी बीज को बार-बार उपयोग में लाते रहते हैं और ऐसे में कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है और जो अन्ततः खाद्य संकट को उत्पन्न करती है।

प्राकृतिक आपदायें

खाद्य संकट के लिए हमेशा से ही एक बड़े कारण के रूप में रहे हैं। यद्यपि इन पर पूर्णतः काबू पाना मुश्किल है परन्तु कुछ सावधानियों तथा प्राकृतिक दोहन कम करके इने आपदाओं को कम जरूर किया जा सकता है। वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन आदि ने बाढ़, सूखा, भूकम्प जैसी आपदायें उत्पन्न करते हैं जो आये दिन देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आती है। जिससे जान-माल की क्षति के साथ-साथ खाद्य संकट भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इन सभी आपदाओं का प्रभाव कृषि पर बहुत ज्यादा पड़ता है— चाहे वह बाढ़ के रूप में हो या सूखा के रूप में। ऐसे में खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

खाद्यान्न भण्डारण भी एक बड़ी समस्या है, खाद्य सुरक्षा के मार्ग में। क्योंकि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त शीतग्रहों की व्यवस्था नहीं जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में सरकारी अनाजों की बर्बादी होती रहती है। एक अनुमान के अनुसार एफसीआई के गोदामों में लगभग 30 प्रतिशत अनाज सड़ जाते हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितनी फसले बर्बाद होती हैं उससे 70 लाख लोगों को साल भर दो वक्त का भोजन मिल सकता है। यद्यपि सरकारी स्तर पर प्रयास चल रहे हैं जैसे— 2001 में केन्द्र सरकार ने पंचायत स्तर पर “खाद्यान्न बैंको” को स्थापित करने की घोषणा की। परन्तु शासन प्रशासन में उचित तालमेल न होने तथा भ्रष्टाचार के चलते नीतियाँ सही से लागू नहीं हो पा रही हैं तथा खाद्य सुरक्षा की समस्या बनी हुयी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य भी एक बड़ी समस्या की भूमिका निभा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार उत्पादकों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमत नियत कीमत से नीचे नहीं गिरने दी जायेगी यदि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरती हैं तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित कीमतों पर खाद्यान्नों को क्रय कर लेगी परन्तु इसके विपरीत एक तरफ तो अनाजों का उचित मूल्य नहीं मिलता है और दूसरी तरफ लागत अधिक लगने के चलते किसानों को सूखाखोरी का शिकार होना पड़ता है। जो उनकी मृत्यु तक का कारण बनती है। वहीं दूसरी तरफ कई फसलों का न्यूनतम समर्थित मूल्य निर्धारित नहीं होता जिसके कारण किसानों का कृषि से मोहभंग हो रहा है और इसके बदले कोई अन्य काम करना अधिक पसन्द करते हैं जिससे भी उत्पादन प्रभावित हो रहा है और खाद्य संकट को बढ़ा रहा है।

असामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खाद्य सुरक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। क्योंकि खाद्यान्नों का उचित वितरण न हो पाने के कारण कई टन खाद्यान्न सड़ जाते हैं। जहाँ हमारे देश में लाखों लोग भूख व कुपोषण के कारण मर जाते हैं, उन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती वहीं हजारों टन खाद्यान्न भारतीय गोदामों में उचित वितरण प्रणाली तथा उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण खराब हो जाते हैं।

अशिक्षा तथा गरीबी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा कारण है। अशिक्षा सभी समस्याओं की जड़ है। शिक्षा के अभाव में भारतीय कृषक आधुनिक कृषि की विधि से अनभिज्ञ है साथ ही कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली यांत्रिक तकनीकी से भी अनजान है जिससे कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है गरीबी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। यदि कृषक आधुनिक कृषि-विधि तथा तकनीक का ज्ञान किसी तरह कर भी लें तो उन उपकरणों को खरीदने की सामर्थ्य ही नहीं हैं जिससे आधुनिक कृषि की जाती है। इस तरह से ये दोनों खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।

(W.T.O.) डब्ल्यू.टी.ओ की नीतियाँ विकासशील देशों को आयातों पर शुल्क को खत्म करने, लघु उत्पादकों की सब्सिडियों तथा उनके लिए संरक्षण को खत्म करने तथा अपनी सीमाओं को राष्ट्रेत्तर कम्पनियों के उत्पादों के लिये खोलने को बाध्य करती है जबकि उत्तर के बाजार काफी संरक्षित हैं। अतः पश्चिमी देशों द्वारा 60 के दशक के बाद से चलाई जा रही आर्थिक विकास नीतियाँ संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम क्षेत्रीय मुक्त व्यापार संधियाँ, विश्व व्यापार संगठन तथा पश्चिमी में कृषि सब्सिडी खाद्य व्यवस्था को तबाही की ओर ले गयी तथा विकासशील व निर्धन देशों के लोगों के लिए खाद्य असुरक्षा की चुनौती को लगातार बढ़ाया है। भारत द्वारा समय-समय पर समझौता मंचों पर इन नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती रही है परन्तु विकसित देश अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं।

देश की कोई भी योजना/परियोजना तब तक अपने सार्थक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकती जब तक शासन /प्रशासन पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ उसे लागू न करें। शायद यही कारण है कि स्वतंत्रता के समय से ही खाद्य सुरक्षा की ओर ध्यान दिये जाने के बाद भी आज तक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी कि आवश्यकता पड़ने पर देश की जनता को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराया

जा सके। यद्यपि बढ़ती जनसंख्या तथा आधुनिकीकरण के चलते खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है परन्तु यदि शासन एवं प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें तो देश की किसी भी समस्या से लड़ा जा सकता है और देश की जनता को खुशहाल बनाया जा सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य व प्रसार

खाद्यान्नों तक गरीब वर्गों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इस प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को उँची कीमतों से सुरक्षा प्रदान करते हुए न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु भारत में विधिवत् रूप से पीडीएस 1950 में लागू किया गया था। पीडीएस के निम्न छः अंग हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुयें उपलब्ध करायी जाती हैं, ये हैं—

- राशन या सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें
- सहकारी उपभोक्ता भण्डार
- नियंत्रित उपभोक्ता भण्डार
- नियंत्रित कपड़े की दुकान
- सुपर बाजार
- मिट्टी के तेल विक्रय की दुकानें एवं सॉपट कोकडिपो

वर्ष 1997 तक सामान्य पीडीएस थी जिसकी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपस्थिति थी। इसी की वजह से शहरी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण पीडीएस की बड़ी आलोचना हुयी, इससे निपटने हेतु वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की शुरुआत की गयी। जिसके अन्तर्गत सरकार गरीब वर्ग को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु बीपीएल कार्ड जारी करके कम कीमत पर आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। इसी क्रम में 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गयी इसके तहत बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 25 किग्रा अनाज विशेष रियायती दरों पर प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसी क्रम में अप्रैल, 2000 में प्रारम्भ अन्नपूर्ण योजना सरकार के माध्यम से बेसहारा व निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किग्रा0 अनाज निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। 2000 में ही सर्वप्रिय योजना देश की आम जनता के लिए शुरु की गई। वर्ष 2001 में ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों की स्थापना की गयी ताकि प्राकृतिक प्रकोप तथा तंगी के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाय इसी तरह 2004 में काम के बदले अनाज योजना आदि पीडीएस को सफल बनाने हेतु शुरु किए गये।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

भारतीय खाद्य निगम का गठन भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत हुआ। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुयी थी। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में भारतीय खाद्य निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके प्रमुख चार कार्य हैं—

1. किसानों से उचित मूल्यों पर उनके उत्पाद को खरीदना।
2. अनाज का उचित भण्डारण
3. पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना।
4. जिन राज्यों में अधिक उत्पादन होता है उन राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न लेकर कम खाद्यान्न वाले राज्यों को वितरित करना।

कुल मिलाकर खाद्यान्न सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नजरिए से भारतीय खाद्य निगम भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना (टीपीडीएस)

पीडीएस की कमियों को दूर करते हुए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अनाज की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की शुरुआत की गयी। इसका लक्ष्य देश में करीब 6 करोड़ निर्धन परिवारों को लाभ पहुँचाना है जिसके लिए 72 लाख टन वार्षिक अनाज निर्धारित किया गया था। इस कार्यक्रम को आबादी के निर्धनतम वर्गों पर अधिक केन्द्रित और लक्षित बनाने के लिए “अन्त्योदय अन्न योजना” (AAY) की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। AAY के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर किये गये BPL परिवारों में से सबसे निर्धन परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें अधिक सब्सिडी देते हुए 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से गेहूँ और 3 रुपये प्रति किग्रा की दर चावल दिया जाता है। इसके अन्तर्गत शुरु में प्रति परिवार प्रतिमाह 25 किग्रा अनाज निर्धारित था परन्तु 1 अप्रैल, 2002 से इसमें बढ़ोत्तरी की गई और इसे प्रतिपरिवार प्रतिमाह बढ़ाकर 35 किग्रा कर दिया गया।

योजना में घटक के तहत टीपीडीएस कार्यों का एक से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण कार्य शुरु कर दिया गया है जिसमें राशन कार्डों लाभान्वितों तथा अन्य डाटाबेस का डिजिटलीकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शी पोर्टल का निर्माण और शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है। योजना के तहत अभी तक 23 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/एनआईसी आदि के लिए 228.74 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। 14 राज्यों में लाभान्वितों के आंकड़े के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा किया जा चुका है जबकि अन्य 16 राज्यों यह कार्य जारी है। अन्य भागीदारों के आंकड़े भी 30 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में डिजिटलाइजेशन किये जा चुके हैं। 25 राज्यों /केन्द्रशासित प्रदेशों में

पारदर्शी पोर्टल और टॉलफ्री नम्बर की स्थापना की जा चुकी है। अन्य कार्य जैसे ऑनलाइन आबंटन, आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन आदि का काम भी राज्य सरकारें केन्द्रशासित प्रदेश कर रहे हैं।

एकीकृत बाल विकास योजनायें (आई0सी0डी0एस0)

महिलाओं और शिक्षुओं के कल्याण हेतु आई0सी0डी0एस0 विभाग की स्थापना की गयी है। जिसका मुख्य उद्देश्य, शिशु, बच्चे किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण तथा शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को आवश्यक वित्तीय संसाधन तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करती है जिसके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास अच्छे स्वास्थ्य कुपोषण को दूर करने हेतु अनुपूरक पोषाहार तथा स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा यूनिसेफ द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न प्रकार से सहायता तथा मार्गदर्शन किया जाता है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है—

- बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 06 वर्ष से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना।
- मृत्युदर, अस्वस्थता, कुपोषण एवं स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करना।

इसकी प्रमुख योजनाएँ हैं—

- किशोरी शक्ति योजना
- धनलक्ष्मी योजना
- पोषण कार्यक्रम
- इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएम)

इस कार्यक्रम को नेशनल प्रोग्राम आफ न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (मिड-डे-मील) 15 अगस्त, 1995 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूलों में दखिलों की संख्या बढ़ाना, स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने की प्रवृत्ति हतोत्साहित

करना और कक्षाओं में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने में योगदान करना है। साथ ही बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना भी इस कार्यक्रम का एक मुख्य लक्ष्य है।

वर्ष 1997-98 से इस कार्यक्रम को देश के सभी ब्लाकों में लागू कर दिया गया इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र राज्य का अनुपात 75:25 है जबकि पूर्वोत्तर के लिये यह अनुपात 90:10 रखा गया है।

पीपुल्स यूनिशन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम केन्द्र सरकार मामले में आदेश देते हुए देश की शीर्ष अदालत ने 28 नवम्बर, 2001 को कहा कि प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता से चलाये जाने वाले स्कूलों में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए एमडीएम लागू की जाय। इसके अन्तर्गत कम से कम 200 दिनों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन की सभी बच्चों की खुराक मिलनी चाहिए।

अप्रैल, 2002 में इस योजना को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केन्द्रों के कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को शामिल किया गया ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया जा सके और उन्हें कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा सके। केन्द्र सरकार सभी राज्यों को एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न की निःशुल्क आपूर्ति करती है।

अभी हाल में बिहार में मध्याह्न भोजन त्रासदी और अन्य कई स्थानों पर खाना खाने से बच्चों को बीमार पड़ने की घटनाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन के प्रस्ताव को 10 अक्टूबर, 2013 को स्वीकृति प्रदान कर दी।

निगरानी समिति का कार्य आपूर्ति किये गये भोजन की गुणवत्ता को देखना है। यह समिति एमडीएम की प्रभावी निगरानी के साथ इसकी देख-रेख भी करेगी। इसकी वर्ष में दो बार बैठक होगी तथा यह राज्यों को किसी तरह की कमी के बारे में सूचित करेगी। देश की यह एमडीएम योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

स्वतंत्रता के 68 वर्षों के पश्चात् आज भी भारतवर्ष की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग दो वक्त का भोजन प्राप्त करने की चुनौती से गुजर रहा है। इसी चुनौती के सन्दर्भ में विभिन्न सरकारों द्वारा समय-समय पर कई प्रयास किये गये व कार्यक्रम चलाये गये। यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है जो इस चुनौती के समाधान के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है।

केन्द्र सरकार ने कुपोषण एवं गरीबी की चुनौती से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून तैयार किया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 दिसम्बर, 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

विधेयक के उपबन्धों के तहत प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को अधिकतम 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और एक रुपये प्रतिकिलो मोटा अनाज की दर पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 7 किलो खाद्यान्न और सामान्य परिवारों को कम से कम 3 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा गेहूँ और मोटे अनाज के लिए एमएसपी का अधिकतम 50 प्रतिशत मूल्य और चावल के लिये व्युत्पन्न एमएसपी पर मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता और दीनहीन और बेघर, आपातकालीन और आपदा प्रभावित और भूख से त्रस्त व्यक्तियों जैसे विशेष समूहों को भोजन मुहैया कराने के अलावा ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत व्यक्ति लाभान्वित होंगे। गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलायें भी 6 माह के लिए 1000 रुपये प्रति माह मातृत्व लाभ प्राप्त करने ही हकदार होंगी खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जायेगा। विधेयक में टीपीडीएस के तहत सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण लाभार्थियों की अनन्य पहचान हेतु "आधार" की विशेष सुविधा सहित खाद्यान्नों की घर पर सुपुर्दगी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग जैसे सुधार कार्य हेतु प्रावधान भी किया गया है। पीडीएस संबंधी रिकार्डों का प्रकटन सामाजिक, लेखा परीक्षा और विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र के अलावा सतर्कता समितियों की स्थापना सहित पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी प्रावधान किये गये हैं।

दोनों सदनों द्वारा पारित यह विधेयक 12 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो कानून का रूप ले लिया।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत में आज 121.43 करोड़ जनसंख्या है जो विश्व में कुल जनसंख्या का प्रतिशत है।
2. भारतीय कृषि पर ही निर्भर करती है।
3. भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की हुयी थी।
4. महिलाओं और शिशुओं के कल्याण हेतु विभाग की स्थापना की गयी है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. भारत के पास सम्पूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग है?
2. 2050 तक किस देश को पीछे छोड़ भारत विश्व का प्रथम जनसंख्या वाला देश बन जायेगा?
3. अन्त्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई?
4. 15 अगस्त ,1995 को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया ?

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य एवं प्रसार पर संक्षेप में लिखिए ?
2. एकीकृत बाल विकास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?
3. भारतीय खाद्य निगम (FCI) के प्रमुख कार्यों को लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

भारत के समक्ष विद्यमान खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के बारे में विस्तार से लिखिए।

www.dietmathura.org

सांख्यिकी

सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथमतः सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में और द्वितीयतः सांख्यिकीय विधियों के रूप में। यद्यपि सांख्यिकी (Statistics) शब्द जर्मन भाषा के शब्द 'statistik' और लेटिन भाषा शब्द 'status' से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है – राज्य अथवा सरकार। ध्यातव्य है कि विलियम शैक्सपियर, जान मिल्टन तथा विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे विद्वानों ने भी 'Statist' शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया था जो राज्य से सम्बन्धित लेखा जोखा के कार्य में निपुण हो। यद्यपि 'statistics' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रायड एकेनवाल को है। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है।

अर्थ

सांख्यिकी शब्द का प्रयोग आज मूलतः दो रूपों में किया जा रहा— एक वचन में एवं बहुवचन में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय सांख्यिकीय विज्ञान से लगाया जाता है। जिसमें आँकड़ों के संकलन विश्लेषण एवं निर्वचन से सम्बन्धित विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों व विधियों का अध्ययन किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बहुवचन के अर्थ में सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक तथा आँकड़ों मात्र से है।

ध्यातव्य है आम लोग सांख्यिकी का अर्थ आँकड़ों से लगाते हैं, उनकी दृष्टि में समकों एवं आँकड़ों में कोई भेद नहीं है। किन्तु यह भ्रमपूर्ण विचार है। सभी आँकड़े समक नहीं होते हैं। केवल वही आँकड़े जो विशेष गुण रखते हों समक कहलाते हैं। सांख्यिकी को विभिन्न विद्वानों ने अपनी-अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं—

'सांख्यिकी गणना का विज्ञान है'— डॉ० बाउले

'सांख्यिकी आकलनों और संभावितों का विज्ञान है।'—बॉडिंगटन

'सांख्यिकी को संख्या सम्बन्धी आँकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।'—काक्सटन और काउडेन

सांख्यिकी की उपरोक्त विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं एवं अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से सांख्यिकी के निम्नलिखित तत्व प्रकट होते हैं—

प्रमुख बिन्दु—

- सांख्यिकी का परिचय
- अर्थ व परिभाषा
- कार्य
- महत्व
- सीमाएं
- आँकड़ों का प्रदर्शन व महत्व
- सारणीयन
- आरेखन
- रेखा चित्र
- केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप
- समानान्तर माध्य
- माध्यिका
- बहुलक

आँकड़े—

तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो कुछ प्रकार के कारणों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं जो संख्याओं में व्यक्त किये जाते हैं किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित ढंग से एकत्र और एक दूसरे से सम्बन्धित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

- सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है।
- सांख्यिकी गणना का विज्ञान है।
- सांख्यिकी अनुमान और संभावना सम्बन्धी शास्त्र है।
- सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है।
- सांख्यिकी का उद्देश्य स्वतः स्पष्ट होता है।
- सांख्यिकी के अन्तर्गत किसी भी सामाजिक एवं प्राकृतिक से सम्बन्धित तथा विविध कारणों द्वारा प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा पूर्वानुमान की रीतियों का विधिवत अध्ययन किया जाता है।

कार्य

सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान क्षेत्र में विभिन्न तथ्यों व समस्याओं का अध्ययन तथा उसमें घटित होने वाले परिवर्तनों के कारणों व परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। सांख्यिकी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

- विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक रूप देना।
- जटिलतम तथ्यों को सरलतम रूप देना।
- तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना।
- सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है।
- तथ्यों को निश्चयात्मक रूप प्रदान करती है।
- अन्य विज्ञानों के नियमों की जाँच को सम्भव बनाती है।
- सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करती है तथा भाविष्य के लिए पूर्वानुमान सुझाती है।
- राष्ट्र के लिए वांछित सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक नीतियों का निर्धारण उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर ही किया जाता है।
- परिकल्पना और उसकी जाँच में सहायक सिद्ध होती है।

महत्व

सांख्यिकी का महत्व निम्नलिखित है—

1. राज्य की प्रत्येक नीति का निर्धारण सांख्यिकी के सहयोग से ही हो पाता है।
2. सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों, आयोगों तथा ट्रिब्यूनल की सिफारिशें बहुत कुछ सीमा तक समकों पर आधारित होती है, जिन्हें देखकर प्रायः राज्य नियमों का निर्माण करता है।
3. नियोजन के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर आज के युग में जबकि विश्व का प्रत्येक देश राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण हितार्थ नियोजन को पूरी तरह स्वीकार किए हुए हैं

टिप्पेट के अनुसार— नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है, समकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

4. उद्योग—धन्धों, व्यवसाय एवं वाणिज्य में सांख्यिकी का महत्व बढ़ता जा रहा है। उत्पादकों को अपनी वस्तु की लागत तथा लाभ का अनुमान लगाना पड़ता है और वह अपने उत्पादन का स्तर व व्यापारिक नीतियों का निरूपण कुशलता से कर सकें।

5. सांख्यिकी का महत्व प्रबन्ध लेखांकन तथा व्यावसायिक लेखाकर्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। विशेष रूप से वस्तु की प्रति इकाई लागत का निर्धारण करके, व्यावसायिक खाते तैयार करने तथा अपव्ययों व आर्थिक मितव्ययताओं का पता लगाने के लिए समकों का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है।

6. अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या का समाधान बिना सांख्यिकी के प्रयोग के सम्भव नहीं हो पाता। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, मांग—पूर्ति इत्यादि में सांख्यिकी का बहुत महत्व है।

इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी का महत्व नियोजन, प्रशासन, अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र, बीमा कम्पनियों, रेलवे, सट्टे के कार्यों तथा उद्योग—धन्धों में अत्यधिक देखने को मिलता है। इतना ही नहीं सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और जीवन को अनेक बिन्दुओं पर स्पर्श करती है।

सीमाएँ

किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकीय नियमों का उपयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित तथा कुछ सीमाओं से प्रभावित होता है। इसलिए प्रायः अनिश्चित निष्कर्ष निकलते हैं। सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं निम्नवत् हैं—

1. सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। यद्यपि व्यक्तिगत इकाइयों के माध्यम से ही समूह या समग्र का अध्ययन किया जाता है परन्तु इसके निष्कर्ष सदैव एक औसत तथा समूह की प्रकृति का आभास प्रकट करते हैं।

2. सांख्यिकी सदैव संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं।

3. सांख्यिकीय निष्कर्ष असत्य व भ्रमात्मक सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना सन्दर्भ में किया जाय।

4. सांख्यिकीय समकों का सजातीय होना अपरिहार्य होता है तभी निष्कर्ष सही प्राप्त होते हैं।

5. सांख्यिकीय नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं।

6. सांख्यिकी का प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सांख्यिकीय रीतियों का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

7. समकों के प्रयोग में अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता होती है।

आँकड़ों का प्रदर्शन

आँकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात् उन्हें सुगठित एवं सुव्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राप्त आँकड़े अपना पूर्ण अर्थ समझाने में स्वयं में असमर्थ होते हैं। जब उनका सुव्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण कर दिया जाता है तो उनकी बहुत सी छिपी हुई विशेषताओं का पता चलता है।

प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि किसी भी सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित करने की कौन-कौन सी विधियाँ हो सकती हैं?

आँकड़ों के प्रदर्शन की विधियाँ


प्राप्त आँकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं—

1. सारणीबद्ध प्रदर्शन
2. चित्रमय प्रदर्शन और आरेखीय प्रदर्शन।

आँकड़ों को प्रस्तुत करने की कुछ अन्य विधियाँ भी हैं यथा पाठ्य प्रस्तुतीकरण, चित्रलेख द्वारा प्रदर्शन, मानचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण आदि। परन्तु इन विधियों का प्रयोग आँकड़ों की प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। अभिप्राय यह है कि आँकड़ों के प्रदर्शन की कोई भी विधि हमारे सामने उसका स्पष्ट चित्र खींचने में समर्थ होनी चाहिए जो आँकड़े बताना चाहते हैं। आँकड़ों का प्रदर्शन इस प्रकार से होना चाहिए की पाठक का ध्यान प्रभावपूर्ण ढंग से सूचना या विचारों की ओर आकर्षित किया जा सके तथा वे काफी समय तक इस ओर आकर्षित रहें।


सारणीबद्ध प्रदर्शन

आँकड़ों के प्रदर्शन की इस विधि के अन्तर्गत प्राप्त आँकड़ों को सारणी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आँकड़ों की पंक्तियों और स्तम्भों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। पंक्तियाँ क्षैतिज व्यवस्थाएं एवं स्तम्भ लम्बवत् व्यवस्थाएं हैं। सारणी का उद्देश्य प्रस्तुतीकरण को सरल बनाना तथा तुलनाओं को आसान बनाना है। सामान्यतः स्पष्ट एवं क्रमबद्ध व्यवस्था से आँकड़े आसानी से समझने योग्य हो जाते हैं जिससे पाठकगण को इच्छित सूचनाएं शीघ्रता से प्राप्त हो जाती हैं। ध्यातव्य है, उचित शीर्षक के साथ सारणी स्वयं परिचायक होनी चाहिए। मदों की पंक्तियों के शीर्षक (बॉयों ओर का स्तम्भ और उसका शीर्षक और स्तम्भ शीर्षक, अन्य स्तम्भों के शीर्षक) में तर्कसंगत व्यवस्था सारणी को स्पष्ट करने तथा पढ़ने व समझने में सुगम बनाती है।



निर्देश सारणी सूचनाओं का भण्डार होती है, जिसका उद्देश्य विस्तृत सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना होता है। हमारी अनेक 'जनगणना सारणियाँ' आमतौर पर काफी विस्तृत होती हैं। यही कारण है कि इन्हें अनुबन्धों के रूप में या पृथक ग्रन्थों के रूप में दिया जाता है। स्पष्ट है कि निर्देश सारणी का उद्देश्य संदर्भ सारणी, को सरल बनाना है। निर्देश सारणी को संदर्भ सारणी स्रोत सारणी, सामान्य सारणी, आधार सारणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है।

वहीं दूसरी ओर संक्षिप्त सारणी मदों, सम्बन्धों या महत्वपूर्ण तुलनाओं पर अधिक जोर देती हैं। संक्षिप्त सारणी को पाठ्य सारणी, विश्लेषिक सारणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है।



सारणी का प्रारूप

सारणी क्रमांक :

शीर्षक :

शीर्ष टिप्पणी :

पंक्ति शीर्षक	उपशीर्षक			कुल
पंक्ति	स्तम्भ शीर्षक	स्तम्भ शीर्षक	स्तम्भ शीर्षक	मुख्य भाग
कुल				

टिप्पणी :

स्रोत :

आइये हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं।


दो शहरों में काफी पीने की आदत के अध्ययन से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुईं:

शहर क- स्त्रियां 40 प्रतिशत थी, काफी पीने वाले लोग 45 प्रतिशत थे और काफी न पीने वाले पुरुष 20 प्रतिशत थे ।

शहर ख- पुरुष 55 प्रतिशत थे, काफी न पीने वाले पुरुष 30 प्रतिशत थे और काफी पीने वाली स्त्रियां 15 प्रतिशत थी ।

उक्त आंकड़ों को हमें सारणी के रूप में प्रदर्शित करना है ।

चरण-1 सारणी प्रस्तुत करने से पूर्व हम उक्त प्राप्त आंकड़ों से अनुपस्थित प्रतिशत ज्ञात करते हैं-



चरण-2 सारणी- शहर 'क' और 'ख' में काफी पीने की आदत (प्रतिशत में)

	शहर 'क'			शहर 'ख'		
	काफी पीने वाले	काफी न पीने वाले	योग	काफी पीने वाले	काफी न पीने वाले	योग
पुरुष	40	20	60	25	30	55
स्त्रियाँ	5	35	40	15	30	45
योग	45	55	100	40	60	100

वस्तुओं से स्वयं उदाहरण दे कर सारणी बनाएं और उससे सम्बन्धित सूचनाओं की पहचान करायें।

चित्रमय प्रदर्शन व आरेखीय प्रदर्शन

चित्रमय प्रदर्शन से तात्पर्य, सांख्यिकीय आँकड़ों को सरल, रोचक व आकर्षक ज्यामितीय आकृतियों यथा-दण्ड चित्र, आयत चित्र अथवा मानचित्रों के रूप में प्रस्तुत करना है। इस प्रकार आँकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन अन्य सांख्यिकीय विधियों के विपरीत तथ्यों को अधिक रोचक एवं सरल बनाने की एक प्रक्रिया है।

सांख्यिकीय चित्रों के लाभ

चित्रमय प्रदर्शन समस्या का एक सरल समाधान है। चित्र, समकों के आकर्षक प्रदर्शन में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। सांख्यिकीय चित्रों के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं-

1. आकर्षक एवं प्रभावी साधन

प्रायः कहा जाता है कि "एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है।" चित्रों का अंकों की तुलना में मस्तिष्क पर अधिक स्थायी प्रभाव पड़ता है अर्थात् ये अधिक समय तक याद रहते हैं। चित्र रोचक व आकर्षक होते हैं और ये लोगों का ध्यान भी अपनी ओर बरबस खींच लेते हैं जिन्हें अंकों में कोई रुचि नहीं होती है।

2. समय एवं श्रम की बचत

जहाँ एक ओर आँकड़ों को समझने और उनसे निष्कर्ष निकालने में अधिक समय एवं परिश्रम लगाना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर चित्र सहज ही तथ्यों की समस्त प्रकार की विशेषताओं को हमारे सामने प्रकट कर देने में सक्षम होते हैं।

3. तुलनात्मक अध्ययन में सहायक

संख्यात्मक तुलना उतनी प्रभावी नहीं होती है, जितनी कि चित्रात्मक रूप में की गई तुलना प्रभावी होती है। अतः चित्रात्मक प्रदर्शन विभिन्न तथ्यों, मद्दों के मध्य तुलना करने में सहायक होते हैं।

4. सरल एवं सुबोध प्रस्तुतीकरण

चित्रों की विशेषता होती है कि वे नीरस जटिल एवं अव्यवस्थित समकों को सरल एवं बोधात्मक बना देते हैं। इतना ही नहीं चित्रों को समझने के लिए मस्तिष्क पर ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ता है। फलतः चित्र एक दृष्टि में ही आँकड़ों से सम्बन्धित जटिल तथ्यों का सम्पूर्ण सार समझने में सहायक सिद्ध होते हैं।

5. व्यापक उपयोग

विभिन्न लाभों के कारण सांख्यिकीय चित्रों का उपयोग सभी शास्त्रों में किया जा रहा है। विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं विज्ञापन के क्षेत्र में तो चित्रमय प्रदर्शनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है।

चित्रों के प्रकार

सांख्यिकीय रेखाचित्रों के निम्नलिखित प्रकार हैं—

1. रेखाचित्र
2. दण्डचित्र
3. बहुगुणी दण्डचित्र
4. अन्तर्विभक्त दण्डचित्र
5. आयत चित्र
6. वृत्तीय चित्र
7. चित्रलेख
8. मानचित्र

रेखा चित्र

रेखा चित्र का प्रयोग आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए तब किया जाता है, जब पद मूल्यों की संख्या काफी अधिक हो और सबसे बड़े और सबसे छोटे पद मूल्य का अन्तर कम हो। चित्र आरेख बनाने के लिए प्रत्येक पद मूल्य के बराबर पैमाना मानकर रेखाएं खींची जाती हैं। रेखाओं के मध्य अन्तर समान रखा जाता है, साथ ही रेखाओं की मोटाई न के बराबर होती है।

उदाहरण— मॉसिनराम में प्रतिदिन वर्षा का 15 दिनों का आँकड़ा नीचे दिया गया है। इन्हें रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन करना है—




सरल दण्ड चित्र

ऐसे आँकड़ों के प्रदर्शन के लिए यह विधि उपयुक्त होती है, जिसमें पद मूल्यों की संख्या कम होती है। रेखा चित्र और दण्ड चित्र में अन्तर केवल इतना ही होता है कि दण्ड चित्र में रेखाओं की चौड़ाई बना दी जाती है। इसके फलस्वरूप चित्र आकर्षक प्रकृति के दिखाई देते हैं।

दण्ड चित्र में सबसे बड़े पद मूल्य के आधार पर पहले एक उपयुक्त पैमाना तय कर लिया जाता है। फिर शेष सभी दण्ड इसी पैमाने के अनुसार क्रमशः घटते पद मूल्य के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। दो दण्डों के मध्य की दूरी या स्थान समान रखा जाता है।

उदाहरण— नीचे विभिन्न देशों की जन्म दर दी गयी है उन्हें दण्ड चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है।




बहुगुणी दण्ड चित्र

ऐसे आँकड़ों को जिनमें एक ही साथ अनेक सूचनाएं एक ही समूहों से सम्बन्धित हों, को प्रदर्शित करना हो तो बहुगुणी दण्डचित्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे चित्र में ध्यान रहे एक ही समूह से सम्बन्धित दण्डों के सटाकर बनाया जाता है। फिर थोड़ा सा रिक्त स्थान देकर दूसरे समूह के दण्ड तैयार कर लिए जाते हैं।

उदाहरण— भारतीय विदेश व्यापार के विभिन्न वित्तीय वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं। इन्हें बहुगुणी दण्डचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए—

वित्तीय वर्ष	आयात (करोड़ रु०)	निर्यात (करोड़ रु०)
2010—11	950	6.50
2011—12	1085	600
2012—13	850	675
2013—14	900	700



अन्तरविभक्त दण्ड चित्र

आँकड़ों के प्रदर्शन की इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, जब आँकड़ों के योग तथा उनके विभिन्न विभागों को एक साथ दिखाना हो। इसके प्रदर्शन के लिए सर्वप्रथम दिए गए पद मूल्यों के अनुसार विभिन्न दण्ड बनाए जाते हैं और प्रत्येक दण्ड को उसके विभागों के अनुपात में विभक्त कर दिया जाता है।

उदाहरण— किसी कालेज के विभिन्न संकायों में तीन वर्षों की छात्र संख्या दी गयी है। इसे अन्तर्विभक्त दण्ड चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना है

संकाय	2007-08	2008-09	2010-11
कला	1200	1100	1800
विज्ञान	800	900	1500
वाणिज्य	400	700	800
विधिशास्त्र	300	450	600

हल— माना पैमाना 1 सेमी = 500 छात्र

वर्ष 2007-08 में पंजीकृत समस्त संकाय में छात्रों की संख्या = 2700

वर्ष 2008-09 में पंजीकृत समस्त संकाय में छात्रों की संख्या = 3150

वर्ष 2009-10 में पंजीकृत समस्त संकाय में छात्रों की संख्या = 4700


अतः वर्ष 2007-08 में बनने वाले दण्ड की पूर्ण ऊँचाई = $2700 / 500$ सेमी = 5.4 सेमी

इसी प्रकार

2008-09 में बनने वाले दण्ड की पूर्ण ऊँचाई = $3150 / 500$ सेमी = 6.3 सेमी

2009-10 में बनने वाले दण्ड की पूर्ण ऊँचाई = $4700 / 500$ सेमी = 9.4 सेमी

अब विभिन्न संकायों में प्रत्येक वर्ष की छात्रसंख्या के अनुपात में प्रत्येक दण्ड को बाँट लेते हैं।



आयत चित्र एवं वृत्त चित्र

आँकड़ों के प्रदर्शन की इन विधियों को **क्षेत्रफल चित्र** भी कहा जाता है। क्षेत्रफल चित्रों के प्रमुख रूप हैं— आयत और वृत्त

आयत चित्र


दो या दो से अधिक राशियों की पारस्परिक तुलना करने के लिए आयत चित्रों का प्रयोग किया जाता है। आयत चित्र के आकार को देखकर ही परिणामों की तुलना बहुत आसानी से की जा सकती है। इस विधि के अन्तर्गत आयतों के क्षेत्रफल द्वारा राशियों की तुलना की जाती है। यथा-परिवार के आय-व्यय का प्रदर्शन, कारखानों की औसत मजदूरियों का प्रदर्शन इत्यादि।

उदाहरण

यदि किसी कारखाने में प्रतिदिन प्रति मजदूर की औसत मजदूरी 10 रूपए है। वहाँ कुल मजदूर 100 हैं और कारखाने में औसत मजदूरी 5 रूपए है और वहाँ 50 मजदूर हैं। तो इस सूचना को कैसे आयत चित्र से प्रदर्शित किया जायेगा?

हल- पैमाना- 1 सेमी = 50 मजदूर
1 सेमी = 2 रूपए

कारखाना A
कुल औसत मजदूरी = 10 x 100
= 1000 (आयत का क्षेत्रफल)
कारखाना B
कुल औसत मजदूरी = 5 x 50
= 250 (आयत का क्षेत्रफल)



किया जाता है। यथा - यदि संपूर्ण वृत्त सरकारी व्यय को दर्शाते हैं तो उसके विभिन्न खण्ड या भाग सरकारी व्यय के विभिन्न मदों को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कृषि, उद्योग, सुरक्षा, यातायात, शिक्षा, पारिवारिक व्यय, भोजन, किराया इत्यादि को वृत्तचित्र के माध्यम से बोधगम्यता के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है।

उदाहरण-यदि किसी महानगर में मकान बनाने की लागत के आंकड़े दिए गये हों तो उन्हें वृत्त चित्र द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा?

मद	प्रतिशत व्यय (प्रतिशत में)
मजदूरी	25
ईंट	15
सीमेण्ट	20
लोहा	15

लकड़ी	10
देखरेख	15

हल- वृत्त चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम उपरोक्त प्रतिशत मानों को कोणों के अंश के रूप में बदलते हैं।


माना 100 % = 360 अंश

इसलिए 1% = 360 / 100 = 3.6 अंश

अब प्रत्येक मद के प्रतिशत मान में 3.6 का गुणा करके मान को अंशों में प्राप्त कर लेते हैं।

मद	प्रतिशत में व्यय	अंश में मान
मजदूरी	25 x 3.6	90
ईंट	15 x 3.6	54
सीमेंट	20 x 3.6	72
लोहा	15 x 3.6	54
लकड़ी	10 x 3.6	36
देखरेख	15 x 3.6	54
	कुल	360⁰

एक निश्चित त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर उसे अंश में प्राप्त कोणों के अनुसार 6 भागों में विभक्त करते हैं



चित्रलेख

इस पद्धति के प्रणेता डॉ० आटो न्यूरथ थे। इस प्रविधि के अन्तर्गत आँकड़ों को सम्बन्धित वस्तुओं की आकृति या चित्र बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। यथा—जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़ों को मनुष्य की आकृति द्वारा, योजना व्यय के रूपों को थैली द्वारा, खाद्यान्न उत्पादन को बोरियों के चित्र बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। इनकी रचना आँकड़ों के एक निश्चित अनुपात में की जाती है। ये काफी आकर्षक होते हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग विज्ञापनों के लिए आजकल अधिक किया जा रहा है।

मानचित्र

मानचित्र भौगोलिक या प्रादेशिक आँकड़ों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। यथा किसी देश में जनसंख्या घनत्व, वर्षा, वनस्पतियों का वितरण, कृषि उपज, खनिजों का वितरण इत्यादि उस देश के मानचित्र पर किया जाता है।

प्रशिक्षुओं से भारत के राजनैतिक रिक्त मानचित्र पर जनसंख्या घनत्व एवं विभिन्न खनिजों के वितरण को अंकित कराया जाय।

केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप

सांख्यिकीय विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य, समस्त आँकड़ों का एक प्रतिनिधि मूल्य प्राप्त करना है। विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले जटिल एवं असंख्य आँकड़ों को समझने वाला जो एक मूल्य निकाला जाता है औसत कहलाता है। इसे केन्द्रीय मूल्य भी कहा जाता है। यह हमेशा अधिकतम और न्यूनतम के मध्य में आता है। अतः स्पष्ट है कि वह प्राप्त मूल्य जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है उसे केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ध्यातव्य है हम औसत का प्रयोग दैनिक जीवन में करते रहते हैं। यथा—कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक, जो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार कारखाने के मजदूरों की औसत आय जो सभी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है— सांख्यिकीय माध्य, प्रतिनिधि मूल्य इत्यादि। आधुनिक युग में सांख्यिकीय माध्य का उपयोग दिनों—दिन बढ़ता जा रहा है।

माध्य— कोई एक अकेली संख्या जो दिये गये व्यवस्थित आँकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसमें वे सभी विशेषताएं समाहित होती हैं जो आँकड़ों के समस्त मूल्यों में हैं।

सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार



समान्तर माध्य

सांख्यिकीय विश्लेषण में समान्तर माध्य सबसे प्रचलित माध्य है जिसका प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति द्वारा दैनिक जीवन में किया जाता है। समान्तर माध्य वह मूल्य है जो किन्हीं दिये गये आँकड़ों के सभी पदों के योगफल में उन पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है।

$$\text{समान्तर माध्य} = \frac{\text{कुल पदों का योग}}{\text{कुल पदों की संख्या}}$$

उदाहरण- किसी कक्षा के 10 के छात्रों को अंग्रेजी विषय में प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। समान्तर माध्यम ज्ञात करना है-

विद्यार्थी	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
अंक	50	100	50	150	100	50	150	100	50	100

कुल पदों की संख्या = 10

कुल पदों का योग = 50+100+50+150+100+50+50+150+100+50+100 = 900

चुंकि समान्तर माध्य = 900/10 = 90

अतः औसत अंक = 90

गुण

1. बहुलक और माध्यिका के विपरीत समान्तर माध्य श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है जिस कारण यह श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व करता है।
2. समान्तर माध्य में निश्चितता का गुण पाया जाता है, यह बहुलक और माध्यिका की भाँति अनुमान आधारित नहीं होता है।
3. समान्तर माध्य में एक आदर्श माध्य के सभी गुण पाए जाते हैं यही कारण है कि यह सर्वाधिक लोकप्रिय माध्य है।

दोष- एक आदर्श माध्य होने के बावजूद भी इसकी अपनी एक सीमाएं हैं -

1. इस माध्य का सबसे बड़ा दोष है कि यह चरम मूल्यों (सबसे बड़े व सबसे छोटे) को अधिक महत्व देता है।
2. समान्तर माध्य कभी-कभी पूर्णांक न होकर दशमलव या भिन्न के रूप में आता है जो कि इसे अवास्तविक बना देता है। यथा चार माताओं ने क्रमशः 3,2,1 एवं 4 बच्चों को जन्म दिया। प्रति माता औसत 2.5 आता है। यह निःसंदेह एक हास्यास्पद निष्कर्ष है।
3. इसके द्वारा अनुपात दर एवं प्रतिशत आदि की गणना करना सम्भव नहीं हो पाता है।

www.dietmathura.org

माध्यिका

माध्यिका किन्हीं दी गई आँकड़ों की माला को दो समान भागों में विभक्त करता है अर्थात् आंकड़ों का मध्य मूल्य होता है। दूसरे शब्दों में माध्यिका किसी श्रेणी का केन्द्रीय मूल्य है जो आंकड़ों को चढ़ते हुए अथवा उतरते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात ज्ञात किया जाता है। माध्यिका, श्रेणी को दो बराबर हिस्सों में विभक्त करती है। एक भाग के समस्त मूल्य माध्यिका मूल्य से अधिक तथा दूसरे भाग के समस्त मूल्य माध्यिका मूल्य से कम होते हैं।

ध्यातव्य है समान्तर माध्य की तरह माध्यिका, श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती। अतः माध्यिका को आँकड़ों के **स्थिति का माध्य** कहा जाता है।

माध्यिका का गणन—दिए गये आँकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं।

1. यदि कुल पदों की संख्या विषम संख्या हो तो माध्यिका = $(N+1) \frac{1}{2}$ वां पद

उदाहरण— निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए —

10, 9, 20, 36, 14, 8, 19, 32, 28, 16, 5, 60, 40

आरोही क्रम में लिखने पर

5, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 28, 32, 36, 40, 60

कुल पदों की संख्या = 13 (विषम संख्या)

अतः माध्यिका = $(N+1/2)$ वां पद

$$= (13+1/2) \text{ वां पद}$$

$$= 7 \text{ वां पद}$$

$$= 19$$

2. यदि पदों की संख्या सम हो तो—

माध्यिका = $(N/2)$ वां पद का मान + $(N/2)+1$ वां पद का मान होगी

उदाहरण— किसी कक्षा के 16 छात्रों का गणित विषय में प्राप्तांक दिया गया है। माध्यिका प्राप्तांक ज्ञात करना है।

विद्यार्थी : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16

प्राप्तांक : 5 12 17 23 28 31 37 41 42 49 54 58
 65 68 73 77

यहाँ कुल पद = 16 (अर्थात् समसंख्या) है।

ध्यातव्य है प्रश्न में प्राप्तांक आरोही क्रम में दिए गए हैं

अतः माधिका = $(16/2)$ वां पद का मान + $= (16/2+1)$ वां पद का मान/2

= 8 वां पद का मान + 9 वां पद का मान/2

= $(41+42/2)$ वां पद 41.5

माधिका के गुण

1. माधिका का समझना वा गणना बहुत सरल है। कुछ परिस्थितियों में तो माधिका केवल आँकड़ों को देखकर ही ज्ञात की जा सकती है।
2. माधिका चूँकि स्थिति माध्य है फलतः चरम मूल्यों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
3. यह माध्य गुणात्मक तथ्यों यथा—बौद्धिक स्तर, स्वास्थ्य, गरीबी इत्यादि की माप के लिए सर्वोत्तम माप होती है।

दोष

1. माधिका के निर्धारण में आँकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने की बाध्यता होती है।
2. पदों की संख्या सम संख्या होने पर माधिका का वास्तविक मूल्य पता नहीं चल पाता बल्कि केवल सम्भावित मूल्य (दो केन्द्रीय पदों के औसत) को ज्ञात किया जाता है।
3. जब कभी अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य को महत्व देना आवश्यक हो , वहाँ यह माध्य अनुपयुक्त सिद्ध हो जाता है।

बहुलक

बहुलक को अंग्रेजी भाषा में Mode कहा जाता है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के 'La Mode' से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है फैशन या रिवाज अर्थात् जिसका प्रचलन अधिक हो। सांख्यिकी विषय में भी इसका अर्थ यही लिया जाता है।

अतः बहुलक किसी आँकड़ों की श्रृंखला का अधिकतम बार आने वाला पद होता है। बहुलक उस विन्दु को बताता है, जहाँ सबसे अधिक पद संकेन्द्रित होते हैं। स्पष्ट है कि बहुलक सर्वाधिक घनत्व की स्थिति, सर्वाधिक आवृत्ति वाले पद का मूल्य या मूल्यों के सर्वाधिक संकेन्द्रण के विन्दु का प्रतीक है। बहुलक को **स्थिति सम्बन्धी माध्य** भी कहा जाता है।

यदि यह कहा जाय कि किसी दुकान से बिकने वाले जूते का औसत साइज 7 है या एक भारतीय की औसत ऊँचाई 5'7" है अथवा रेडिमेड कपड़े की दुकान से सर्वाधिक बिकी कमीज के कालर की औसत साइज 36 सेमी० है तो इन सभी घटनाओं का सम्बन्ध अधिकतम इकाइयों के मूल्यों या संख्या से है अर्थात् बहुलक से है न कि माध्य या माध्यिका से।

उदाहरण – नीचे दिए गए आँकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है—

7, 8, 9, 9, 7, 6, 9, 4, 10, 3, 5, 9, 9

हल— आँकड़ों की उक्त श्रृंखला में सर्वाधिक बार आया पद = 9

अतः बहुलक = 9

बहुलक = 3(माध्यिका) – 2(समांतर माध्य)

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. statistics शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे—

- (क) जान मिल्टन (ख) वर्ड्सवर्थ
(ग) अरस्तू (घ) गॉट फ्रायड एकेनवाल

2. 'सांख्यिकी गणना का विज्ञान है' कथन है—

- (क) डा0बाउले (ख) बॉडिंगटन
(ग) काउडेन (घ) काक्सटन

3. आँकड़ों के प्रदर्शन की विधियाँ हैं—

- (क) सारणीयन द्वारा (ख) चित्रमय प्रदर्शन
(ग) आरेखीय प्रदर्शन (घ) उपरोक्त सभी

4. जनगणना की सारणियाँ किस प्रकार की सारणी होती है—

- (क) संक्षिप्त सारणी (ख) निर्देश सारणी
(ग) क एवं ख दोनों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. ग्राफ एक माध्यम है —

- (क) आँकड़ों के संग्रहण का (ख) आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण का
(ग) आँकड़ों के विश्लेषण का (घ) आँकड़ों के संक्षिप्तीकरण का

6. दण्ड आरेख के विषय में सही है—

1. दण्डों की ऊँचाई समान होनी चाहिए
2. इनकी चौड़ाई समान होनी चाहिए
3. आसन्न खण्डों के मध्य की दूरी समान होनी चाहिए।

- (क) 1 और 2 (ख) 2 और 3 (ग) 1 और 3 (घ) तीनों सही है।

7. सम्बन्धित आँकड़ों को उनकी तस्वीरों द्वारा संख्या के अनुपात में प्रदर्शित किए जाने वाली प्रदर्शन विधि है—

- (क) मनचित्र (ख) आयत चित्र
(ग) वृत्त चित्र (घ) चित्रलेख

8. बहुलक है—

(क) सर्वाधिक मध्य मूल्य

(ख) न्यूनतम आवर्ती मूल्य

(ग) सर्वाधिक आवर्ती मूल्य

(घ) इनमें से कोई नहीं

9. माधिका है—

(क) सभी औसतों का औसत

(ख) आँकड़ों के परिणाम इकाई का गणितीय माध्य

(ग) दिये गये आँकड़ों का केन्द्रीय स्थिति माध्य

(घ) सर्वाधिक आवर्ती मान

10. यदि किसी बहुलक का मान 25 एवं माधिका का मान 20 है तो समांतर माध्य होगा—

(क) 22.5

(ख) 17.5

(ग) 20

(घ) 40

11. सुमेलित कीजिए—

(क) आँकड़ों के योग सम्बन्धी परिवर्तन

मानचित्र

(ख) आँकड़ों के योग सम्बन्धी परिवर्तन के साथ-साथ उप विभागों का स्पष्टीकरण

सरल दण्डचित्र

(ग) विज्ञापन

चित्रलेख


(घ) भौगोलिक आँकड़े

अन्तर्विभक्त दण्डचित्र

12. यदि 25, 17, 19, X का समानान्तर माध्य 19 है तो X का मान ज्ञात कीजिए।

13. 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए।

14. नीचे दिए गये पाई आरेख का अध्ययन कर किसी देश के बजट में से बिक्री कर का कौण बताइए—



15. सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए इसके महत्व एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए।

16. सारणी के प्रकारों को बताते हुए एक अच्छी सारणी के अंगों की आवश्यकता पर सविस्तार वर्णन करें।

17. किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों की ऊँचाई दी गयी है। माध्यिका ऊँचाई की गणना कीजिए।

विद्यार्थी का नाम	ऊँचाई (सेमी में)
अनुराग	151
अरुणा	140
जया	149
अतुल	142
नीरज	147
रवीन्द्र	144
राजेश	145
दिनेश	152

www.dietmathura.org